Fourth Series Vol XXXII No.29

Saturday, August 30, 1969
Bhadra 8, 1891 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

सत्यमेव जयते

(Eighth Session)

(Vol. XXXII contain No.21-29

LOK SABHA SCRETARIAT
NEW DELHI
Price : Re. 1.00

CONTENTS

No. 29—Saturday, August 30, 1969/Bhadra 8, 1891 (Saka)

	Columns
Business of the House	1—4
Papers laid on the Table	4—7
Massage from Rajya Sabha	7
Committee of Privileges Eighth Report	7
Committee on Government Assurances—	
i. Sixth Report	7
ii. Evidence . .	8
Petition re. Implementation of the ban on production of coloured sarees or power looms.	8
Statement re. Cotton Price Policy .	8—10
International Monetary Fund & Bank (Amendment) Bill—Introduced	10—11
Personal Explanation by Member Shrimati Sharda Mukerjee .	11—15
Taxation laws (Amendment) Bill Motion to refer to Select Committee	15—17
Central Excises Bill Motion to refer to Select Committee	18—19
Comptroller and Auditor-General's (Duties Power and Conditions of Service) Bill Motion to refer to Joint Committee	20—22
Statutory Resolution Re. Disapproval of Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance -Nagatived—	
and Banaras Hindu University (Amendment) Bill Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	23—67
Shri Bibhuti Misra .	23—29
Shri Janeswar Misra	29—36
Shri Chandra Jeet Yadav	36—46
Shri Raghuvir Singh Shastri	46—52
Dr. V. K. R. V. Rao	53—62
Shri Shri Chand Goyal .	62—67

	COLUMNS
Clauses 2 to 13 and 1	67—125
Motion to Pass .	125
Dr. V. K. R. V. Rao	81—90, 114—125
Foreign Marriage Bill—	
Motion to consider as passed by Rajya Sabha	125—27
Shri Raghu Ramaiah .	126
Clauses 2 to 30 and 1 .	127
Motion to Pass	127
Statutory Resolution re Proclamation in relation to the State of Bihar and	
Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Bill—	
Motion to consider as passed by Rajya Sabha .	127—73
Shri Vidya Charan Shukla	127—30 168—72
Shri Kanwar Lal Gupta . .	133—37
Shri Ram Shekhar Prasad Singh .	137—40
Shri Ganesh Ghosh	140—42
Shri Mrityunjay Prasad .	142—45
Shri Shiva Chandra Jha .	145—48
Shri Yamuna Prasad Mandal	148—50
Shri Bhogendra Jha	150—56
Shri Prem Chand Verma	156—57
Shri Lakhan Lal Kapoor.	157—59
Shri B. P. Mandal .	159—62
Shri Sita Ram Kesri .	162—63
Shri Himatsingka .	163—64
Dr. Surya Prakash Puri	164—65
Shri Bibhuti Mishra	165—66
Shri Kartik Oraon .	167—68
Clause 2, 3 and 1 .	172—73

	COLUMNS
Motion to pass . .	173
Motions Re. Situation caused by floods and droughts and formation of national grids	174—91, 193—202
Shri Hem Barua	174—80
Shri Sezhiyan	181—84
Shri D. N. Tiwari	184—87
Shri Meetha Lal Meena .	188—91
Shri Sheo Narain	193—25
Shri Prakash Vir Shastri .	196—98
Shri M. A. Khan	199—202
Correction of Answer to S. Q. No. 784 re. Decontrol of Sugar	191—92

LOK SABHA

Saturday, August 30, 1969/Bhadra 8, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य सूची के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है । पिछले अधिवेशन में आप उस आसन पर नहीं थे । तब जो मेरा प्रस्ताव है नक्सलाइट के सम्बन्ध में, वह आया था । जो बाहर के पैसे से तोड़ फोड़ की कार्यवाईयां हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव आया था । तब इस प्रस्ताव को इस अधिवेशन के लिये स्थगित कर दिया गया था । इस अधिवेशन में हर शुक्रवार को मैं याद दिलाता रहा हूं । मुझे बताया जाता रहा है कि इसको जरूर लिया जाएगा । कल की जो कार्य सूची थी जो कि आपके कार्यालय ने छापी थी उसमें यह था कि सरकारी बिल समाप्त होने के बाद सब से पहला आइटम वह था कि तोड़ फोड़ की कार्रवाइयां जो विदेशों से प्राप्त होने वाले हथियारों और पैसे से चल रही हैं उन पर विचार किया जाए । लेकिन आज की जो कार्य सूची है इसमें बाढ़ और चीनी के नीचे यह आइटम दब गई है और सब से निचला आइटम इसको कर दिया गया है । अगर आप इसको इतना महत्वहीन समझते हैं कि इस पर विचार नहीं करना है तब तो आपको इसको लिस्ट में नहीं लाना चाहिये । आपके कार्यालय ने कल एक लिस्ट छापी और आज दूसरी ही छाप दी । ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आपके कार्यालय में कुछ इस प्रकार के नक्सलाइट घुस गए हैं लेकिन हां, सरकार में जरूर हो सकते हैं जिस की वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है । मैं यह जानना चहता हूं कि यह परिवर्तन किस के माध्यम से हुआ है ? इस को इस तरह से क्यों पिछाड़ दिया गया है जब कि कल की कार्य सूची में यह पहले छापी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : वहां से ऐसा ही आया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कल जब हम आपके कमरे में आपसे मिले थे तो हर एक भाई यह चाहता था कि क्योंकि शूगर पालिसी सरकार डिसाइड कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से आज इस पर डिसकशन हो जाए ताकि मेम्बरों के जो विचार हैं, उनसे सरकार अवगत हो सके । शास्त्री जी का कहना है कि शूगर के बजाय वह चीज़ पहले आ जाए । मैं कहना चाहता हूं कि जितनी आइटम्ज़ हैं उन सब पर बहस हो जानी चाहिए । बाढ़ पर और शूगर केन पर बहस हो जाए, उसके बाद इसको लिया जा सकता है । इसको भी जरूर लिया जाना चाहिये । समय अगर हो तो जरूर लिया जाए । क्योंकि शूगर के बारे में पालिसी की एनाउंसमेंट होनी थी इस वास्ते हम चाहते थे कि इस पर पहले बहस हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय : कल जब हम इकट्ठे हुए थे तब इस पर विचार हुआ था । मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी एफेयर्ज़ भी उसमें उपस्थित थे । मैं कोशिश करूंगा कि

सभी डिसकशन हो जाय । हाउस को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस बात का निश्चित रूप से आश्वासन मिलना चाहिए कि इस विषय पर आज डिसकशन होगी । कल यह पहले नम्बर पर था और आज इसको उठा कर सब से आखिर में रख दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि किसकी वजह से यह हुआ है । आपके कार्यालय ने निर्णय लिया है या सरकार ने निर्णय लिया है । निर्णय लेने वाला कौन है ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): Sir, the whole difficulty was about appropriation of time. I can assure the hon. member that we are most anxious to get on with this. It is only because of the urgency of the flood resolution that it was put higher up. May I assure the hon. member, with your permission, that we shall include it in the programme for the first week of the next session?

Today's agenda is fairly long and it may not be possible to cover all the items. May I suggest that we finish the Banaras Hindu University Bill by lunch time and take up the Bihar resolution immediately after lunch? Then we can take up the three Bills for reference to the Joint Committees. I have spoken to hon. members opposite and they have agreed that they may be referred without discussion. Then we may take up the resolution on floods.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक और आश्वासन मंत्री महोदय दे दें । उन्होंने कहा है कि अगले अधिवेशन में पहले सप्ताह के अन्दर इसको ले लिया जाएगा । यह भी आश्वासन दे दें कि अगले अधिवेशन तक पार्लियामेंट की यही स्थिति रहेगी । इसका भी आश्वासन दे दें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : और गड़बड़ होगी ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो गई है, दुगुनी मजबूत हो गई है । स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी ।

11.08 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT AND ACCOUNTS OF THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R.V. RAO): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Audit Report on the accounts of the National Council of Educational Research and Training for the year 1966-67. [*Placed in Library. See* No. LT-1922/69].

ANNUAL REPORT OF HINDUSTAN ZINC LIMITED, UDAIPUR AND ITS REVIEW BY GOVERNMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI JAGANATH RAO): I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Hindustan Zinc Limited, Udaipur, for the period from 10th January, 1966 to 31st March, 1967.

(ii) Annual Report of the Hindustan Zinc Limited, Udaipur for the period 10th January, 1966 to 31st March, 1967 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement showing reasons for delay in laying the above papers.

[*Placed in Library. See* No. LT-1923/69].

NOTIFICATIONS UNDER THE CUSTOMS ACT AND CENTRAL EXCISES AND SALT ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944:—

(i) The Customs and Central Excise Duties Export Draw-back (General) Twenty-eigth Amendment Rules, 1969, published in notification No. G. S.R. 2012 and G.S.R. 2013 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(ii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Twenty-ninth Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G. S.R. 2014 and G.S.R. 2015 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(iii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirtieth Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G. S.R. 2016 and G.S.R. 2017 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(iv) The Customs and Central Excise Duties Export Draw-back Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G. S.R. 2018 and G.S.R. 2019 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(v) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-third Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G. S. R. 2020 and G.S.R. 2021 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(vi) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-first Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 2022 and G.S.R. 2023 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(vii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-fourth Amendment Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 2024 and G.S.R. 2025 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(viii) G.S.R. 2032 published in Gazette of India dated the 23rd August, 1969, containing corrigendum to Notification No. G.S.R. 1547 dated the 28th June, 1969.

[*Placed in Library. See* No. LT-1924/60].

(2) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) G.S.R. 2026 and G.S.R. 2027 published in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(ii) G.S.R. 2028 and G.S.R. 2029 published in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(iii) G.S.R. 2030 and G.S.R. 2031 published in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

[*Placed in Library. See* No. LT-1925/69].

SUGAR (CONTROL) AMENDMENT ORDER

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to lay on the Table a copy of the Hindi version of the Sugar (Control) Amendment Order, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1915 in Gazette of India dated the 6th August 1969 under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-2926/69].

COTTON CONTROL (SECOND AMENDMENT) ORDER 1969

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक यादव) मैं

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उपधारा (6) के अधीन, दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3149 और एस० ओ० 3150 में प्रकाशित कपास नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1969 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[*Placed in Library. See* No. LT-1927/69.]

11.07 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1969, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th August, 1969, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

COMMITTEE OF PRIVILEGES

EIGHTH REPORT

SHRI R. BARUA (Jorhat): I beg to present the Eighth Report of the Committee of Privileges.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

(i) SIXTH REPORT

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

(ii) EVIDENCE

श्री महाराज सिंह भारती : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

PETITION RE. IMPLEMENTATION OF BAN ON PRODUCTION OF COLOURED SAREES ON POWER LOOMS.

श्री न० रा० देवघरे (नागपुर) : मैं विद्युत चालित करघों पर रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध को लागू करने के बारे में श्री के० पी० अनन्तराव, प्रधान कासरगोड़ बुनकर सहकारी पी० एण्ड एस० समिति लिमिटेड, कासरगोड़ (केरल) तथा लगभग 33,600 अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूं ।

11.8 hrs.

STATEMENT RE COTTON PRICE POLICY

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : इस वक्तव्य के पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । कपास का साल कल से शुरू होने वाला है । मंत्री महोदय की नीति यही रही है कि कपास के मूल्यों के बारे में वह अपनी नीति की घोषणा सत्र के आखिरी दिन करते हैं । यह पहली बार नहीं है । पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था । सत्र के आखिरी दिन वह इसकी घोषणा करते हैं । शायद यह इसलिए होता है कि सदन उस पर चर्चा न कर सके । मैं आपकी मार्फत उन से पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को इस पर बहस करने से वह वंचित क्यों करते हैं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : एक आध मौका तो देना चाहिये बहस करने का ।

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT): Mr. Speaker, Sir, I rise to make a statement on the decisions taken by the Government regarding the cotton price policy for the Cotton Year 1969-70, which will start on 1st September, 1969. As the Honourable Members are aware, statutory controls on prices of cotton were removed with effect from 1st September, 1967. During the cotton years 1967-68 and 1968-69, an attempt was made

to influence the prices of cotton by regulating credit and stock controls and marketing practices. At the same time, with a view to assuring the grower a minimum economic return, support prices were announced in each of these years, and an assurance was given that Government would be prepared to make purchases of all quantities of cotton offered for sale at the support prices. However, the prices of cotton ruled at a level considerably above the level of support prices and it did not become necessary to make any purchase at the support prices. On the whole, the policy worked fairly successfully during the two years.

It has been decided to continue the existing policy for the year 1967—70. As at present, there will be no control on the prices of cotton. On the advice of the Agricultural Prices Commission, support prices for the cotton year 1969-70 have been fixed at the same level as for the year 1968-69. It may, however, be pointed out that the actual prices of cotton are determined by market conditions and the responsibility of the Government is to ensure that in case of fall of prices to uneconomic levels, Government would make purchases of the quantities of cotton offered to it at the support prices.

The question of canalisation of the imports of cotton through a public sector agency has been considered in the light of the recommendations of the Agricultural Prices Commission. In order to maximise the advantage of such canalisation, a framework is required to be evolved in which the needed skills may be properly organised. This will take some time while immediate steps have to be taken for the import of cotton from Sudan and U.A.R. in accordance with the agreements already entered into with these two countries. It has, therefore, been decided to continue to regulate imports of cotton in 1969-70 on the same basis as in 1968-69. During the year, every effort will be made to evolve a new framework for introduction of the policy of canalisation of cotton import in the year 1970-71. It is expected that the public sector agency to be set up for the import of cotton will also perform the functions of a buffer stock agency for imported cotton as well as indigenous cotton.

11.12 hrs.

INTERNATIONAL MONETARY FUND AND BANK (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the International Monetary Fund and Bank Act, 1945.

MR. SPEAKER: The question is:

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया है कि मैं इस विधेयक का इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस नहीं मिला है ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैंने आज 10 बजे दिया था । आप अपने आफिस में पूछवाइये । अगर कोई गुम कर दे, तो इसमें मेरा दोष तो नहीं है ।

मैं इस इन्टरनेशनल मानिटरी फंड एण्ड बैंक (एैमेंडमेंट) विधेयक का विरोध करता हूं । इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड के द्वारा स्पेशल ड्राइंग राइटस की व्यवस्था शुरू हो रही है और वह कुछ महीनों के बाद लागू होगी, जिससे उन मुल्कों के लिए एक रास्ता निकाला जायेगा, एकफलेक्सिबल व्यवस्था की जायेगी, जिनके सामने फारेन रिजर्व की दिक्कतें हैं । खास तौर से अविकसित मुल्कों के लिए यह व्यवस्था अच्छी हो सकती है । लेकिन वर्ल्ड बैंक रेट को 1 परसेंट बढ़ा दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 30-8-69.

[श्री शिव चन्द्र झा]

वर्ल्ड बैंक से यह एक्सप्लेनेशन मांगा है कि बैंक रेट को 1 परसेंट क्यों बढ़ाया गया है और इस सम्बन्ध में अविकसित मुल्कों के सामने जो दिक्कतें आयेंगी, उन के लिए वर्ल्ड बैंक कौनसा दूसरा रास्ता अख्त्यार करने जा रहा है । सरकार ने इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इन बारे में कोई सफाई नहीं दी है । इस स्थिति में स्पेशल ड्राइंग राइट्स के इस्तैमाल के लिए इस स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च के लिए कुछ चार्जिज़ लगाना मुनासिब नहीं होगा ।

मैं चाहूंगा कि जब तक सरकार की तरफ से इस बारे में सफाई न दी जायं, तब तक इस विधेयक को रोक लिया जाये ।

MR. SPEAKER: The question is . . .

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the International Monetary Fund and Bank Act, 1945."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI: Sir, I introduce the Bill.

11.15 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri): Mr. Speaker, Sir, I met you this morning in your chamber to ask for your permission to make a personal explanation. I had also shown you the statement which I want to make. Kindly allow me to make a personal explanation.

MR. SPEAKER: It will be better if you lay it on the Table of the House.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: It will not take much time, just five minutes.

MR. SPEAKER: All right.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: Sir, under Rule 357 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg leave to make a Personal Explanation in regard to certain baseless allegations made about me by Shri Bhupesh Gupta in the Rajya Sabha yesterday, on 29th August, 1969, while speaking in the course of the debate on the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee.

I am indeed reluctant to take up the time of the House but I shall be as brief as possible. The report mentions my name among a number of others, to cite examples of expeditious disposal of industrial licences. I would just like to state the facts. Quite simply, the facts are as follows:—

My husband, the late Air Marshal Mukerjee died in November, 1960. Sometime in January, 1961, I started working with my father, the late Shri Pratap Pandit and my brothers, Shri Gokul Pandit and Shri Vasant Pandit in the family business in Bombay, namely, Western India Tanneries Ltd., which has been in existence for about fifty years.

Sometime in early 1961, we applied to the Government of India for an industrial licence for the manufacture of phosphoric acid and industrial phosphates. To the best of my recollection, the application contained mine and my brother's name. Here, I may mention that my brother, Shri Gokul Pandit is a qualified Chemical Engineer. I remember that he put my name first as he thought I required a new interest in life to boost my morale and self-confidence after the tragic loss I had suffered.

I may add here that in 1961, I was not a Member of Parliament nor did I expect to be one.

The initial licence granted in 1961 was for a production capacity of 1100 tonnes of Phosphoric Acid. Our technical advisers in connection with this project were the world renowned firm of Messrs Albright & Wilson Ltd. of U.K. And it was their definite view that a project with such limited capacity would be al-

together uneconomic. Our efforts to get sanction for a higher productive capacity finally succeeded when, after three years, the Government of India agreed to sanction a capacity 17,500 tonnes of phosphoric acid, expressed in $P^2 O^5$, together with sanction to manufacture its principal product Sodium Tripolyphosphate. Furthermore, for the economic viability of even this project, it was necessary to have an assured supply of sulphuric acid and to market a part of the phosphoric acid as such (in concentrated form) for the manufacture of phosphatic fertilisers. For these reasons, and also for assuring to the concern both technological expertise as well as capital resources of the magnitude required, it was decided by my family to set it up as a joint project in collaboration with Messrs Albright & Wilson Ltd. on the one hand and Messrs Dharamsi Morarji Chemical Co. Ltd. on the other.

Eventually, in 1965, the unit known as Albright Morarji and Pandit Ltd., located at Ambernath near Bombay, was set up and the Industrial Licence was transferred to this concern. The Company went into production in 1967. It is evident from this that there was a time-lag of six years between the original date of application of the Industrial Licence and the actual commencement of production.

Further, I submit that my family, the Pandits and their collaborators, Messrs. Dharamsi Morarji Chemical Co. Ltd. were the promoters of the company and are today represented on the Board of Directors of the Company along with representatives of Messrs. Albright & Wilson Ltd. And the Company is directly managed by its Board of Directors.

In brief, on the completion of collaboration negotiations with the foreign collaborators, Messrs. Albright & Wilson Ltd. of England, the new company under the name of Albright Morarji & Pandit Ltd. came into being, upon which, the Licence was transferred to the Company without any monetary consideration and with the full approval of the Government of India. The question of monetary or any other consideration did not arise when there was equity participation by me and my family and a share in the responsibility of promoting and running the Company.

I was a director of Albright, Morarji & Pandit Ltd. from its inception till 1966 by which time my Parliamentary and public work had increased to an extent where it became impossible for me to devote sufficient time to the affairs of the company. I, therefore, resigned my directorship in favour of my younger brother, Shri Vasant Pandit.

I, therefore, assert without fear of contradiction that the following allegations made by Shri Bhupesh Gupta are wholly unfounded and totally baseless:—

1. That I or my brother, Shri Pandit, engage ourselves in procurement and disposal of licences.

2. Specifically that we transferred the industrial licence for phosphoric acid to the concern mentioned above for a consideration of Rs. 10 lakhs or for any consideration.

3. That I have been guilty of deliberate misrepresentation of fact when I wrote to him in his capacity as Editor of the *New Age* that I did not traffic in industrial licences.

Finally, I have never applied for nor tried to procure industrial licences on any other occasion, much less to dispose of them for a monetary or any other consideration.

I find it difficult to understand the growing tendency to indulge in slanderous attacks on colleagues. I submit that this can set in motion a dangerous and unhealthy trend of conventions which may negate the rights and privileges of Members of Parliament to function freely as representatives of their electorates and to work for the cause of national interest.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उन्होंने अपना स्पष्टीकरण पेश करके और अपना डिस्कलोज़र किया है।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): It would have been better if she had made the statement two days before, because the Rajya Sabha adjourned yesterday.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: Mr. Bhupesh Gupta spoke only yesterday.

MR. SPEAKER: They would be meeting again; it is not that they have adjourned for all the time.

It would be better if members of both Houses do not cast reflections on each other. It would be a very unhealthy practice if those members attack the members of this House and if members of this House attack the members of that House. We should observe certain Parliamentary conventions.

SHRI S. M. BANERJEE: Yesterday we wanted a statement to be made on the situation in Uttar Pradesh. You must have read in the newspaper that the President met the leaders of the Opposition, including Shri Charan Singh, Leader of the BKD, yesterday and he has asked for a report from the Governor of U.P. Now, I think, the Home Minister will have no objection to make a statement here. (*Interruptions*) Today is the last day. The Home Minister should make a statement. I do not want any debate (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have received your letter. I have forwarded it to the Home Minister for a statement.

With the permission of the House, I would first take up the motions for reference to Select/Joint Committees.

11.25 hrs.

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

MR. SPEAKER: As far as item No. 20 is concerned, the motion is that it be referred to a Select Committee. The names are given.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Sir, there are some changes in the names.

AN HON. MEMBER: How can they change it? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The Minister has got the right to make changes even till the last minute.

AN HON. MEMBER: He should take your permission and change it.

SHRI P. C. SETHI: I am moving the motion standing in my name. With your permission I am adding two more names, namely, Shri Chintamani Panigrahi and Shri Yashwant Singh Kushwah.

SOME HON. MEMBERS: Why?

SHRI P. C. SETHI: There is an Independent Group which was completely left out. So we have included one from the Opposition and one from the Congress.

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Income-Tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964, be referred to a Select Committee consisting of 28 members, namely:—

Shri Jahan Uddin Ahmed
Sardar Buta Singh
Shri N. C. Chatterji
Shri J. K. Choudhury
Shri S. R. Damani
Shri N. Dandeker
Shri Pattiam Gopalan
Shri Kanwar Lal Gupta
Shri B. N. Katham
Shri Yashwant Singh Kushwah
Shri V. Krishnamoorthi
Shri Brij Bhushan Lal
Shri P. Govinda Menon
Shri H. H. Raja Yeshwantrao M. Mukne
Shri Chintamani Panigrahi
Shri S. B. Patil
Shri Shiva Chandika Prasad
Shri R. Dasaratha Rama Reddy

Shri Bishwanath Roy
Shri K. P. Salve
Shri N. K. Sanghi
Shri Yogendra Sharma
Shri Janardan Jagannath Shinkre
Shri R. K. Sinha
Shri N. K. Somani
Shri Tenneti Viswanatham
Shri Ram Sewak Yadav; and
Shri Prakashchand B. Sethi.

with instructions to report by the last day of the first week of the next session."

MR. SPEAKER: The question is:

That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964, be referred to a Select Committee consisting of 28 members, namely:—

Shri Jahan Uddin Ahmed
Sardar Buta Singh
Shri N. C. Chatterji
Shri J. K. Choudhury
Shri S. R. Damani
Shri N. Dandeker
Shri Pattiam Gopalan
Shri Kanwar Lal Gupta
Shri B. N. Katham
Shri Yashwant Singh Kushwah
Shri V. Krishnamoorthi
Shri Brij Bhushan Lal
Shri P. Govinda Menon
H. H. Raja Yeshwantrao M. Mukne
Shri Chintamani Panigrahi
Shri S. B. Patil
Shri Shiva Chandika Prasad
Shri R. Dasaratha Rama Reddy
Shri Bishwanath Roy
Shri N. K. P. Salve
Shri N. K. Sanghi
Shri Yogendra Sharma
Shri Janardan Jagannath Shinkare
Shri R. K. Sinha
Shri N. K. Somani
Shri Tenneti Viswanatham
Shri Ram Sewak Yadav; and
Shri Prakashchand B. Sethi.

with instructions to report by the last day of the first week of the next session.

The motion was adopted

11.26 hrs.

CENTRAL EXCISES BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Here also with your permission I make two changes. In the place of Shri Kanwar Lal Gupta, Shri Om Prakash Tyagi is included and in the place of Shri Yajna Datt Sharma, Shri Bansh Narain Singh is included.

I beg to move:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the Central duties of excise, be referred to a Select Committee consisting of 24 members, namely:—

Shri B. R. Bhagat
Shri Onkar Lal Bohra
Shri C. K. Chakrapani
Shri Valmiki Chaudhary
Shri C. C. Desai
Shri P. K. Ghosh
Shri Lakhan Lal Gupta
Shri Z. M. Kahandole
Shri Latafat Ali Khan
Shri S. M. Krishna
Shri Maharaj Singh
Shri F. H. Mohsin
Shri J. H. Patel
Shri S. D. Patil
Shri N. G. Ranga
Shrimati Uma Roy
Shri Erasmo de Sequeira
Shri Era Sezhiyan
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Bansh Narain Singh
Shri S. M. Solanki
Shri K. Suryanarayana
Shri Om Prakash Tyagi; and
Shri Prakashchand B. Sethi.

with instructions to report by the last day of the first week of the next session."

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I protest on behalf of Shri Kanwar Lal Gupta.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैं ने स्वयं संसद-कार्य मंत्री से निवेदन किया

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

था कि यह तीन इतनी बड़ी-बड़ी सेलेक्ट कमेटियां बन रही हैं, इन में केवल एक को छोड़ कर बाकी दो सेलेक्ट कमेटियों में भारतीय क्रांति दल के किसी भी सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया है । मुझे बताया गया कि अब यह लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है और अब इस में कोई परिवर्तन करना कठिन है लेकिन अब आज इसमें परिवर्तन किया जा रहा है । तो भविष्य में अगर इस तरह की चीज हो तो उस में सब गुटों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले इस के बारे में व्यवस्था आप कर दें ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the Central duties of excise, be referred to a Select Committee consisting of 24 members, namely:—

Shri B. R. Bhagat
Shri Onkar Lal Bohra
Shri C. K. Chakrapani
Shri Valmiki Chaudhary
Shri C. C. Desai
Shri P. K. Ghosh
Shri Lakhan Lal Gupta
Shri Z. M. Kahandole
Shri Latafat Ali Khan
Shri S. M. Krishna
Shri Maharaj Singh
Shri F. H. Mohsin
Shri J. H. Patel
Shri S. D. Patil
Shri N. G. Ranga
Shrimati Uma Roy
Shri Erasmo de Sequeira
Shri Era Sezhiyan
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Bansh Narain Singh
Shri S. M. Solanki
Shri K. Suryanarayana
Shri Om Prakash Tyagi; and
Shri Prakashchand B. Sethi.

with instructions to report by the last day of the first week of the next session.

The motion was adopted

—

11.28 hrs.

COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Sir, I beg to move:

"That the first proviso to Rule 74 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for reference of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill, 1969, to a Joint Committee of the Houses, be suspended."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the first proviso to Rule 74 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for reference of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill, 1969, to a Joint Committee of the Houses, be suspended."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI: Sir, with your permission, in this motion I want to make two changes, *viz.*, in the place of Shrimati Indira Ganhdi, Shri Sant Bux Singh and in the place of Shri S. K. Sambandhan, Shri S. Kandappan are included.

Sir, I beg to move:

"That the Bill to determine the conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India and to prescribe his duties and powers and for matter connected therewith or incidental thereto, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members, 20 from this House, namely:—

Shri Sonubhau Dagadu Baswant
Shrimati Jyotsna Chanda
Shri Dinkar Desai
Shri Nageshwar Dwivedi
Shri J. M. Imam

Shri S. M. Joshi
Shrimati Sangam Laxmi Bai
Shri Dhuleshwar Meena
Shri Anand Narain Mulla
Shri P. K. Vasudevan Nair
Shri D. N. Patodia
Chaudhuri Randhir Singh
Shri S. Kandappan
Shri S. S. Kothari
Shri S. M. Siddayya
Shri S. N. Shukla
Shri Sant Bux Singh
Shri R. Umanath
Shri Nagendra Prasad Yadav
Shri Prakashchand B. Sethi and

10 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;"

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad): Sir, the Rajya Sabha has already adjourned.

MR. SPEAKER: You can put it till the last day of the next session.

SHRI P. C. SETHI: I amend it accordingly:

"that the Committee shall make a report to this House by the last day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 10 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. SPEAKER: In this modified form I will put it to vote.

The question is:

"That the Bill to determine the conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India and to prescribe his duties and powers and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to Joint Committee of the Houses consisting of 30 members, 20 from this House, namely:—

Shri Sonubhau Dagadu Baswant
Shrimati Jyotsna Chanda
Shri Dinkar Desai
Shri Nageshwar Dwivedi
Shri J. M. Imam
Shri S. M. Joshi
Shri S. Kandappan
Shri S. S. Kothari
Shrimati Sangam Laxmi Bai
Shri Dhuleshwar Meena
Shri Anand Narain Mulla
Shri P. K. Vasudevan Nair
Shri D. N. Patodia
Chaudhuri Randhir Singh
Shri S. M. Siddayya
Shri S. N. Shukla
Shri Sant Bux Singh
Shri R. Umanath.
Shri Nagendra Prasad Yadav
Shri Parkash Chand B. Sethi and
10 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 10 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

11.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE.* DISAPPROVAL OF BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE

AND

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: We come back to the Banaras Hindu University (Amendment) Bill. Shri Bibhuti Mishra.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad): Last time Business Advisory Committee decided that the day is reserved for only Motions. But we see a long list of legislative business.

MR. SPEAKER: We will try to make up. Don't worry about it.

SHRI M. N. REDDY: Will the Banaras Hindu University item be the last for the day?

MR. SPEAKER: Some other items are there. It is not the last one.

SHRI M. N. REDDY: The day has been reserved for Motions, as we agreed.

MR. SPEAKER: We will try to finish it a little earlier. Don't worry.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): About 1½ hrs. is the time that remains for discussion on Banaras Hindu University (Amendment) Bill. But for Bihar State Legislature (Delegation of powers) Bill three hours have been allotted. When are you going to start the discussion on the flood and drought Motions?

MR. SPEAKER: 4 hours were allotted to it. 2 hours and 20 minutes have been taken.

SHRI SEZHIYAN: After allowing 1½ hours for Banaras Hindu University (Amendment) Bill which will take us up to lunch time, the Bihar discussion will start at 2 O'clock, If it is allowed to go up to 5 O'clock, when you are going to take up floods and droughts?

MR. SPEAKER: We will cut short.

SHRI S. KANDAPPAN: (Mettur): If that is possible, we will accommodate.

MR. SPEAKER: If we could cut short the time that is better. How long the hon. Minister will take?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): As little time as you direct.

MR. SPEAKER: 20 minutes.

DR. V. K. R. V. RAO: All right.

MR. SPEAKER: We have one-and-a-quarter hour. The hon. Minister will speak. We will try to finish this before lunch and take up the next item. Shri Bibhuti Mishra.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) इन में दो-तीन बिल तो ऐसे हैं जिनको आराम से निकाला जा सकता है ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष जी, मैं कल कह रहा था कि इस गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट के ऊपर सरकार की ओर से कौन-सी कार्यवाही की जायगी, इस के सम्बन्ध में सरकार ने अपना कोई निर्णय नहीं लिया है, केवल एक बिल बना कर यहां ले आये हैं, लेकिन इस बिल के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिन का उस रिपोर्ट में उल्लेख है—उन के सम्बन्ध में सरकार ने साफ-साफ कुछ नहीं कहा है ।

अध्यक्ष जी, हमारे डा० राव साहब यहां दिल्ली यूनीवर्सिटी के निर्माता रहे हैं, वे इसके प्राण थे । यहां पर सब चीजें चुनाव से होती हैं, लेकिन इन्होंने हिन्दू यूनीवर्सिटी में सब चुनावों को बन्द कर दिया है, नोमिनेशन के जरिये ही सब कामों की व्यवस्था की है । मैं याद दिलाना चाहता हूं—नैपोलियन-थर्ड जब दूसरी बार चुना गया तो उस ने सारे कंस्टीचूशन को सस्पेंड कर दिया और

स्वयं अधिनायक बन बैठा। अगर यही सूरत रही, जैसी कि चल रही है तो हिन्दुस्तान में जिस डेमोक्रेसी के लिए हम जीवन भर लड़ते रहे, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ कर हिन्दुस्तान को आज़ाद कराया, इस देश की डेमोक्रेसी अगर इसी प्रकार चलती रही तो कुछ दिनों में जिसके हाथ में भी चुनाव का काम आयेगा, वह चुनाव बन्द कर के अधिनायक बन जायगा। मैं बनारस के हालात को इसलिए जानता हूं कि मैं स्वयं काशी विद्यापीठ में पढ़ता था, जहां पर 30-40 विद्यार्थियों में से एक एक विद्यार्थी जेल गया, एक एक प्रोफेसर जेल गया। हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है कि उस ज़माने में जब हम हिन्दुस्तान की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी संस्था का एक एक विद्यार्थी, एक एक प्रोफेसर जेल गया हो, इसलिए कि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र रहना चाहिये। प्रजातन्त्र को रखने के लिए जो तरीके बनाये गये, हिन्दू यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में यह बिल उस प्रजातन्त्र के खिलाफ़ जा रहा है, जहां चुनावों को बन्द कर के नौमिनेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।

तीसरी बात—वहां पर जो वाइस चांसलर थे, उन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, इस का कुछ पता नहीं लगता है। जिसकी वजह से वहां पर गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय में गोलमाल हुआ, उस के सम्बन्ध में सरकार ने आगे कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि हमारे डा० सेन साहब, जब वहां वाइस-चांसलर थे, इन का पवित्र काम था, इन की सारी चीजें पवित्र थीं, लेकिन ऐसे पवित्र आदमी के खिलाफ़ भी वहां पर कुछ शिकायतें छाप दी गई, पर्चा निकाला गया, लेकिन खेद है कि हमारी कैबिनेट के जो लोग हैं, जिन के हाथ में सब कुछ है, वे अपने कुलीग को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में जब कोई बड़ा मिनिस्टर या बड़े-बड़े आदमी जायं, तो वहां पुलिस नहीं जानी चाहिये, क्योंकि विश्वविद्यालय का अपना एक कायदा है, अपना ढंग है। अगर पुलिस जाय, तो वहां के वाइस चांसलर से, वहां के अधिकारियों से पूछ लिया जाय, अगर वे जरूरत समझें तो भेजा जाय, जरूरत नहीं समझें तो नहीं भेजा जाय। अगर कोई ज्यादा विरोध हो तो प्लेन-ड्रेस में पुलिस को वहां रखा जा सकता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि विश्वविद्यालय में जब भी कोई मंत्री या बड़ा आदमी जाता है, तो महसूस करता है कि वहां उसकी सुरक्षा नहीं है। जब छात्रों के बीच में जो हमारे देश की संतान हैं, कोई मिनिस्टर जाता है, कोई गार्डियन जाता है, वह यह समझे कि वह सुरक्षित नहीं है, मैं नहीं समझता कि उस देश की आगे क्या हालत होगी। जो वहां के प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, यह उन का कर्तव्य है कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली जारी करें, इस तरह से विद्यार्थियों को शिक्षित करें कि जब कोई दूसरा आदमी उन के बीच में जाय, तो वे उस को अपना मेहमान समझें, उस के साथ मनुष्यता का व्यवहार करें, बड़प्पन का व्यवहार करें। लेकिन आज जो परिस्थिति वहां पैदा हो गई है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं कहा, बस एक बिल यहां पर ले आये।

अब, अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दू यूनीवर्सिटी में यह गड़बड़ कब से पैदा हुई। गड़बड़ तब से पैदा हुई जब से डा० राधाकृष्णन् वहां पर थे, उन से पहले जो भी लोग वहां वाइस चांसलर बन कर गये, वे सब उसी एरिये के होते थे . .

SHRI S. KANDAPPAN: Is he supporting the Government's Bill or not? What he is saying is very confusing. We are not able to make out what stand he is taking. He has referred to Dr. Radhakrishnan also.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Let him please listen to me. I shall be saying what I want. Let him not be impatient.

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि डा० राधाकृष्णन् के ज़माने से विश्वविद्यालय में गड़बड़ शुरू हुई, उनके पहले यह बड़ा पवित्र विश्वविद्यालय था, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया, जिसके लिये हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोगों ने पैसा जमा किया और पैसा जमा कर के विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहां पर सारे हिन्दुस्तान के लोग कानून पढ़ने जाते थे। अब तो कानून की पढ़ाई हर जगह हो गई है, यहां तक हो गया है कि अब तो अदालतों में सब अपनी भाषा में बहस करते हैं, इसलिए अब वहां बाहर से कानून पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता है। टैकनीकल एजूकेशन के लिए जाते हैं--क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में है और एक दूसरे से मिलती जुलती है। लेकिन जहां जो चीज़ रहती है, उसकी अपनी खसूसियत ज़रूर होती है। चूंकि यह विश्वविद्यालय हिन्दी रिजन में है, इसलिये इस की खसूसियत ज़रूर रहेगी, आज जो सैन्टर की यूनीवर्सिटीज़ हैं, जैसे विश्व-भारती है, उस का वाइस चांसलर आज तक कोई नान-बंगाली नहीं हुआ। लेकिन इस विश्वविद्यालय की हालत यह है कि यहां का वाइस-चांसलर नान-हिन्दी एरिया के आदमी को बनाया जाता है। हमें इस में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति बनाया जाय, उस का यह कर्तव्य है कि वह वहां के लड़को से मिले उन की कठिनाइयों को समझे, उस के अन्दर उदारता की भावना होनी चाहिये, जिस तरह से वह अपने बच्चे को समझता है, उसी तरह से वह उन बालकों को समझे। आचार्य नरेन्द्र देव के हटने के बाद, वहां पर यह भावना कम हो गई, शासक और शासित की भावना पैदा हो गई। इस का नतीजा यह हुआ कि हिन्दू यूनीवर्सिटी में सारा काम बिगड़ गया, और आज वह यूनीवर्सिटी बन्द कर के रखी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा पर इतना खर्च करने के बाद, 10 हज़ार विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, उन का जीवन क्यों बर्बाद किया जा रहा है, यूनीवर्सिटी को बन्द करके क्यों रखा गया है, इसमें विद्यार्थियों का क्या कुसूर है। अगर दो-चार विद्यार्थियों का कुसूर है तो आप उन को बुला कर समझाइये। बाल्मीकि भी हत्यारे से महर्षि हो गये थे, इन विद्यार्थियों को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है, इन की कठिनाइयों को देखने की ज़रूरत है।

यूनीवर्सिटी के अन्दर विभिन्न पोलिटीकल पार्टीज़ का अड्डा नहीं होना चाहिये

SHRI S. KANDAPPAN: All robbers cannot become rishis.

श्री विभूति मिश्र : आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है। आप भी महर्षि हो सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बतलाना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज़ का समावेश नहीं होना चाहिये पोलिटिकल पार्टीज़ वहां पर जा कर के विद्यार्थियों को उकसाती हैं। विद्यार्थी तो घड़े जैसे होते हैं, छोटी उम्र में आप उनको जो भी बात समझायेंगे उसी पर वे ढुलक जायेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी या अन्य शिक्षा संस्थाओं में पोलिटिकल पार्टीज़ जाकर अपना अड्डा न जमायें बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ने दें। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट से जो खराबी निकली उसकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुदालियर कमेटी ने भेद-भाव की रिपोर्ट दे दी जिससे वहां के क्षेत्र में यह भावना पैदा हो गई कि यहां पर भेदभाव का बर्ताव किया जायेगा। मैं राव साहब से कहूंगा कि वे मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट पर खयाल न करें, आप शिक्षा शास्त्री हैं, आप बहुत जल्दी में इस बिल को लाये हैं इसको आप बन्द कीजिए और रिपोर्ट को

देखिए, जिस तरह से आप ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाने में अपना सारा जीवन लगा दिया उसी तरह से बनारस यूनिवर्सिटी को भी बनाने में समय लगाइये। इस विश्वविद्यालय की पूजा श्री मदनमोहन मालवीय जी ने की थी जिनकी पूजा आज भी लोग करते हैं, वे दो तीन बार कांग्रेस के सभापति भी रह चुके हैं, उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। हिन्दू विश्वविद्यालय को पवित्र बनाने के लिए और इस संस्था को दुरुस्त करने के लिए आप चाहें तो इस बिल को रोक दीजिए और वहां की परिस्थिति को देख कर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाइये ताकि यूनिवर्सिटी का काम ठीक से चल सके और वहां से पोलिटिकल पार्टीज़ का झगड़ा बन्द कराइये। बिल्डिंग वाली जो बात है कि वह आर० एस० एस० की है, जनसंघ की है या यूनिवर्सिटी की है, सभी बातों को देख करके तब आगे काम कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर विचार करने से पहले मैं इस राय का था कि गजेन्द्रगदकर कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होगी। अपने आप में यह विधेयक बनारस यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति में जितनी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए अपर्याप्त है। डाक्टर राव को व्यक्तिगत तौर से बहुत कम जानते हुए भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता रहा क्योंकि वे बुजुर्ग हैं और शिक्षा शास्त्री हैं और इसलिए खास तौर से तालीम के मामले में जो बीमारी आदि होंगी उसकी अच्छी दवा करेंगे, लेकिन इस विधेयक को देखकर हमको लगा कि वे अभी अनाड़ी हैं। इन्होंने खुद कबूल किया है. . (**व्यवधान**).

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : क्या बात करते हैं ? ये खुद अनाड़ी हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : जो विधेयक पेश हुआ है इसके बारे में राव साहब ने ही कबूल किया है कि यह विधेयक गैर-टिकाऊ हल है इस समस्या का और इसके लिए जो टिकाऊ हल होगा वह बाद में पेश करेंगे। (**व्यवधान**).

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आप जवाहरलाल नेहरू की कांस्टीटुएन्सी से चुन कर आये हैं, आपको अच्छी बोली बोलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह की बातें कहते रहते हैं यह ठीक नहीं है। मैं शिव नारायण जी से भी कहूंगा कि वे ज़रा कम रुकावटें पैदा किया करें।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में केवल विश्वविद्यालय के इन्तजाम के बारे में थोड़ी सी तरमीम की गई है। वाइस-चांसलर की नियुक्ति, कार्य समिति की नियुक्ति, अर्थ सचिव की नियुक्ति, उनका कार्यकाल कितना रहेगा—पांच साल रहेगा या तीन साल रहेगा, या कोर्ट के बारे में नियुक्ति—यही कुछ मसले लगते हैं कि वहां की इन्तजाम समिति वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में नियम बदल दिये जायं तो वहां का मसला हल हो जायेगा लेकिन यह बिल्कुल बकवास की बात है, इससे मसले का हल होने वाला नहीं है। शिक्षा मन्त्री जी इस चीज़ को ठीक से समझें कि आपने जिस तरह से वहां पर चुनी हुई समितियों की जगह पर नामजद समितियों को रखने की कोशिश की है, जनतन्त्र के इस सबसे बड़े सदन में आपने एक बहुत बड़ा मजाक किया है। अगर आप इन्तजाम समिति में ही, इन्तजाम के मामले में ही कोई तबदीली करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि खास तौर से जो विद्यार्थियों के प्रतिनिधि लोग हैं उनको भी हिस्सा दीजिए, वहां की प्रबन्ध समिति में, स्थायी समिति में या कार्य समिति में ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि इस विश्वविद्यालय के इन्तजाम में हमारा भी हाथ है।

[श्री जनेश्वर मिश्र]

गजेन्द्रगदकर कमेटी की रिपोर्ट दो पक्षों को लेकर चलती है। एक पक्ष है वाइस-चांसलर और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी और दूसरा पक्ष है विद्यार्थी। मेरे खयाल में एक तीसरा पक्ष छूट गया है। वह पक्ष है बनारस यूनिवर्सिटी खुद, उसकी इमारत, वहां की आबहवा और वहां के आस पास के लोगों के रहन सहन के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। ये तीन पक्ष इसमें आते हैं।

सबसे पहले वाइस-चांसलर के बारे में मेरा ख्याल है जोशी साहब से शिक्षा मन्त्री ने और यहां के दूसरे अधिकारियों ने कहा है कि अब आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़िये और वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह जो स्तुत्य कार्य इन्होंने किया है इसके लिए मैं इनको नमस्कार करूंगा लेकिन इसके साथ-साथ इनसे प्रार्थना करूंगा कि जितना काम वाइस-चांसलर ने अनियमितताओं का किया है, चाहे नियुक्तियों, के बारे में, चाहे लड़कों में आपस में भेदभाव पदा करने के बारे में, उस तरह का काम यदि मैं किसी सार्वजनिक संस्था में जाकर करता तो क्या मुझे सजा नहीं दी जाती? मेरा ख्याल है मैं जेल के अन्दर बन्द कर दिया जाता। कोई भी साधारण नागरिक इस तरह की हरकत करता तो बन्द कर दिया जाता, जिस तरह का भेदभाव, कत्ल करने का वातावरण, लाठी चलाने का वातावरण, वाइस-चांसलर और अन्य अधिकारियों ने वहां तैयार किया है। डा० त्रिगुण सेन जब वहां किसी जलसे में बोलने गए थे तो वाइस-चांसलर ने कह दिया कि हम ने आप को आनरेरी डिग्री के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली तब वह मुकर गए। रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है। किसी बड़ी कुर्सी पर बैठ कर कोई झूठ बोले तो क्या उसको सजा मिलेगी इस पर मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी राय बनाएं।

रही बात विद्यार्थियों की, वह एक बहुत बड़ा मसला है। न केवल बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जो वाइस-चांसलर्स की नियुक्तियां हो रही हैं उनमें अधिकांशतः अवकाश-प्राप्त लोगों की नियुक्तियां होती हैं। हाईकोर्ट के जो जज रिटायर हो जाते हैं वे वाइस-चांसलर बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन की रिटायर करने की उम्र साठ साल होती है अवकाशप्राप्त करके वाइस चांसलर बनते हैं। यहां पर भी जो शिक्षा और युवक सेवा मन्त्री हैं उनकी उम्र 50–60 की होगी और वह अपने को युवक सेवा मन्त्री कहते हैं। वे नौजवानों के विचारों को समझ नहीं सकते हैं। इन को युवक सेवा मन्त्री होने का कोई हक नहीं है।... (**व्यवधान**) ... किसी नई उम्र के आदमी को बनाइये, कर्ण सिंह होते या हरिकृष्ण होते तो दूसरी बात है। चूंकि अवकाशप्राप्त किए होते हैं इसलिए वहां पर बदइन्तजामी फैलती है। नई उम्र के आदमी नई चीज पसन्द करते हैं और पुरानी उम्र के पुरानी परिपाटी पर चलते हैं। इसमें द्वंद्व हुआ करता है जिसका नतीजा यह होता है कि अनुशासन के नाम पर लड़कों को अक्सर बदनाम किया जाता है। यूनिवर्सिटी से उनको निष्कासित किया जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी से आज कई लड़के निष्कासित हैं। एक साथ यूनिवर्सिटी यूनियन के तीन अध्यक्ष, राम वचन पांडेय, मजूमदार और सिन्हा, इन को अनुशासन के नाम पर निष्कासित किया गया है। यहां पर अनुशासन के नाम पर एक ही प्रार्थना करूंगा कि उस के दो पक्ष होते हैं। एक है अनुशासन तोड़ना स्वार्थ के लिए और दूसरा पक्ष है परमार्थ के लिए अनुशासन को तोड़ना। जो लड़का परमार्थ के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनुशासन तोड़ता है, मेरे जैसा आदमी उस लड़के का अभिनन्दन करता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लड़के परमार्थ के लिये अनुशासन तोड़ते रहे, जोशी साहब ने उनको निष्कासित किया और जिन्होंने स्वार्थ के लिए लगातार अनुशासन तोड़ा है, कहीं बाजार में गुंडई करके, कहीं

पर छुरा चला दिया, दामोदर सिंह और दूसरे लड़के, उनको विश्वविद्यालय में रहने का मौका मिला । तो यह गलत बात है । ऐसे ही अनुशासन समाज में लगातार नई उमर के लोगों को तोड़ना चाहिए इसलिये कि पुराने हुनर, पुरानी कला और पुरानी व्यवस्था से जब तक नफरत नहीं होगी नयी हुनर और नयी विद्या आ ही नहीं सकती । इसलिए अनुशासन यदि टूटता है तो शिक्षा मंत्री, वाइस-चांसलर या किसी भी आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिये । और जिन लड़कों को आपने निकाला है उनको वापस ले लीजिये ।

इसके साथ साथ जो लोग स्वार्थ के लिए अनुशासन तोड़ते हैं, डा० लोहिया हम लोगों को बताते थे और कहते थे कि हम विद्यार्थियों को सलाह देंगे कि अगर उन्हें रेल की जंजीर खींचनी है तो इसलिए न खींचें कि रेल उन के गांव के सामने से जा रही है, बल्कि इस-लिए खींचें कि रेल में 14 आदमियों के बैठने की जगह है और उसकी जगह पर 40 आदमी बैठ गये हैं और नरक बन गई है । उसको सुधारने के लिए खींचें । जंजीर खींचे, लेकिन सार्वजनिक फायदे के लिए खींचें, निजी फायदे के लिए न खींचें । वहां के विद्यार्थी दामोदर सिंह और दूसरे लोग जो कि अपने फायदे के लिए लड़कों की लूट करते हैं, कत्ल करते हैं, आनन्द कुमार नाम के लड़के को ,जिस दिन गजेन्द्रगडकर कमेटी की रिपोर्ट निकली, गेट पर 8,10 लड़कों ने घेर कर उनको पीट दिया । इससे विश्वविद्यालय का वातावरण ठीक नहीं हो सकता । इसके बारे में बुनियादि ढंग से सोचना होगा ।

हमने माननीय विभूति मिश्र जी को सुना । उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल विश्वविद्यालय से अलग रहें । मैं इनकी राय का अभिनन्दन करने वाला हूं अगर यह अपनी पार्टी के मिनिस्टर और दूसरे लोगों से कह दें कि यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों के बारे में, वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में ये लोग दखलंदाजी करना बन्द कर दें । वहां के टीचर्स, डीन्स, प्रिन्सिपल्स अपना वाइस-चांसलर बना लें और अपना इंतजाम चलाने लगें । आप लोग हट जाइये ।

यह सही है कि कुछ वहां पर राजनीतिक जमात ऐसी हैं, खासतौर से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा करूंगा, मेरा ख्याल है कि जनसंघ के लोग बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि यह लोग खुद कहते है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक जमात नहीं है और उससे इनका कोई रिश्ता नहीं है । सुना है कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो कमरे बने हैं । गजेन्द्रगडकर कमेटी में भी यह लिखा हुआ है, और मैं इस राय का हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन दोनों कमरों को गिराया जाना चाहिये या खाली कराना चाहिये, और न केवल बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, बल्कि जहां-जहां यह संस्था है, इसके बारे में मेरी यह राय है कि यह जमात इन्सान-इन्सान के बीच में मजहब के नाम पर नफरत की आग जलाती है । इसको देश भर में बन्द करना चाहिए । न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्कि मजलिसे मशवरात पर भी इस तरह की बन्दिश लगे ।

अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि बनारस यूनिवर्सिटी में दो फीसदी भी लड़के मुसलमान और हरिजन के नहीं पढ़ने जाते और केवल ऊंची जाति के लड़के ही वहां पढ़ने जाते हैं ? वहां कोई न कोई माहौल होगा । गेट पर लिखा हुआ है हिन्दू विश्व-विद्यालय । विश्वविद्यालय के माने क्या होते हैं ? विश्व माने दुनिया, विद्या माने हुनर और आलय माने घर । दुनिया भर के हुनर के घर का नाम हिन्दू के नाम पर रखेंगें, मुसलमान के नाम पर रखेंगें, ब्राह्मण के नाम पर रखेंगे, भूमिहर, क्षत्री,

[श्री जनेश्वर मिश्र]

केसरवानी, अग्रवाल के नाम पर रखेंगे तो वहां कोई तालीम अच्छी नहीं मिल सकती। अगर आपको तबदीली करनी है तो ये नाम हटाइये तब कहीं जाकर कोई रास्ता निकल सकता है।

आखिर में मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़घम पार्टी के लोगों से कहूंगा। जो लोग दूर से आते हैं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। यह सही है। वहां के गरीब लड़के हैं, जो आस पास के लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के लड़के ही थे जिन्होंने सन् 1942 में जब 10, 15 दिन के लिये अंग्रेज भगाये गये थे बलिया में तो उन्होंने जा करके वहां के आन्दोलन की अगुवाई की थी। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आन्दोलन का विश्वविद्यालय रहा है। और हमें आज भी खुशी है कि वहां के लड़के पुराने इन्तजाम को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जो कोई भी पुरानी व्यवस्था में पिछड़ा होता है कभी-कभी नई व्यवस्था का अगुवा बन जाता है क्योंकि उसको पुरानी व्यवस्था से कोई मोह नहीं रहता। तो लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का विद्यार्थी हिन्दुस्तान की किसी नई व्यवस्था का अगुवा बनेगा। उसकी अगुवाई के लिए राव साहब मौका दें।

अन्त म मैं कहूंगा कि विश्वविद्यालय अधिकारियों और विद्यार्थियों में आज एक तनाव की हालत है। लोग कहते हैं कि खून की नदी बह जायेगी जिस दिन यूनिवर्सिटी खुलेगी। ऐसे घुटने पर ढोलक बहुत लोग बजाते है, उसकी परवाह मैं कम करता हूं। लेकिन जो तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि तीन, चार दलों की एक मीटिंग होनी चाहिये। विश्वविद्यालय के अधिकारी, वाइस-चांस्लर, यूनिवर्सिटी यूनियन का अध्यक्ष, अभिभावक संघ कोई बनाकर उसका अध्यक्ष लिया जाय और वाइस-चांसलर वायदा कर दें, कि यह कमेटी जो फैसला कर देगी उसको हम मान लेगें। विद्यार्थी भी अन्डरटेकिंग दें और गार्जियन्स भी यह अन्डरटेकिंग दें इस कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में आज क्या हालत है? न केवल बनारस यूनिवर्सिटी में, बल्कि सारे भारत की यूनिवर्सिटीज में लड़का जब पढ़ने जाता है, मैं भी पढ़ने के लिय गया था जब, तो मेरे पिता की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरा लड़का कोई वहुत बड़ा हाकिम बनेगा। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद लड़के 4, 6 महीने फालतू घूमते हैं। कहीं काम नहीं मिलता है। किसी छटी जमात पास नेता के पीछे बी०ए० और एम०ए० पास लड़का सड़कों पर घूमता है तब कहीं जाकर क्लर्क बन गया। यह अनिश्चितता का वातावरण समाप्त होना चाहिये। जिस तरह आप लड़कों स लिखवाते हैं कि यूनिवर्सिटी के बने नियमों को मानना पड़ेगा, उसी तरह से आप भी लिखकर दीजिए कि जिस दिन लड़के डिग्री लेकर निकलेगें उन्हें काम दे दिया जायेगा। जब ऐसा किया जायगा तब अपने आप शिक्षा व्यवस्था में जो बदइंतजामी फैली है वह हल हो जायगी।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो घटनायें घटी हैं वे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं और अत्यन्त शर्मनाक भी। आज अगर महामना मालवीय जी जीवित होते तो सबसे अधिक दुःखी व्यक्ति होते, उस विश्वविद्यालय की हालत

को देख करके जिन आदर्शों के आधार पर उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो उनके मस्तिष्क में कल्पना थी और जिस लक्ष्य और उद्देश्य को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से वह प्राप्त करना चाहते थे। आज इस बात का दुख है कि विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उसके विपरीत बातें वहां हो रही हैं। इस विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति से न केवल पूर्वी क्षेत्र के लोगों में जिनका उससे गहरा सम्बन्ध है, बल्कि सारे देश में चिन्ता है। इसलिये कि इस विश्वविद्यालय का स्वरूप एक पूरा राष्ट्रीय स्वरूप था, देश के कोने-कोने से विद्यार्थी वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते थे और राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों की बहुत बड़ी देन थी इसलिये लोगों को प्रेरणा मिलती थी उस विश्वविद्यालय में जाने के लिये।

श्रीमन् मैं उन लोगों में से था जो हिन्दू विश्वविद्यालय में केवल इसलिये पढ़ने गये थे कि उसकी कहानियां सुना करते थे बचपन में किस प्रकार से वहां के छात्रों और वहां के अध्यापकों ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था, किस प्रकार से उन्होंने उत्प्रेरित किया था हजारों और लाखों लोगों को अपने कामों से। लेकिन आज दु:ख है कि वहां की स्थिति ऐसी है जिसके ऊपर हम सभी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। पिछले दिनों में उस विश्वविद्यालय की विशेष रूप से स्थिति बिगड़ गयी। उसका मुख्य कारण है कि वहां के छात्रों के अन्दर, छात्रों और अध्यापकों के बीच कभी-कभी संघर्ष होता है, कभी-कभी एक टेंशन की भावना पैदा होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से वहां के अध्यापकों के बीच में दो गुट हो गये। अध्यापक वहां जातिवाद के नाम पर, संकीर्ण विचारधारा के नाम पर, रूढ़िवाद के नाम पर, प्रतिक्रियावाद के नाम पर दो विभागों में बंट गये। दो विभाग हो गये अध्यापकों के और अध्यापकों ने अपनी गुटबाजी के लिये छात्रों को इस्तेमाल किया, वहां के विश्वविद्यालय के प्रशासन का इस्तेमाल किया, और दुर्भाग्य यह था कि पिछले जो वहां के वाइस-चांसलर थे वह इसके शिकार बने। गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से वाइस-चांसलर ने अपने पद और अपने कार्यालय का उपयोग अपने गुट के हित में और अपनी संकीर्ण विचारधारा के हित में उन्होंने किया। ताकि वह अपने को मजबूत बना सकें, अपने गुट को मदद कर सकें। उन्होंने बहुत सी नियुक्तियां कीं जो योग्यता के आधार पर नहीं थीं। उन्होंने बहुत से ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित किया जो विश्वविद्यालय के वातावरण को विषाक्त बनाने के लिये जिम्मेदार थे। उन्होंने इस प्रकार के झूठे और मनगढ़न्त आरोप केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री और शिक्षा मन्त्रालय पर लगाये जिनसे वह अपनी शक्ति को मजबूत कर सकें और अपने आरोप को सही साबित कर सकें। इससे वहां की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई और आज विश्वविद्यालय बन्द है। यह चिन्ता की बात है और मैं शिक्षा मन्त्री से कहना चाहता हूं कि अगर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान ढूंढना है और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को उसका पिछला गौरव प्राप्त कराना है तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से देश की सेवा करानी है, तो यह वही विश्वविद्यालय है जहां देश के अच्छे से अच्छे शिक्षा शास्त्री और अध्यापक रहे हैं, यही विश्वविद्यालय है जहां टेकनालाजी की साइंस की, मेडिसिन की, विज्ञान की, कला की और हमारी दूसरी भारतीय संस्कृति की बहुत सी फैकल्टीज हैं, यह उनका बड़ा भारी केन्द्र है, यही वह विश्वविद्यालय है जहां एक प्रांगण के अन्दर छात्रों और अध्यापकों को तमाम सुविधायें प्राप्त हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से वह बन्द है, अगर वहां की समस्याओं का निदान करना है, तो कुछ

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मौलिक बातें हैं जिन के ऊपर माननीय शिक्षा मन्त्री को ध्यान देना होगा क्योंकि यह केवल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ऐसी घटनायें घटी हैं।

12 hrs.

आज हमारा दुर्भाग्य है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनके कारण हमारी लड़कियां वहां निर्भीकता से निकल नहीं सकतीं, हमारे बच्चे अपने को आरक्षित महसूस करते हैं, वहां के अध्यापक आज महसूस करते हैं कि उनके ऊपर किसी भी समय आक्रमण हो सकता है, वहां पर पढ़ने वाले लड़के यह महसूस करत हैं कि किसी वक्त उनको गलत आरोप लगाकरके निष्कासित किया जा सकता है। वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इस बात की ओर हमारा ध्यान जरूर गया है, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि इससे शिक्षा के अन्दर एक बुनियादी प्रश्न जुड़ा हुआ है, चाहे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रश्न हो चाहे किसी दूसरी बात का प्रश्न हो। आज शिक्षा मंत्रालय को इन सवालों के बारे में हिम्मत से काम करना पड़ेगा। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर क्यों शिक्षा संस्थायें बनी हुई हैं। एक बार इसके लिये एक विधेयक भी इस सदन में आया लेकिन अजीब हमारा प्रजातन्त्र है कि थोड़ा सा दबाव पड़ा और उसको सरकार ने वापस कर लिया।

आज इस देश में हिन्दू के नाम पर विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, आज मुसलमान के नाम पर विश्वविद्यालय खुले हैं, अग्रवाल के नाम पर खुले हैं, ब्राह्मण के नाम पर खुल हैं, यादव और क्षत्री के नाम पर खुले हुए हैं। यह कलंक है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। रोज हम कहते हैं कि हम एक प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं, हम धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन यहां पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम विश्वविद्यालय और कालिज खोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर क्यां मन्दिर खोलने की इजाजत दी गई। काशी खुद मन्दिरों की एक बड़ी नगरी है, धर्म का वह बड़ा भारी केन्द्र है। वहां पर बहुत से मन्दिर थे। क्या जरूरी था कि काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में मन्दिर बने? क्या जरूरी था कि आप दुर्गा और देवी का मन्दिर शिक्षा संस्थाओं में बनायें। क्या इस के बाद हम धर्म-निरपेक्ष रह सकते हैं देश में? यह होने वाला नहीं है, यह विरोधाभास है, और इस प्रकार की कमजोरियां हमें प्रजातन्त्र से दूर करनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि देश ठीक हो, समाज ठीक हो, भविष्य ठीक हो, तो जरूरी है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों का शिक्षा संस्थाओं में अन्त हो। आज वहां पर आर० एस० एस० का जोर है। बतलाया जाय कि किन परिस्थितियों में आर०एस० एस०की बिल्डिंग बनी। आज मैं गजेन्द्रगडकर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत के साथ इस बात को कहा है कि केन्द्रीय सरकार को इसके लिये पहले से ही कदम उठाना चाहिये था। आज वह विश्वविद्यालय आर० एस०एस० का केन्द्र बना हुआ है। एक ऐसी संस्था का, जो प्रजातन्त्र के खिलाफ काम करती है, जो हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों को बरबाद करना चाहती है, वहां अड्डा बनाया जाय, उसके छात्र वहां शाखायें लगायें, उसके नाम पर हर प्रकार का उत्पात किया जाय, इसको बिल्कुल बन्द करना चाहिये। आर०एस० एस० की बिल्डिंग को विश्वविद्यालय के खुलने से पहले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण से हटाया जाय, इस बात की मैं मांग करता हूं।

पहली सितम्बर को आप विश्वविद्यालय को खोलने जा रहे हैं। अभी तक आपने किसी वाइस चांस्लर को नियुक्त नहीं किया

है । बगैर किसी वाइस चांस्लर को नियुक्त किये हुए अगर विश्वविद्यालय को खोल दिया गया और वहां के छात्रों और अध्यापकों में आपसी विश्वास और सहयोग की भावना पैदा नहीं हुई, जिन कारणों से विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई उन का निराकरण नहीं किया गया, तो फिर आप को दुबारा इस परिस्थिति का मुकाबला करना होगा और विश्वविद्यालय फिर से बन्द होगा । इस की मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं । आप छात्रों और प्राध्यापकों के बीच सद्भावना पैदा कीजिये ताकि वह महसूस करें कि हमें इस विश्वविद्यालय को और उस की सम्पत्ति को बचाना है, हम को मिल कर काम करना है । आज जो अविश्वास की भावना पैदा हुई है उस के सारे कारण दूर नहीं हुए हैं । आप वाइस चांस्लर को नियुक्त नहीं कर पाये हैं और विश्वविद्यालय को खोलने जा रहे हैं, यह दूसरा खतरा होगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर आप को विश्वविद्यालय दुबारा बन्द करना पड़ा ।

इस लिये आप किसी ख्याति प्राप्त शिक्षा शास्त्री को, ख्याति प्राप्त व्यक्ति को समझा बुझा कर, प्रार्थना कर के वहां वाइस चांस्लर बना कर भेजें । आज स्थिति यह हो गई है कि कोई आदमी जो अच्छा है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का वाइस चांस्लर हो कर जाने के लिये तैयार नहीं है । आज वह समझता है कि अगर मैं वहां गया तो मेरे खिलाफ आन्दोलन हो सकता है, मेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं और मेरा पूरे का पूरा केरियर बरबाद हो सकता है । ऐसी स्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पहुंच गया है । इस लिये आप किसी आदमी को यह समझा कर वहां भेजिये कि हमारा इतना बड़ा शिक्षा का केन्द्र आज बरबाद हो रहा है । आप उस को पहले नियुक्त कीजिये । वह वहां जा कर पहले छात्रों से मिले, प्राध्यापकों से मिले ताकि उन से मिलने के बाद वह ठीक से वहां पर काम कर सके ।

इस के बाद जो सुझाव मैं देना चाहता हूं वह यह है कि वहां के हमारे अध्यापकों और प्राध्यापकों को काफी शिकायत रही है क्योंकि वहां ऐसी नियुक्तियां की गई हैं जिन में योग्यता का ध्यान नहीं रक्खा गया है । अकेडेमिक केरियर का ध्यान नहीं रक्खा गया है तथा जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, उन्होंने कभी किसी गुट की मदद की थी इस गुटबाजी के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं । आप इस की जांच कराइये और आज इस बात का आश्वासन दीजिये कि ऐसे अध्यापक और प्राध्यापक, जो योग्य हैं जिनके अन्दर क्षमता है, इस गुटबाजी का शिकार नहीं बनने पायेंगे । उन के साथ न्याय होगा और उन के अकेडेमिक केरियर के आधार पर उन के प्रमोशन और नियुक्ति होगी तथा विश्वविद्यालय का वातावरण सुधारने की कोशिश की जायेगी ।

आप कार्यकारिणी और अकेडेमिक कौंसिल का निर्माण फिर से कीजिये और इस बात का ध्यान रखिये कि अब ऐसे लोग, जिन के ऊपर गुटबाजी के आरोप थे और जिन्होंने पिछले दिनों विश्वविद्यालय के वातावरण को बिगाड़ा है, वह इस नई कार्य समिति के अन्दर और नई अकेडेमिक कौंसिल के अन्दर कोई स्थान नहीं पायेंगे । जिन लोगों ने गुटबाजी की है और विश्वविद्यालय की स्थिति को बिगाड़ने में हिस्सा लिया है किसी जाति या बिरादरी के प्रभाव में, उन को विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं होगा केवल अकेडेमिक और आउटस्टैंडिंग केरियर के लोग ही एग्जिक्यूटिव कौंसिल में होंगे । गजेन्द्रगड़कर ने सही कहा है कि आप केवल शो बाडी ही नहीं बनायेंगे । आप ऐसे लोगों को भेजिये जो विश्वविद्यालय में दिलचस्पी लें, जो मीटिंग्स में जायें, जो वहां के प्रशासन को समझते हों और उस को सुधारने की कोशिश करें । मैं इस लिये यह कह रहा हूं कि जब तक यह कदम नहीं उठाया जाता, जब तक नई एग्जिक्यूटिव कौंसिल नहीं बन जाती, जब तक नई कार्यकरिणी नहीं बन जाती, आप

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के वाइस चांस्लर की, जो वहां का प्रधान होगा, नियुक्ति नहीं हो पाती है और आप विश्वविद्यालय खोल देते हैं तो विश्वविद्यालय के अन्दर एक आन्दोलन की स्थिति पैदा हो जायेगी ।

मुझे बतलाया गया है कि श्री जोशी ने 500—700 लड़कों की लिस्ट तैयार कर डाली है और उन्होंने इस बात की हिदायत दे रक्खी है कि यह लड़के विश्वविद्यालय में फिर से प्रवेश न लेने पायें, उन लड़कों को विश्वविद्यालय के अन्दर न आने दिया जाये । श्री जोशी के बारे में स्वयम् श्री गजेन्द्रगड़कर ने कहा है कि वह योग्य होते हुए भी इस बात के अयोग्य थें कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वाइस चांस्लर रहते हैं । उन्होंने सिफारिश की थी कि उन को वहां से हटाया जाये । ऐसे आदमी ने जो लिस्ट तैयार की है उस के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि लड़के किसी तरह से उन की तैयार की हुई लिस्ट के कारण किसी जातिवाद के शिकार न हो जायें और उन को भरती से रोक दिया जाये विश्वविद्यालय औ कालेजों के अन्दर अगर उन को रोका गया तो लड़कों के अन्दर एक असन्तोष पैदा होगा और फिर से आन्दोलन की नई बुनियाद पड़ जायेगी । इस बात का आप को ध्यान रखना चाहिये ।

अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने वहां के कुछ डीन्स को बुलाया है । ठीक है कुछ प्रयास आप कर रहे हैं । इस में हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन एक बात का ध्यान रक्खें कि केवल डीन्स को बुलाने से काम नही चलेगा । आप वहां के प्रमुख अध्यापकों और प्रोफेसर को बुलाइये और आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के सारे अध्यापकों से बैठ कर मिलिये, छात्र नेताओं से बैठ कर बात कीजिये । ऐसे बहुत से डीन्स थें जो एक गुट की गुटबाजी के शिकार हुये थे । आज सारे देश के अन्दर इस बात की मांग है और नई पीढ़ी आ रही है जो नई विचारधारा नये द्रष्टिकोण और नये सिद्धान्तों के लिये संघर्ष कर रही है । छात्रों के साथ इस प्रकार का द्रष्टिकोण कि अगर वह कोई बात करते हैं तो उन्हें अनुशासन के कोड़े मार कर ठीक किया जायेगा यह भ्रम पैदा कर रहा है । इस तरह से शासन व्यवस्था नहीं चला करती है । सारी दुनिया में बहुत से विश्वविद्यालयों के अन्दर छात्रों ने यह मांग की है कि उन को अपना वाइस चांस्लर नियुक्त करने का अधिकार दिया जाये । आज यूगोस्लाविया के अन्दर दो विश्वविद्यालयों में वहां के छात्रों ने अपने वाइस चांस्लर का चुनाव खुद किया है । उन को इस बात की पावर दी गई । मैं नहीं कहता कि आप आज इस बात को मान लीजिये । लेकिन इस प्रकार की बातें हैं जिन में छात्रों का सहयोग हो सकता है । छात्रों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व वहां की एग्जिक्यूटिव कौंसिल में हो अकेडेमिक कौंसिल में हो आप उन के साथ बैठिये ताकि उन को भी एक सेन्स आफ पार्टिसिपेशन महसूस हो । वह महसूस करें कि अगर विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी होनी है तो उस में हमारा सहयोग है । बिगड़नी है तो इसके लिए भी वे जिम्मेदार हैं । यह भावना विद्यार्थियों के अन्दर पैदा होनी चाहिये । आपने आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है । मैं चाहता हूं कि इसका भी कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मार्ग निकाला जाय ताकि विद्यार्थियों को साथ ले कर हम चल सकें ।

इस विश्वविद्यालय में जो स्थिति है उस पर सारे सदन में चिन्ता व्यक्त की गई है । मैं आपको अपनी ओर से तथा अपने सहयोगियों की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सम्भालने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए जो भी कदम उठायेंगे, उन कदमों में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, उनका हम पूरा पूरा समर्थन करेंगे । हम चाहते हैं कि हमारा यह विश्व-

विद्यालय खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करे ताकि देश की और समाज की तथा उस क्षेत्र की जनता की वह सही मानों में सेवा कर सके । इस विश्वविद्यालय के अन्दर बहुत सी टैक्नीकल इंस्टीट्यूटस हैं । आप से इसके बारे में अलग से भी बात हुई थी। एक जो इंस्टीट्यूट् है आई० आई० टी० उसको कुछ स्वायत्त अधिकार दिये गये हैं ताकि स्वतन्त्र रूप से विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर रह कर वह काम कर सके। उसको तोड़ने की कोशिश की गई केवल गुटबाजी में फंस कर । न्यायालय के आदेशों से उसकी वह स्थिति आज बनी हुई है । लेकिन इसके पहले कि न्यायालय दूसरा आदेश दे आप देखें कि विश्वविद्यालय की सीमा में रहते हुए उसके प्रशासन के अन्दर रहते हुए वह उन स्वायत्त अधिकारों का उपयोग कर सके, अपने काम को ठीक से कर सके ।

गजेन्द्रगड़कर रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी की गई है कि इसको केवल पोस्ट ग्रेजुएट सैंटर बनाया जाए। यह एक बेसिक सवाल है । अगर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ही इसको बनाना है तो जितने केन्द्रीय विश्व-विद्यालय हैं उन सब पर यह बात लागू होगी। जहां गजेन्द्रगडकर कमेटी ने दूसरी चीजों की जांच की है वहां उसने एक यह बुनियादी सवाल भी उठाया है और इस पर अपनी राय भी दी है । मैं समझता हूं कि यह मान्य नहीं होना चाहिये । वह विश्वविद्यालय ऐसा है जिस में दस बारह हजार लड़के जो दूर नहीं जा सकते हैं जो आसपास के हैं वहां अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सिस करते हैं इनकी स्टडीज के लिए भी जाते हैं । आप इस पर विचार करें इस पर सोचें और इसको फिल्हाल लागू न करें और इनका प्रवेश रोक न दें। यह एक बुनियादी सवाल है । अगर आपको इस सिफारिश को मानना है तो इसके ऊपर आप एक दूसरी कमेटी बिठायें वह इसकी जांच करे । लेकिन अभी किसी प्रकार का ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय खोलने से पहले आप कुछ ऐसे कदम उठा लें ताकि वहां सहयोग की, सद्भाव की, आपसी विश्वास की भावना पैदा हो और आप आश्वस्त हो जायें कि विश्वविद्यालय खुलेगा तो साल भर चलेगा । ऐसी स्थिति नहीं आ पायेगी कि उसको दुबारा बन्द करना पड़े ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैंने एक एमेंडमेंट दिया है । मैं कई रोज से कह रहा हूं कि मुझे मौका दिया जाये ।

श्री शिव नारायण : हमें समय मिले तो बैठें नहीं तो दूसरा काम करें । We are teachers; we know the ins and outs.

अध्यक्ष महोदय : आप ह्विप के पास जायें ।

श्री शिव नारायण : आप इस हाउस के मालिक हैं । The Whip will ignore us, but you should not ignore us.

अध्यक्ष महोदय : शिव नारायण जी को वापिस ले आयें । उनको बुला लेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है, उसे देख कर आज देश के प्रत्येक नागरिक का हृदय बड़ा दुखी है । यह वह संस्था है जिस का हम ने परतंत्रता के युग में निर्माण किया था, हम ने इस कल्पवृक्ष का विकास किया था । हमारा यह मनोरथ था कि इस पर लगे हुए फूलों से और इस पर लगे हुए फलों से, उनकी सुगन्धी से, उनके अमृतरस से हमारा राष्ट्रीय जीवन सिंचित होगा और हमारे राष्ट्रीय जीवन को एक बहुत बड़ी शान्ति और बहुत बड़ी प्रगति मिलेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि परतंत्रता के युग में इस संस्था से और इस कल्प वृक्ष से हमारी आशायें बहुत दूर तक पूरी भी हुईं । परन्तु उसके साथ साथ आज यह देख कर हृदय में बड़ा क्लेश होता है कि जिस वृक्ष का हम ने विकास किया था

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

परतंत्रता के युग में, आज स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के युग में, उस कल्प वृक्ष का विनाश हो रहा है और वह मुर्झा रहा है।

बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। मैं समझता हूं कि गजेन्द्रगडगर समिति की सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर कोई निष्कर्ष वहां की व्याधि का और बीमारी का निकाला जा सकता है तो एक ही निकाला जा सकता है कि वहां जो बीमारी फैलाई गई है, जो उपद्रह खड़े किये गये हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण है और वह कारण यह है कि वहां पर सब राजनीतिक दलों और पार्टियों के बिल्ले लिये हुए जो लोग विद्यार्थी नेता हैं, उन्होंने ही संघर्ष की स्थिति पैदा की है और झगड़ा पैदा किया है। उसी कारण से वहां का वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इस सारी रिपोर्ट में तीन चार विद्यार्थियों के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, कहीं तो मजुमदार का नाम पढ़ने को मिलेगा, कहीं एन० पी० सिन्हा का कहीं रवी शंकरसिंह का और कहीं दामोदर सिंह का वस्तुस्थिति यह है कि वाइस चांसलर जोशी वहां की परिस्थिति को देख कर उसके चंगुल में फंसे। पहले तो वह मजुमदार के चंगुल में रहे। मजुमदार वह विद्यार्थी है जो समाजवादी युवजन संघ का नेता है। वह विद्यार्थी यूनियन का वाइस प्रेजीडेंट और कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी था। जोशी जी उसके सहारे सारा काम निकाल रहे थे। थोड़े दिन चलने के बाद जब उन्होंने देखा कि इस विद्यार्थी नेता का हौसला बहुत अधिक बढ़ रहा है, और वह वहां पर इतना ज्यादा हावी हो रहा है, उसकी शक्ति इतनी बढ़ रही है कि मैं उसको साथ लेकर नहीं चल सकता तब उन्होंने अपना कांटा बदला और कांटा बदल कर दूसरे विद्यार्थी नेता दामोदर सिंह जो कि आर० एस० एस० के बताये जाते हैं, उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा। उसको उन्होंने गले लगाया और मजुमदार के मुकाबले में उसका नेतृत्व खड़ा करने का प्रयत्न किया। इस सारी कहानी का एक ही मतलब है। चाहे युवजन समाजवादी दल हो, चाहे एन० पी० सिन्हा की सी० पी० आई० हो या दामोदर सिंह का आर० एस० एस० हो और चाहे कोई कांग्रेस के नेता हों, सब को यह निश्चित करना पड़ेगा, सब को राजनीतिक दलों से अपील करनी पड़ेगी कि अगर वे चाहते हैं कि हमारी संस्थायें ठीक से चलें तो वे इनकी तरफ नहीं देखेंगी। जैसी आज इस विश्वविद्यालय की स्थिति बन कर हमारे सामने आई है, अगर हम चाहते हैं कि ठीक से वहां जो रोग है उसका निदान हो तो हम सब को फैसला करना चाहिये कि कम से कम कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल का नेता बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की तरफ नहीं देखेगा, उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

आप देखें कि राजनीतिक दल किस तरह से चालाकी से काम करते हैं। लड़ाई वहां राजनीतिक दलों की है लेकिन इस लड़ाई को साम्प्रदायिक रूप दिया जा रहा है, इसको साम्प्रदायिक लड़ाई बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह बात कही जाती है कि वहां साम्प्रदायिकता है तो फिर तो आप को इस देश की भूमि में कोई एक इंच जगह भी नहीं मिलेगी जहां साम्प्रदायिकता न हो, जो साम्प्रदायिकता से शून्य हो। कल हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि चोरी करते हुए मकबूल पकड़ा गया। मकबूल के साथ जो ज्यादती हुई, हम उसकी निन्दा करते हैं, हम सब की उनके साथ सहानुभूति है। हम महसूस करते हैं कि उसकी हत्या जिस तरह से की गई वह दर्दनाक कहानी है। लेकिन एक सदस्य ने कहा कि जब वह पकड़ लिया गया और यह पता चला कि वह मुसलमान है तो उसको जान से मार दिया गया। उन्होंने इसको साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। अगर उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा होता, इसकी फाइंडिंग्ज को पढ़ा होता तो उनको पता चल जाता कि उनकी बात कितनी निराधार है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है :

"From the evidence before us, we are satisfied that the assault on Maqbool had nothing to do with the community or religion of the victim."

साफ कहा है कि मकबूल की हत्या जो है उसमें उसके पीछे उसके मजहब का, उसकी जाति का कोई भी कारण नहीं है। इसके बावजूद भी यहां कहा जाता है कि उसकी हत्या इस कारण कर दी गई कि वह मुसलमान था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लड़कियों को छेड़ा गया वे किस कौम की लड़कियां थीं? अगर दुर्भाग्य से उनमें कोई मुसलमान लड़की होती तो आप अवश्य कहते कि मुसलमान लड़की के साथ यह किया गया। असल में बात यह नहीं है। बात यह है कि गुंडे लोग जब गुंडापन करते हैं, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, तो वे कोई डिसटिंकशन नहीं करते हैं, कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं करते हैं। यहां खड़े हो कर इस तरह से इस चीज को रंग देना और इस तरह से कलंक को और अपराध को धो देना और इसको दूसरा ही रंग देना उचित नहीं है। अगर यही तरीका रहा तो विश्वविद्यालय का जो रोग है उसका निदान नहीं खोजा जा सकेगा। मैं कहूंगा कि सभी पोलिटिकल पार्टीज अपने दिल पर हाथ रखें और देखें कि उनका क्या रोल रहा है। जो षड्यंत्र चलते हैं, जो साजिशें चलती हैं, उन से इस संस्था को बचाना होगा।

कुछ विद्यार्थी वहां निकाले गये, कुछ को दुबारा दाखिल किया गया, कुछ को किसी ने निकाला, कुछ को किसी ने दाखिल किया। दोनों तरफ से गलती हुई! लेकिन समिति ने कहा कि जो तीन विद्यार्थी निकाले गये, उसमें प्रोसीजरल गलती जरूर हुई लेकिन नीयत की गलती नहीं थी, जो अपराधी थे वही निकाले गये। ऐसी स्थिति में किस मुंह से यहां खड़े हो कर कहा जाता है और इन विद्यार्थियों का समर्थन किया जाता है, समझ में नहीं आता है। जो सारे वातावरण को बिगाड़ रहे थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी को बरबाद कर दिया, उनको जब निकाला जाता है तो यहां उनकी बकिंग की जाती है, उनका समर्थन किया जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है। ऐसी अवस्था में यह विश्वविद्यालय शान्तिपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता है, वहां शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है, वह चल नहीं सकता है शान्ति से।

समिति ने कुछ सिफारिशें भी की हैं, सुझाव भी दिये हैं। उसने कहा है कि अगर रोग का उपचार करना है तो विद्यार्थी यूनियंज पर पाबन्दी लगानी होगी। आपको हिम्मत कर तय करना होगा कि विद्यार्थी यूनियन में कोई विद्यार्थी जो राजनीतिक दल से सम्बद्ध रहा हो, आ नहीं सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विद्यार्थी यूनियन में ऐसा कोई छात्र नहीं आ सकेगा, जो दो बार फेल हो चुका हो या जो बराबर फेल होता रहा हो या जिस को बाहर से आर्थिक सहायता मिलती हो। मंत्री महोदय को इस बात का प्रयत्न करना होगा कि विद्यार्थी यूनियन राजनैतिक दलबन्दी और जातीयता से दूर रहे।

डा० गजेन्द्रगडकर ने इस विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाये रखने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं, जिन में से एक यह है कि उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत केवल पोस्ट-ग्रेजुएट, टेक्निकल और प्रोफेशनल कालेज रहें और अन्य सब कालेज बन्द कर दिये जायें। मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। समय कम होने के कारण मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि डा० गजेन्द्रगडकर की रिपोर्ट का यह सुझाव कभी भी मान्य नहीं होना चाहिये। अगर इस सुझाव को कार्यान्वित किया जायेगा, तो उस विश्वविद्यालय का सारा स्वरूप ही समाप्त हो जायेगा।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अफ़सोस है कि विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाये रखने की आड़ में हिन्दी का भी विरोध किया जाता है। माननीय

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

सदस्य, श्री कन्डप्पन, इस समय सदन में नहीं हैं। हमारी मुश्किल यह है कि डी० एम० के० के माननीय सदस्य जब भी यहां खड़े होते हैं, सदन के सामने चाहे कोई भी विषय हो, वे उसमें किसी न किसी प्रकार हिन्दी के प्रश्न को भी ले आते हैं और सारा दोष हिन्दी पर ही थोप देते हैं। मुझे ख़याल आता है कि अगर किसी दिन इस देश को चन्द्रमा पर अपना कोई आदमी भेजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे डर है कि डी० एम० के० की तरफ से यह शर्त लगाई जायेगी कि कोई हिन्दी बोलने वाला चन्द्रमा पर नहीं भेजा जाना चाहिये।

माननीय सदस्य यह क्यों भूल जाते हैं कि जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, यह विश्वविद्यालय स्थित है, यह स्वाभाविक और आवश्यक है कि उस देश और उस क्षेत्र से ज्यादा लोग उसमें आयेंगे और उससे फायदा उठायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय रूप बनाये रखने के नाम पर हिन्दी का विरोध किया गया और उसमें इंगलिश को रखने का प्रयास किया गया—मुझे आशा है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय के रहते ऐसा नहीं किया जायेगा—, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत का एक एक व्यक्ति उसका विरोध करेगा और इस प्रयत्न को कभी भी सफल नहीं होने देगा।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने सीधे और स्पष्ट रूप से जो आश्वासन दिये हैं और सारी बातें कही हैं, आजकल का कोई भी राजनैतिक मंत्री वैसा नहीं कर सकता है। आज स्थिति यह है कि पता नहीं इस सरकार में सुबह कौन मंत्री रहे और शाम को कौन रहे। मैं चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहें। उनके हाथों में इस विश्वविद्यालय के हित सुरक्षित है। मैं कहना चाहता हूं कि यह उनकी भी परीक्षा है। यह देखा जायेगा कि वहां कैसा वाइस-चांसलर नियुक्त किया जायेगा और किस प्रकार के नामीनेशन होंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिये मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहना होगा। अगर विश्वविद्यालय में यही वतावरण रहा, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की यही स्थिति रही और वहां पर इसी प्रकार जातीयता और राजनीति जारी रही, तो फिर चाहे किसी को आसमान उतार कर भी उपकुलपति बना कर भेजा जाये, वह सफल नहीं हो सकेगा। फिर माननीय सदस्यों को भी कहना पड़ेगा कि इसमें डा० जोशी का दोष नही था, बल्कि उस विश्वविद्यालय के वातावरण का दोष था।

अगर उस संस्था को चलाना है और वहां के उपकुलपति को सफलता पूर्वक काम करना है, तो पहले वहां का वातावरण शान्त बनाना होगा, वहां की स्थिति को सुधारना होगा, जातीयता को वहां से खत्म करना होगा और राजनैतिक षड्यंत्रों को हटाना होगा।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने तीन दिन पहले अपना नाम दिया था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब समय बहुत कम है। जिन सदस्यों ने एमेंडमेंट्स दिये हैं, उन्हें क्लाज-बाई-क्लाज डिसकशन में मौका दिया जायेगा। सब सदस्यों को मौका नहीं मिल सकता है। अब मैं मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिये बुलाता हूं।

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya): Before you proceed further....

MR. SPEAKER: If I proceed further, I will have to go by the list. You have sent your name very late. You should have sent it earlier....

SHRI S. M. KRISHNA: Just five minutes.

MR. SPEAKER: I am sorry.

The hon. Minister.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY (Hoshangabad): Sir, before the Minister replies, I would like to put two questions so that he may refer to them in his reply.

MR. SPEAKER: Later on, not now.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): Mr. Speaker, Sir.

MR. SPEAKER: You will reply to both the resolution and the Bill.

DR. V. K. R. V. RAO: As I said before, I am entirely in your hands. But I believe that there will be a third reading after this. When we consider it clause by clause and even after hon. Members make any suggestions, I presume I have to say something in reply. As far as present time is concerned, I shall try to be as brief as possible with the different points that have been made in view of the tremendous pressure on our time, I will try my best not to speak at any length.

MR. SPEAKER: Only very briefly.

DR. V. K. R. V. RAO: I will try my best to be brief.

I would like to clear some misunderstandings which I found are looming large in the speeches of several members. Several members asked me as to why I have abandoned the principles of elections, do I not believe in the principles of democracy how can we have a nominated executive and a nominated court. I think first of all the whole reason why the Gajendragadkar Committee recommended a nominated Court and a nominated Executive Council was that they said that the atmosphere in the University at the moment is such that everybody is involved in some manner or other and it is very important to create a new climate and a new atmosphere and, therefore, there should be no people on the Executive Council or on the Court who are involved either with one group or one caste or another. This is the reason why the Committee said that as an immediate and short-term measure there should be nominated Court and a small nominated Executive Council and a new Vice-Chancellor. Exactly the same thing was done in the case of Aligarh University because similar circumstances happened there and unrest was also there. There also all the elected bodies were replaced by nominated bodies. Unfortunately, in the case of Aligarh University the nominated bodies continued much longer than they should have. In this case the Gajendragadkar Committee themselves said that under no circumstances these nominated bodies should last more than three years. I have accepted that. Not only that I have gone even beyond that and I have given an assurance that I shall try my best to bring a comprehensive legislation for reconstituting the Banaras University as quickly as possible. Only I have to wait because all these recommendations they have made, the long-term recommendations to which several members have referred, require a study in depth. Several members said that they are not in agreement. I myself am not sure if I should agree with many of the long-term recommendations, but I do agree that they require a great deal of study in depth. And I am also waiting for the report of the Committee appointed by the University Grants Commisison to go into the governance of the Universities. Then, my friend, Mr. Misra referred to students' participation. I am sorry I canont become young but I am quite prepared, if the hon. Member so feels, to write a letter to the Prime Minister to suggest that a young man

[Dr. V. K. R. V. Rao]

who has come into Parliament desires that an old man of sixty should not be in charge of the Department of Youth Services. I shall be glad and if he feels so, I am quite prepared to convey that suggestion to the Prime Minister. (*Interruptions*) I do not want to digress any more on this. Sir, if you will permit me, I would like to clear some misgivings of hon. Members.

Sir, in this connection, I want to point this out. I want to make it clear that my life and work has been an open book for any body to see. In whatever job I had been caught I have been putting in very very hard work—wherever I had been very much at the expense of my health. I get no special glory from sitting here as Minister. I look upon this as an oportunity for service, as an opportunity for hard work, for the country. I want to tell this House again and again that my career is behind me. I still have some years of useful service and useful work to render to the country. If hon. Members of this House either in my party or outside in large numbers seriously and genuinely believe—not for purposes of parliamentary debate, but if they really, genuinely and seriously believe—that a person like me should not be in this place I am quite prepared to go. From time to time somebody comes and tells me something or the other. The other day somebody told me; 'Sir, you are against democracy. You got into Parliament by election. And because you are an elected M.P., you became a Minister. Now you want to remove elections from the university." After all, I am a Minister, and I know I am putting in double the work and I am working at the expense of my health. I know it. I am now doing double the work which I did even as Vice-Chancellor. After all what I am doing is for the country and the country is important. May be, I have got some experience; may be, I have got some knowledge, may be some integrity may be some dedication. And, I want to devote them for the service of the country—not because I enjoy flying a flag or having a policeman to escort me.

It may be that I am too sensitive for politics, but I want to say this to the House. I have not asked for the permission of the Prime Minister to say this, but I want to say this. If large Members of Parliament in the congress party or outside genuinely feel that I am not doing a good job and that I should not be here I will not wait for a vote of no-confidence to be passed in the congress party, but I am quite prepare dto go and tell the Prime Minister that I cannot function in this job. I am sorry to say all these things. I did not want to say these things.

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं शिक्षा मंत्री से अर्ज करूंगा कि कम से कम अवकाश प्राप्त लोगों को वाइस-चांसलर न बनाएं ।

DR. V. K. R. V. RAO: That is a different matter. So, I want to make it clear that as far as elections are concerned the new Banaras Hindu University Act will be based on elections. There is no question of nominations being the basis of the structure of the university. And as soon as we get the U. G. C. Committee's report we shall try this, as I said, if possible by the winter of 1970-71 both in Aligarh university as well as in the Kashi Vishwa Vidyalaya; and we will try to bring in a comprehensive legislation.

I want to bring in students' participation but it will take time. Even Mr. Madhu Limaye's Bill is under circulation. It is being circulated for public opinion. It will come back I think sometime in March next year. The U. G. C. also is considering it. I am also thinking about it. In fact, I may tell the hon. Member who comes from Pandit Jawaharlal Nehru's constituency, that I had spent one whole hour this morning with

the Deans of the various faculties of the Banaras Hindu University and I wish the hon. Member had been there eavesdropping; I wish he had heard what I had told them about students' participation, about the new wind that is blowing in the university, about the need for teacher-students relations, about the need for proper dialogues and so on.

Only, Sir, I do not want to shout in public. I do not want to attack anybody in public. I do not want to condemn anybody in public. It has been my experience, Sir. Though I am not a Gandhian in the professional sense—it has been my experience as an administrator and as an educationalist——that the Gandhian way is the way of not making allegations, the way of not scribing motives, taking people's bonafides appealing to the best in them etc. That is the method I am going to follow. I am not trying to which hunt anybody or punishing people or being vindictive. If a given situation is there I want to carry all the people that I can with me consistently with the extent to which society will permit me to do so. Therefore, I want to assure this House as well as the young Member who spoke from that side of the House that student participation is not being neglected, but we cannot bring it in suddenly in a temporary Bill of this nature. This is only a stop-gap measure which is being brought in for the purpose of giving us time to do all the more important things that are required. We cannot introduce all the various reforms in this Bill. But I want to go on record as saying that I am all for democracy. I do not want a university to be run on the basic of nominations. I do not think that this measure will last for more than a period of three years which is the maximum. I shall try my best to see that it is finished much earlier than the period of three years.

There were one or two small misunderstandings about this question of the RSS using the building. Somebody said 'Why don't you show courage? Why don't you get it destroyed?' Sir, do not go about destroying buildings. But I would like to tell the House that the Government of India in the Ministry of Education had taken up this question of the occupation of this building by the RSS authorities. Negotiations have been going on, and a member of the executive council was specially appointed to negotiate for the purpose of this building being vacated, because it is not a building owned by the RSS but only used by the RSS. Negotiations have been going on, and the RSS people themselves with whom discusions were carried on recognised that if this was used by them, then all other cultural movements and semi-cultural movements also would claim to have their own buildings in the university campus, and this might give rise to considerable trouble and so on. So, negotiations are going on to have the building vacated, I would like this question to be resolved peacefully. I do not want to become a hero by saying 'I shall order the destruction of this building; have some blood-shed, have some shooting and have some murders and so on'. That is not the way that I can function. I would like to deal with this problem, and I am taking up this question, and I hope that with the goodwill of the people in the RSS organisation and other political parties, we shall be able to find a proper solution of this particular problem as quickly as we can.

श्री झारखंडे राय (घोसी) : अगर पीस-फुल तरीके से हल नहीं हुआ तो फिर तो कार्यवाही करेंगे न ?

DR. V. K. R. V. RAO: I do not want to refer to the points made by my hon. friend Shri Jharkande Rai, because it will take time; I shall talk to him privately about his own speech, and not here, because if I do so here

[Dr. V. K. R. V. Rao]

it will take time. But I want to tell him that I have got some respect for him and that is why I want to talk to him privately about this matter. I do not want to deal with it in a party manner.

There has been a lot of misunderstanding and also apprehension about the Institute of Technology. There has been a feeling that this Institute might be closed. This Institute was started in the University; then the Vice-chancellor and the executive council passed a resolution that it should be stopped. Now, the court is keeping it running. There is a very strong feeling among many people that this Iinstitute should continue. I have already told the House that this Institute will continue. It is true that the statute has got to be amended. The statute which they have sent is not in perfect order. The statute has got to be changed. The moment the Bill is passed and the new nominated executive council comes into existence, they have the power to put forward proposals for amending this statute, and we would suggest to them what amendments should be made. But the Institute will continue and there will be no question of the Institute being closed.

I was a little sorry that my hon. friend Shri S. Kandappan for whom I have got, if I may say so, a considerable amount of affection should have talked of the gentleman Dr. Udupa, who is a very distinguished man, and whom my predecessor in this office appointed as the Rector of the university when he was vice-chancellor, and said that he awarded himself the MBBS degree. I would again and again beg of this House that we do not enhance the prestige of the academic profession by denigrating people. I have said this before in this House. We politicians can say anything we like about each other, and it passes off our back as water passes off the back of a duck. But when we are dealing with professors, vice-chancellors, professors and academic dignitaries and so on, we are dealing with people who live in ivory towers and who are not used to the rough and tumble of political life. When we denigrate them and it gets published in the papers, it has a very bad moral effect. People laughed when it was said that he awarded himself the MBBS degree. But actually this particular gentleman has got high academic distinction. He is a Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery from the Banaras Hindu University. When the students of the Ayurvedic college were in great trouble, they demanded that he should be appointed there, and he was the only person in whom they had confidence, and therefore he was brought there and he has been running the college very well. He is also a Master of Surgery from the Michigan University. He is also a Fellow of the Royal College of Surgeons Canada. He has been doing good work there and he enjoys a very good reputation also, and Dr. Triguna Sen had appointed him as the Rector, when he was the vice-chancellor there. If in respect of a person like that, my hon. friend, says that he awarded himself the MBBS degree it may sound funny all right, but the result of it is denigration and denigration of the teachers does not bring about academic peace or result in academic advancement.

A question has been asked whether the expelled students can be re-admitted. It is not at all an easy question to answer. Somebody said 'Be courageous'. I do not want to flaunt my courage. But within my own limits, I shall see what I can do. I am not a soldier; I am not a Punjabi; I am only a miserable man from the south; I also belong to the non-warrior caste. But, nevertheless, within my own limits, I have got a reasonable amount of courage. It is not a question of fear at all. **But I would**

like to tell my hon. friends that undoubtedly there was some procedural irregularity. I wish the hon. Members would also read what the committee themselves have said namely:—

"At this stage, we would like to make it clear that though we have commented on the procedure followed by the Vice-Chancellor in passing orders of expulsion against Mr. Majumdar, Mr. Ravi Shankar Singh and Mr. Sinha, we do not at all approve of their conduct in surrounding the vice-chancellor's car delivering several violent speeches and instigating the commission of violent acts on the University campus during the period that they were leading the agitation against the vice-chancellor. A large body of evidence given before us by witnesses whom we see no reason to disbelieve referred to these activitis of these three student leaders. From this evidence we are satisfied that they became power conscious and did try to throw their weight about. This, in our view, is not at all conducive to the maintenance of discipline on the University campus and the steady pursuit of academic work....On December 6 and 7, several acts of violence and hooliganism were committed on the University campus and it is not unlikely that they were committed by supporters of Mr. Majumdar and Mr. Sinha in order to bring home to the vice-chancellor their strength particularly because the expulsion orders passed by the vice-chancellor against the three students were very much resented by their friends.".

So, it is not all white and black. It is most important when we are trying to create an atmosphere of discipline and good-will that nothing should be done to spoil that. I can assure the House that any decision that we take will not be based on either pressures or cowardice or bravado but it will be based on the best judgment that we have, and with a view to see that the university gets re-created in the image in which it was started by the late Pandit Madan Mohan Malaviya.

I do not think that I should go into the other points. But I would request my hon. friend who has moved the statutory resolution not to press it, because I am not extending the ordinance at all beyond the period for which it is required. One hon. Member said 'Don't reopen the university till you appoint a vice-chancellor.' How can I appoint a vice-chancellor before the Act is passed? The Bill has to be passed into an Act, then the selection committee has to be appointed, and then the man has to be selected and he has got to be appointed. So, why should anyone try to say 'Oh, there will be explosion in the university I have been telling everybody to try to create an atmosphere where the university will reopen in a peaceful kind of way. I am trying to talk of all the teachers also, and I propose also to issue and appeal to the students, and I think all the Members here should also help in this. If anyone says 'Don't open, there will be explosion', then we would only create that impression in the people's mind thereby. So, I would beg of my hon. friends for one thing; I know that all political parties, whatever their party politics, and all those Members who come from UP and Bihar and who also belong to India have got respect for the Banaras Hindu University, irrespective of their personal party affiliations, and I am sure that they are all anxious that the university should reopen and function properly. I hope that nothing will be said in this House which will in any way disturb the proper reopening of the university.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस निरनुमोदन के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के द्वारा विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

[श्री श्रीचन्द गोयल]

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा जब यह प्रश्न इस सदन के सामने आया कि क्या गजेन्द्रगडकर कमीशन उपकुलपति के कंडक्ट के बारे में विचार कर सकता है, उस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे---डा० त्रिगुण सेन--- उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि गजेन्द्रगडकर कमीशन उनके कंडक्ट के सम्बन्ध में विचार नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में इसमें गोल माल करके इस कमीशन ने उनके कंडक्ट के बारे में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र उन के पास न होते हुए भी अपनी राय दी है। मैं यह समझता हूं कि उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर श्री जोशी ने जो इस प्रकार के कदम उठाये, क्योंकि वहां पर अनेकों इस प्रकार के गबन की शिकायत थीं। गबन के जिन मुकदमों को दबा दिया गया था, वे साहस करके उनको प्रकाश में लाये और उन मामलों को पुलिस में दिया। इसलिये जिन भाइयों को उन से दु:ख हुआ, हानि हुई, क्योंकि उनके गबन की बात रोशनी में आयगी--इसलिये उनके हृदय आज तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं और यू० पी० के रहने वाले होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का यहां प्रयोग किया। मंत्री महोदय ने प्रार्थना की थी कि हम इस प्रकार की भाषा या विचारों का उपयोग न करें जिससे विश्वविद्यालय का काम आगे चलाने में कठिनाई उपस्थित हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां हमारे माननीय सदस्यों ने, जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ इस मामले में निहित हैं, उन्होंने बिना किसी आधार के यहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को झाड़ने और बदनाम करने की कोशिश की है ..... (**व्यवधान**) ...

हमने भी आपकी बातें सुनी हैं, आप भी हमारी बातें जरा दिल खोल कर सुनिये। वहां पर हमारा एक भवन है---मंत्री महोदय ने उसके सम्बन्ध में उचित बात कही है कि उसके सम्बन्ध में बातचीत हो रही है कि यह भवन कब बना। यह भवन तो मालवीय जी के समय से है, जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तब से है और बाद में जब वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियां चलने लगीं, तभी से दो कमरों का भवन उस के प्रयोग में आ रहा है, 1934 से लेकर आज तक आता रहा है। इस पर न किसी के कब्जे का सवाल था, तो इस विश्वविद्यालय के जो जन्मदाता थे, उन्हीं के द्वारा दो कमरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गति विधियों के लिये दिये गये थे .....

श्री जनेश्वर मिश्र : कहीं कोई लिखा-पढ़ी थी ?

श्री श्रीचन्द गोयल : पं० मदन मोहन मालवीय इस बात में विश्वास रखते थे, पहचानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिये हैं, देशभक्ति की भावना निर्माण करने के लिये हैं। हमारे मित्र चन्द्रजीत यादव यहां से चले गये हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साम्प्रदायिकता की भावना को फैलाने का प्रयत्न करता है। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बारह-खड़ी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिये वह इस प्रकार की भाषा में बोल रहे थे। हम वह लोग हैं, जिन्होंने 15-20 साल तक उस संस्था में मिशनरी के तौर पर काम किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं---जम्मू-काश्मीर के अन्दर जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस समय हमारी सेनाओं के वायुयान गलती से गोला-बारूद की 16 पेटियां दुश्मन के क्षेत्र में डाल आये थे और इस बात का खतरा था कि यदि इन पेटियों को अपने इलाके में नहीं लाया गया, तो दुश्मन उनका उपयोग करके हमें

हानि पहुंचा सकता है । उस समय हमारी सेना के जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने अनेकों संस्थाओं से सहायता लेने की कोशिश की, वहां पर जो कांग्रेस का कार्यालय था, वे उस में भी गये और कहा कि कोई इस प्रकार के स्वयं सेवक या वालंटीयर दे सकते हैं जो वहां से पेटियां उठा कर ला सकें, लेकिन सब ने जवाब दे दिया, सेना के लोग भी इस को साहस के साथ करने को तैयार नहीं हुए, तब वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में गये और उन्होंने अपने 20 नौजवानों को इस काम के लिए भेजा, जो 4 मील तक पेट के बल रेंगते हुए गये और गोला-बारूद की 16 पेटियों को उठा कर लाये ।

आप तो, अध्यक्ष महोदय, सीमा के पास के रहने वाले हैं । आपको पता है कि जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस समय आक्रमण के समय बिलकुल सीमा के पास जाकर किन लोगों ने कैन्टीन खोली थीं, किन लोगों ने उस मौके पर सेना की सब प्रकार से सेवा की थी । बड़े बड़े, अधिकारी इस बात को मानते हैं कि उस समय एक ही संस्था थी---राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ---जिसने आगे बढ़ कर अपनी देश भक्ति का परिचय दिया था, अपने नौजवानों की जान की बाजी लगा कर वहां पर खड़ा किया था। आज जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देशभक्ति का प्रश्न आता है--- उनके अन्दर जिस देशभक्ति की भावना और चरित्र का निर्माण किया गया है, वह उन के सहारे का काम करता है .....

अध्यक्ष महोदय : इस समय समस्या विश्वविद्यालय की चल रही है, उस के दरमियान इस चीज़ का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : सब लोग इसी प्रकार से बोले हैं । आप यहां सदन में नहीं थे, कांग्रेस दल के लोग और एस० एस० पी० के लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक यूनीवर्सिटी का सवाल है उसको रेफरेन्स के तौर एलाऊ कर दिया गया होगा । लेकिन आप तो देश की सीमा तक पहुंच गये हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या का स्वरूप क्या है ? समस्या केवल इतनी है कि कुछ राजनीतिक दल वहां के विद्यार्थियों को अपना साधन बनाना चाहते हैं । अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए वे विद्यार्थियों क उपायोग करना चाहते हैं आन्दोलनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके रास्त में जो वहां के मुख्य रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थियों हैं वे बाधा उपस्थित करते हैं वे इनको इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं। काशी विश्वविद्यलय के विद्यार्थियों को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हुल्लड़बाजी करने वाले गुंडागर्दी करने वाले वाइस चांसलर के घर पर आक्रमण करने वाले और वहां के वायु मंडल को विषक्त करने वाले और दूषित करने वाले तत्वों का मुकाबला किया और उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं । आज उन लोगों को दिखाई देता है कि उनकी दूकान उठ रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में गवाही का हवाला देकर क्या कहा गया है । इसके पेज 75 पर श्री हृदयनाथ कुंजरू की शहादत का हवाला देकर कहा गया है :

> "He reminded us that the active, politically-oriented student-leaders who had spearheaded the violent agitation on many occasions during the recent period have been publicly clamouring for the resignation or removal of Dr. Joshi, and his view was that if as a result of our recommendations Dr. Joshi relinquished his position as Vice Chancellor, these active leaders would deem it as their own victory and that would not only strengthen politically-oritented activist forces on the University campus, but would eventually

[श्री श्रीचन्द गोयल]

build up student power in its purely political form. The University representative also urged similar considerations befors us."

अब अपनी फाइंडिंग देते हैं :

"We agree that there is considerable force in the statements made before us by the witness to whom we have just referred."

अध्यक्ष महोदय आवेदन में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से कुछ विद्यार्थियों को अपना इंस्ट्रूमेन्ट बनाकर उनसे झगड़ा करवा रहे हैं और मांग करवा रहे हैं। इस प्रकार के तत्व इस बात की मांग कर रहे हैं कि जोशी वहां से इस्तीफा दें। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम यह निकलेगा कि यहां पर विद्यार्थियों की इस प्रकार की शक्ति बनेगी जो यूनिवर्सिटी के काम काज को आगे नहीं चलने देंगे। इस रिपोर्ट के अन्दर इस बात को स्वीकार किया गया है लेकिन इसके बावजूद श्री झारखंडे राय कहते हैं कि यह मामला तो राजनीतिक है इसका राजनीतिक ढंग से हल निकालना होगा। विद्यार्थियों के मामले को राजनीति में रंग कर वे अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उनको कभी इस बात का ख्याल नहीं आता कि यह राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन का मामला है। वहां पर हमें अध्ययनशील वातावरण क निर्माण करना होगा। और इसके लिए जो वहां पर इस प्रकार के तत्व हैं जोकि वहां के वायु-मंडल को विषाक्त और दूषित कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी होगी। उनको कभी इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि यूनिवर्सिटी के वातावरण को विषाक्त करें और हजारों विद्यार्थियों के लिए हानि का कारण बनें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता इसलिए एक बार फिर से मैं इस प्रस्ताव का निरनुमोदन करता हूं।

MR. SPEAKER: The question is:

"This House disapproves of the Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 7 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 17th July, 1969."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The time allotted for this Bill by the Business Advisory Committee was 4 hours maximum. We are left with only 15 minutes. I hope hon. Members will help me to finish it within the allotted time.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : इतना बड़ा बिल चार घंटे में कैसे समाप्त हो जायेगा ? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। मेरा अमेंडमेन्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात को सुनिये। आप अमेंडमेंट क्लाज 1 पर हैं, इसको मैंने देखा है। जब उस का मौका आयेगा तो आप मूव करेंगे और बोलेंगे।

We will take up Clause 2 .Hon. members who want to move their amendments may get up and mention the numbers of their amendments.

Clause 2— Amendment of section 7B).

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka): I beg to move:

Page 1, lines 14 and 15,—

for "he may call for one or more fresh recommendations".

substitute—

"he shall give reasons for not accepting the recommendations and he may call for fresh recommendations either from the same Selection Committee or from another Selection Committee constituted by him:

Provided further that the Selection Committee before presenting their recommendations would discuss the needs of the University with—

(a) ex-Vice Chancellors;

(b) Chairman, University Grants Commission;

(c) Executive Council: and

(d) Senior members of the teaching staff." (86)

Page 1, lines 18 and 19,—

for "for a second term *substitute*—

"normally for the second term but in no case for more than two terms". (87)

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: I beg to move:

Page 1,—

for lines 11 to 15, *substitute*—

"(1) The Minister of Education shall be the ex-officio Vice-Chancellor with the right to delegate his powers to whomsoever he likes." (43).

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2 पर, धारा 2 के भाग (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(1) कुलपति की नियुक्ति ,कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिये गठित प्रवरण समिति के द्वारा सिफारिश किये गये पांच नामों में से किसी एक की, कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।"

SHRI B. P. MANDAL (Madhepur): I beg to move:

Page 1, line 17,—

for "three years" *substitute* "two years" (44)

Page 1, lines 18 and 19,—

for "for a second term" *substitute*—

"for two more terms" (45)

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari): I beg to move:

Page 1, lines 12 and 13,—

for "a Selection Committee constituted by the Visitor for the purpose"

substitute—

"Central Education Minister" (78)

Page 1,—

omit lines 14 and 15. (79)

SHRI SIVA CHANDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

Page 1, *for* lines 17 to 19—

substitute—

"two years" shall be substituted (7)

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : प्रथम इसके कि हम हिन्दू यूनिवर्सिटी के बिल के विषय पर विचार करें, उसका थोड़ा सा इतिहास बताना आवश्यक है । इतिहास इस तरह का है कि 1916 में जब ब्रिटिश सरकार इस देश में थी, उस समय श्री मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी और इसका लक्ष्य था—भारतीय संस्कृति, प्राच्य विद्या व पश्चिमी ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन तथा विकास । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सन् 1947 तक जब तक कि ब्रिटिश सरकार यहां से चली नहीं

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

गई, इसके अन्दरूनी मामलों में कोई हस्त-क्षेप नहीं हुआ लेकिन 1947 से यह चीज प्रारम्भ हुई और सन् 1951 में एक संशोधन ऐक्ट बना, 1952 में आर्डिनेंस द्वारा केन्द्र ने शासन अपने हाथ में लिया और आठ वर्ष आर्डिनेंस से इस यूनिवर्सिटी का संचालन किया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि आठ वर्ष के अन्दर वह तत्व जो आज वहां विद्यमान है और जो उस की जड़ में गरम पानी छोड़ कर सत्यानाश करना चाहते हैं, वह उस आठ वर्ष की अवधि में, जब शासन ने विश्व-विद्यालय का प्रशासन अपने हाथ में लिया, उस समय में लोग उसमें प्रवेश किये, और आज तक विद्यमान हैं।

कुछ माननीय सदस्य : कौन हैं ?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : वह लोग कम्युनिस्ट हैं, और कौन हैं। (**व्यवधान**) मैं यह बताना चाहता हूं कि वह अब भी विद्यमान हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो कहते हैं "कौन लोग" ? इंदिरा जी को साइंस कानफरेंस में जो डा० जोशी ने बुलायी थी, उस समय राजनारायण जी ने जो पार्ट प्ले किया है वह देश भूलेगा नहीं (**व्यवधान**) आप चुप रहिये**

श्री जनेश्वर मिश्र : पाइंट आफ आर्डर है। महन्त जी मेरे बुजुर्ग हैं। मैं ने इन को कहा भापाई आन्दोलन चल रहा था राज-नारायण जी ने उस में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि जब आप बोलते थे तो मैं चुप था, आप** अगर माननीय सदस्य इस तरह से गलत ढंग से बोलेंगे तो हम भी जानते हैं कि आप** और इस तरह की तूफानी बदतमीजी हम नहीं चलने देंगे, और मैं इस को बर्दाश्त नहीं कर सकता (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। महन्त जी आप मेरी तरफ देखिये, उसकी तरफ न देखिये। माननीय सदस्य उन को इंटरप्ट न करें। (**व्यवधान**) सब लोग इकट्ठे न बोलें।

श्री झारखंडे राय : मान्यवर, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन को ऐक्सपंज कर दीजिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो आप के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। अगर आप उचित समझें तो आज इस समय की कार्यवाही से कम से कम ये शब्द निकाल दीजिये, ** शब्द उन की ओर से हो और चाहे इन की ओर से कि** मैं चाहूंगा कि दोनों शब्द निकाल दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : आप की मर्जी से ये दोनों शब्द रेकार्ड से निकाल दिये जायेंगे। बुजुर्गों की इज्जत कीजिये।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : जो प्रस्तावित बिल है उस की व्यवस्था भी उसी प्रकार से की गयी है जो आर्डिनेंस द्वारा आठ वर्ष तक केन्द्र के शासन के समय की थी। इस बिल में सब से बड़ी आपत्तिजनक बात जो है वह यह है कि तमाम इलेक्शन को हटा कर के नौमीनेटेड तमाम बौडीज उस में नियुक्त की गयी है। मैं इस का विरोध इसलिये करता हूं कि आप उस के अधिकार, जो अटौनोमी आफ़ दी यूनिवर्सिटी है, उस को अगर आप समाप्त कर देंगे तो देश का कोई भी कार्य नहीं चल सकेगा। इसलिये मेरा आप से अनुरोध है कि उस चीज को आप हटा कर के इंलेक्शन वैसे ही करायें जैसे कि होने चाहियें।

**Expunged as ordered by the chair.

दूसरे जो इस का उद्देश्य था, उस वक्त राष्ट्रीयता की भावना इस देश में कम हो रही थी, तब यूनिवर्सिटी के लड़कों ने देश की स्वतंत्रता के लिये जो लड़ाई लड़ी.....

अध्यक्ष महोदय : आप का क्लाज दो पर अमेंडमेंट है । लेकिन आप सारी चीजों पर बहस करने लगे हैं ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं अपने संशोधन पर आता हूं ।

मेरे विचार में हमारे राव साहब से बढ़ कर के शिक्षाविद या शिक्षा का स्तर ऊंचा करने वाले हमारे इस देश में बहुत ही कम लोग हैं और हमने अपने संशोधन में यह सोचा कि बजाय इस के कि राष्ट्रपति के कंधे से बंदूक दागी जाय, क्यों कि जो शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे वही लोग विश्वविद्यालय में रखे जायेंगे । और वही वाइस-चांसलर होगा । इस लिये अच्छा यह होगा कि आप शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर वाइस-चांसलर की नियुक्ति का काम भी करते रहें तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्यों कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप की अमेंडमेंट है कि यही रहें ?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : आप वाइस-चांसलर नियुक्त करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा माप दंड होगा, कौन सा मेजरिंग राड होगा जिस के द्वारा आपको यह मालूम होगा कि डा० जोशी से यह अच्छे हैं । अभी आप ने एक अनुसंधान किया, ऐक्सपेरीमेंट करते करते आज तक आर्डिनेंस का पीछा आप ने नहीं छोड़ा । इस आर्डिनेंस से आप ने केवल एक ऐक्सपेरीमेंट किया और उस में आप नाकामयाब रहे । तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा साधन है जिस से यह मालूम होगा कि हम जो समझते हैं कि आप से बढ़ कर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी का संचालन करे ।

अब मुझे रजिस्ट्रार के बारे में कहना है । कोई कोआपरेशन उन्होंने डा० जोशी को नहीं दिया और रिपोर्ट से मालूम होता है कि रजिस्ट्रार बाधक थे, जो वहां का काम करने में बाधा डालते थे । इसलिये जो वहां गबन हुआ है, जिस में ज्योति भूषण और रजिस्ट्रार का नाम भी है, हम चाहते हैं कि उस की पूरे तौर से जांच की जाय और वह आदमी जल्दी से जल्दी वहां से हटा दिया जाय जो गबन का दोषी पाया जाय ।

जो अनियमित बातें कही जाती हैं कि बहुत सी नियुक्तियां अनियमित हुई हैं मैं एक बात और कह कर के शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वीमन्स कालेज के प्रिन्सिपल की नियुक्ति आप ने एक कमेटी के द्वारा की और उस कमेटी में डा० जोशी, डा० हजारी लाल, डा० आर० बी० पांडेय, डा० मोहन सिंह मेहता आदि, यह सब शिक्षाविद हैं । अब उस नियुक्ति को यह कहा जाता है कि यह इरेगुलर है । मैं कहता हूं कि अगर ऐसे अपौइंटमेंट जिस में शिक्षाविद् हों और जो लोग इस में पूर्ण जानकारी रखने हों, उस कमेटी की रिपोर्ट को इस तरह से टाल देना हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा । हम समझते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे और जो नियुक्तियां उन्होंने इस तरह से की हैं, जो कायदा कानून के खिलाफ़ नहीं हैं, उस के खिलाफ हम लोग कोई ऐक्शन न लें ।

अध्यक्ष महोदय : जो पहले बोल चुके हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ दे दिये वह ठीक से आ चुके हैं । श्री कुशवाह, आप एक मिनट में अपना संशोधन मूव कर दें ।

श्री विभूति मिश्र : हमें मौका नहीं देंगे इस बिल के ऊपर बोलने का । राज्य सभा में 240 सदस्य हैं उन्होंने कितना समय लिया ।

अध्यक्ष महोदय : तो अगले हफ्ते बैठिये । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : हम लोग जनता द्वारा चुने हुए हैं इसलिये हम लोगों को राज्य सभा से ज्यादा हक मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सीनियर मेम्बर हैं । बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने इस का समय ऐप्रूव किया है ।

श्री विभूति मिश्र : हाउस तो सब से बड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : हाउस सब से बड़ा है, उसी ने चार घंटे किये हैं, मैं ने नहीं किये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : 1952 से आज तक मैं ने देखा है कि ऐडवाइजरी कमेटी की कितनी ही बातें यहां तोड़ी गयी हैं ।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन नम्बर 49 इस प्रकार है कि :

पृष्ठ 2 पर, धारा 2 के भाग (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिये गठित प्रवरण समिति के द्वारा सिफारिश किये गए पांच नामों में से किसी एक की, कुलाध्यक्ष द्वारा की जायगी ।"

यह संशोधन इस दृष्टि से रखा है मूल पाठ में यह है कि नाम मांगा जाएगा यदि नाम पसन्द नहीं आयेगा तो फिर दुबारा मांगा जायगा । इस तरह से कई बार नाम मांगे जा सकते हैं । तो मेरा कहना है कि एक ही बार पांच नाम मांग लीजिये और जो पसन्द हो उस को नियुक्त कर दीजिये ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है—जहां पर नामजदगी की व्यवस्था रक्खी गई है कि :

"पृष्ठ 5 पर विधेयक की धारा 10 के भाग (च) की वर्तमान इबारत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(च) संसद् के तीन प्रतिनिधि, जिन में से दो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और एक राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा ।"

मैं इस लिये यह कह रहा हूं क्योंकि मैं नामजदगी के मुकाबले सदस्यों का सदन से निर्वाचित होना ज्यादा अच्छा समझता हूं ।

13.11 hrs.

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka): I am only speaking on clause 2 for which I have given two amendments. One is related to the appointment of the Vice-Chancellor. I have made a provision that if the recommendations are not acceptable, a new Committee may be appointed. The second provision that I have made is, when any recommendation regarding the appointment of the Vice-Chancellor is made, that Committee must discuss the matter with ex-Vice Chancellor, the Academic Council, the Members of the Executive Council and the Chairman of the U.G.C. Then only the needs of the university could be understood because the needs of every university, according to its age and location, differ from university to university. If this is done, then probably you might find out a more appropriate Vice-Chancellor in the circumstances....

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsour): Are we not having a lunch break?

MR. SPEAKER: It is all in your hands. We will finish it before lunch. In another ten minutes or so, I want to finish the whole Bill.

SHRI R. K. AMIN: Then, Sir, the Vice-Chancellor has always been appointed by the Visitor. What happens is that the Visitor stays in Delhi and they only look roundabout Delhi and those who are in contact with Delhi are appointed. If a wider circle is contacted, if you accept my proposal in regard to having a discussion with various bodies, then

you will have a chance to find out a capable man as a Vice-Chancellor.

MR. SPEAKER: Now I put all the amendments to clause 2......

श्री शिव चन्द्र झा : मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो बहुत कुछ कह दिया है।

श्री शिवचन्द्र झा : बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक के क्लाज 2 पर मुझ को बोलना है।

MR. SPEAKER: Then we adjourn for lunch. After that, you continue for the whole night. The whole House first approved 4 hours and you do not stand by that. We adjourn for lunch now.

13.13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

(BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): In view of the fact that we have only four hours left, may I suggest that, with the consent of the House, re-allocation of the time may be made? I suggest that this Bill, namely, the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, may be finished in another half an hour after giving an opportunity to all the hon. members who want to talk briefly. The next item is about Bihar. The time allotted for this is four hours. I suggest that it may be brought down to two hours. Thereafter the discussion on floods, in which most of the hon. members are interested, may be taken up.

MR. CHAIRMAN: I hope, this suggestion is acceptable.

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

MR. CHAIRMAN: We were on Clause 2.

श्री शिवचन्द्र झा : मेरी एमेंडमेंट है और मैं बोलना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shall I make a proposal about clause-by-clause consideration? I understand that there are a large number of amendments to Clause 12. That seems to be a very important Clause, So, shall we concentrate on that Clause within the time that is at our disposal and pass over the other Clauses without much discussion?

SHRI BIBHUTI MISHRA: I have got my amendments, Nos. 78 and 79, on Clause 2....

MR. CHAIRMAN: I was trying to avoid a discussion on this.

SHRI BIBHUTI MISHRA: My amendments are as follows:—

Page 1, lines 12 and 13,—

for "a Selection Committee constituted by the Visitor for the purpose"

substitute—

"Central Education Minister" (78)

Page 1,—

omit lines 14 and 15. (79).

सभापति महोदय, क्यों मैं चाहता हूं कि सैंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया जाए, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं विजिटर तो राष्ट्रपति होता है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी जबावदेही ऐसे कामों की नहीं होती है। ऐसा आदमी होना चाहिये जिस की जवाबदेही हो। लोक सभा एक इलैक्टिड बाड़ी है। जो मिनिस्टर है वह भी इलैक्टिड है। उसकी यहां जवाबदेही है। इस वास्ते

[श्री विभूति मिश्र]

मैं चाहता हूं कि उसको रख दिया जाए और वह इस में रहे।

दूसरी मेरी एमेंडमेंट यह है कि जो प्राविसो है, उसको हटा दिया जाए। अगर मेरी एमेंडमेंट मंजूर हो जाती है तो इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी।

अगर मेरी ये दोनों एमेंडमेंटस मान ली गई तो मंत्री महोदय को थोड़ी सी कठिनाई होगी। यह बिल राज्य सभा से पास हो कर आया है। अगर इन अमेंडमेंटस को मान लिया गया तो राज्य सभा में जाना पड़ेगा। इस वास्ते अगर वह मेरी इन एमेंडमेंट्स को नहीं भी मानते हैं तो उनको कोई न कोई दुरुस्तगी निकालनी होगी। आज तक विजिटर ने जिस तरह की कार्रवाई की उससे इस युनिवर्स्टी का काम ठीक से नहीं चला। मैं वार्न करना चाहता हूं कि अगर आप अब भी यह सारी व्यवस्था रखेंगे तो वहां शान्ति नहीं रह पाएगी, अशान्ति वहां बनी रहेगी। इस वास्ते आपको कोई दूसरी व्यवस्था करनी होगी।

श्री शिवचन्द्र झा : मेरी एमेंडमेंट नम्बर सात है। इस में मैंने कहा है कि तीन साल की जगह दो साल कर दिया जाए। सरकार पांच साल की जगह तीन साल कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको दो साल कर दिया जाए। मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में कहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तीन साल कहा है, इसलिए वह तीन साल यहां रख रहे हैं। लेकिन मैं, देख रहा हूं कि रिपोर्ट को आप टू दी लैटर फालो नहीं कर रहे हैं। इस में टैम्पल के बारे में भी सिफारिश की गई है और कहा है कि एटरेंस दूसरा होना चाहिये। उसके बारे में आप ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि थर्ड रीडिंग स्टेज पर आप कुछ कहें। मैं चाहता हूं कि जब वहां के हालात अच्छे हो जांय तो फिर आप तीन साल रखें या पांच साल रखें लेकिन अभी आप दो साल ही रखें।

आपने इस में वाइस चांसलर को रिएप्वाइंटमेंट के लिए एलीजिबल कर दिया है। आपने कहा है कि सैकिंड टर्म के लिए भी उसको रिएप्वाउइंट किया जा सकता है। यह चीज पहले नहीं थी। इस चीज को आप न करे। ऐसा करने से धांधलियां होती है। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस में ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): Regarding the point made by Shri Mahant Digvijai Nath, it is true that the university was under the administration of a nominated body for a long number of years. But I have already assured the House that this is not going to last for more than three years. I shall try my best to see that the legislation which will replace this present amendment will be brought in as quickly as possible. I am personally hoping that it will be brought in the winter of 1970-71. I am not giving an assurance on that, but I shall try my best to do it.

My hon. friend wanted to know about the qualifications of the vice-chancellor. I think it is very difficult to lay down a statement of qualifications. But I want to assure the House that the Visitor will be advised by a selection committee, and we shall see that a very strong selection committee is appointed, and I am sure that the selection committee will choose persons who will be worthy of the office of vice-chancellor.

A suggestion was made that the Education Minister should *ex-offcio* become the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University. I think the Education Minister has got plenty of other things to attend to.

SOME HON. MEMBERS: No.

DR. V. K. R. V. RAO: I am glad that the House has said 'No'.

About the question of the registrar and the administration, the committee themselves have recommended that there should be a small group set up to review and streamline the entire administration of the Banaras Hindu University. This is one of the first things that I shall request the new vice-chancellor to do, as soon as he comes into office.

About the women's college principal to whom a reference was made, the House was told that the appointment had been made by a very high-powered selection committee and yet the regularity had been questioned. The fact of the case is that the appointment was made by a committee of the executive council; no doubt, eminent persons were on the committee of the executive council, but the statute requires that for all academic appointments there should be experts. The university held that the post of the principal of the women's college was not an academic appointment and it was just like that of a registrar or a librarian. I am afraid I could not accept that as an educationist. Legal opinion also did not accept it. Therefore, the appointment has been invalidated, and a new selection committee has to be appointed which will also consist of experts.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN (Rampur): Will the new vice-chancellor be in Banaras on 1st September, when the university reopens?

DR. V. K. R. V. RAO: Obviously not. How can he be there? The Bill is yet to be passed, and then it has to get the assent of the President and then a selection committee has to be appointed and the selection committee has to recommend the name.

For the time being, the Rector Dr. Hazari Prasad Dwivedy who had resigned has at my request; very kindly consented to continue in office till the new vice-chancellor comes and takes charge. He is now running the administration of the university.

SHRI BIBHUTI MISHRA: When will he be appointed?

DR. V. K. R. V. RAO: I hope as soon as the selection committee makes its recommendations he will be appointed. The selection committee will have a panel of three names. One hon. Member said that it should be five. I think the number three is all right. I do not think that there is much possibility of the name not being satisfactory; when we say that if the names are not satisfactory, they will be asked again, that is just a clause be way of abundant caution. I do not expect anything of that kind to happen. Hardly has it ever happened in the case of nominations of vice-chancellors. After the selection committee makes its recommendations, the Minister will recommend the name to the Visitor and the vice-chancellor will then be appointed. In any case, hon. Members must remember that Dr. Joshi's appointment as vice-chancellor technically does not expire at all till he has finished his leave. He has left the university but he has been given leave by the Visitor, which is due to him, and so, even if we appoint a new vice-chancellor tomorrow, he cannot go and take charge.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN: In the present circumstances, it is very important that somebody should be there.

Dr. V. K. R. V. RAO: But we cannot break the law.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN: Someone should be there who would be responsible.

DR. V. K. R. V. RAO: Dr. Dwivedy is there, and he is the Rector and he is carrying on till the new vice-chancellor is appointed.

There is no question of appointing a new committee, because I do not

[Dr. V. K. R. V. Rao]

expect that there is going to be any difficulty about accepting the recommendations of this committee.

Shri R. K. Amin suggested that the committee should discuss the names with ex-vice-chancellors, academic council members and so on. I think my hon. friend as a distinguished professor from another university should know that if the committee starts discussing the names of possible vice-chancellors with a large number of people, apart from productive results emerging, nobody would be prepared to commit himself to that kind of process.

SHRI R. K. AMIN: I was not talking about names, but only about discussions with them.

DR. V. K. R. V. RAO: My hon. friend Shri Bibhuti Mishra, for whom I have great respect, and who has spent his lifetime in national service, had raised the question of nomination. I have already said this morning that I am all with him. This nomination is only a temporary feature and it will be replaced by election.

Regarding replacing the Visitor by the Minister, it is not possible to do it by an Act. But I have already said in the other House that constitutionaly, the Education Minister has the constitutional responsibility of advising the Visitor on the discharge of his functions. So, what he has in mind will obviously come to pass.

Shri Shiva Chandra Jha said that the terms should be reduced to two years. I am going to try my best to see that this is over before the end of two years. But one has always to provide for contingencies and that is why a period of three years has been provided, because I do not want any chaotic situation to arise in case we are not able to do it due to some reason or the other. That is why we have kept it at three years.

श्री राम धन (लालगंज) : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वाइसचांसलर की छुट्टी कब तक है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी को वाइसचांसलर स्वयं लाये थे। वाइसचांसलर ने जो काम किये हैं, अगर डा० द्विवेदी उन्हीं कामों को करते रहेंगे, तो विश्वविद्यालय में और भी गड़बड़ियां होंगी और असंतोष दूर नहीं होगा। क्या मंत्री महोदय विश्वविद्यालय के खुलने के बाद इस बारे में कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं ?

DR. V. K. R. V. RAO: I would request the hon Member not to suggest that disturbances would be caused if Dr. Hazari Prasad Dwivedy continues. He has already resigned and his resignation is with me, but at my request he has agreed not to press his resignation but continue in office till a new vice-chancellor is appointed. My own impression is, and I have also been informed by many people that Dr. Hazari Prasad Dwivedy is a very good man: he may not be very strong man, but he is a person who has great eminence; he is a man of great eminence in literary circles he is a very kind-hearted person, and I think that we should allow him to continue and he is more than prepared to leave the moment the new vice-chancellor comes.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I withdraw my amendments (78 and 79).

Amendments Nos. 78 and 79 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I will put all the other amendments to the vote of the House.

Amendments Nos. 7, 43, 44, 45, 49, 86, and 87 were put and negatived.

Now, the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill.".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 3 and 4.

The question is:

"That clauses 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5— (*Substitution of new Section for Sections 9 and 9A*).

MR. CHAIRMAN: Amendments 70, 80, 88, 89 and 99 are treated as moved.

श्री क० मि० मधुकर : (केसरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 धारा 5 क्लाज (ख) के बाद एक और क्लाज (ग) इस प्रकार लिखा जाये, अर्थात् :

"ऐसे विषयों पर भी सलाह देना, जिस से मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एंव विद्यार्थियों में स्वस्थ राष्ट्रीयता, धर्म निरपेक्षता का स्वस्थ वातावरण तैयार हो कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सुचारू रूप से एंव सुव्यवस्थित ढंग से संचालित एंव विकसित हो।" (70)

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 2, line 10,—

for "an advisory" *substitute* "a" (80)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 2,—

for lines 10 and 11, *substitute*—

"9. The functions of the Court shall be—" (88)

Page 2,—

after line 19, *insert*—

"(d) to discuss any matter *suo moto* pertaining to the University with a view to reviewing the working of the University." (89).

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 2, line 10,—

for "an advisory" *substitute*—

"a policy making" (99)

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि कोर्ट एक एडवाइज़री बाडी के स्थान पर एक पालिसी-मेकिंग बाडी हो। एक एडवाइज़री बाडी का काम सिर्फ सलाह देना है। इस समय उस यूनिवर्सिटी की जो हालत है, उसको दृष्टि में रखते हुए कोर्ट के हाथ में अधिक ताकत होनी चाहिए और वह भी हो सकता है, जब कि उस को एक पालिसी मेकिंग बाडी बना दिया जाये। मंत्री महोदय को मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

SHRI R. K. AMIN: In the University it is an accepted principle that there should not be any body which is a supreme body in the University. The various powers are divided between various bodies. There are certain matters in which the Academic Council is supreme. There are certain matters in which the Executive Council is supreme. That is how the academic freedom and autonomy of the University is being respected. Here in the earlier Act when it is mentioned that the supreme body is the Court, it was wrong. When you say that it is an advisory body, it is also wrong. Since this is a temporary measure, I do not mind, but in the permanent Act, the Court should not be made an advisory body. For example, statutes are passed by the Court and ordinances are passed by the Executive Council. That sort of division of labour, division of powers ought to be there and I hope the hon. Minister will keep in mind this principle when he brings forward the comprehensive Bill.

DR. V. K. R. V. RAO: I want to point out that as far as the comprehensive Bill is concerned, definitely what was said by Prof. Amin will be borne in mind. There will be a proper division of powers between the various authorities of the University. This, Sir, is only a temporary measure which is based exactly on the lines of the measure under which the Aligarh University is governed. I would suggest that from the point of expeditious work as well as quick implementation of things, it is better to concentrate on the Executive Council and let the court function as an Advisory Body.

SHRI BIBHUTI MISHRA: If it is a temporary measure, I am withdrawing my amendment

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि यह बिल एक टेम्पोरेरी मेजर है। मैं अपने संशोधन संख्या 70 द्वारा यह चाहता हूं कि धारा 5 की उपधारा (ख) के बाद एक उपधारा (ग) जोड़ दी जाय, जिस के अनुसार कोर्ट द्वारा विजिटर को उस विश्वविद्यालय में एक स्वस्थ राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता का वातावरण बनाने की दृष्टि से उचित पग उठाने के बारे में परामर्श दिया जाय। डा० गजेन्द्रगडकर की रिपोर्ट और माननीय सदस्यों के भाषणों से यह बात साफ़ हो गई है कि बनारस विश्वविद्यालय ने अपना राष्ट्रीय चरित्र गवां दिया है और वह आर० एस० एस० का अड्डा बन गया है, जिस के कारण वहां पर तमाम गड़बड़ियां, हत्यायें और जुल्म आदि हुए हैं।

इसलिए हम यह चाहते हैं कि चूंकि यह एडवाइजरी बाडी होगी तो उस के नाम के अन्दर यह चीज होनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण पैदा हो, जिस से स्वस्थ राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता का विकास हो क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का वातावरण वहां न हो तो देश के दूसरे हिस्से के विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे और धर्म-निरपेक्षता न होने पर दूसरे सम्प्रदायों के लोग वहां पर पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे। आज जैसा कि कहा गया है केवल बिहार और यू.पी. के कुछ हिस्से के लोग ही वहां पढ़ने जाते हैं और दक्षिण भारत के लोग या और दूसरे हिस्सों के लोग, दूसरे सम्प्रदायों के लोग वहां नहीं जा रहे है। इसलिए यह जरूरी है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय और इस का स्वरूप ऐसा बनाया जाय जिस में राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता के वातावरण का विकास हो और ऐसे तमाम तत्वों का उन्मूलन हो जो अराष्ट्रीय तत्व है या जो देश में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्व है। आर० एस० एस० जैसी संस्थाओं का उसके अन्दर कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

DR. V. K. R. V. RAO: I don't know what exactly is the proposition which the hon. Member has in mind. All that he has in mind will be achieved even more effectively by having power in the hands of the Executive Council which is a much smaller body. I would like to say, Sir, that I agree with him that secularism has got to be a basic objective of all universities in this country, secularism not in the sense of anti-religion, but respect for all the religions as different ways of reaching the God as unity and so on. Sir, a suggestion was made that Banaras Hindu University is becoming a university of Eastern UP and Bihar. I also had that impression to some extent; that is true as far as arts, humanities and social sciences are concerned. But this morning I had a whole one hour discussion with the Deans of the various faculties in the Banaras Hindu University and I was gratified to know that in the College of Oriental Studies vast majority of students come from other than UP and Bihar. In regard to botany also vast majority of students come from other parts of the country. I felt

extremely happy about it. And, I thought, I should say it to the House, that Banaras Hindu University is trying to build up an all-India character.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Sir, I wish to withdraw my amendments.

Amendments Nos. 80 and 99 were, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: I shall put the other amendments to vote.

Amendments Nos. 70, 88 & 89 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

Clause 9—(*Amendment of Section 17*)

MR. CHAIRMAN: We go to *Clause* 9. There are some amendments.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 2, line 37,

add at the end—

"provided Union Government is agreeable." (81)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 2, line 35,—

for "Executive Council" *substitute* "Court" (90)

Page 2, line 36,—

after "Statutes" *insert* "on the recommendations of the Executive Council" (91)

श्री विभति मिश्र : सभापति महोदय, इस में यह है कि :

The Executive Council may from time to time make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes.

इस में मेरा अमेंडमेंट, 81 यह है :

add at the end—"provided Union Government is agreeable."

ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी का जितना झगड़ा आज तक हुआ वह वहीं से होता है, यूनियम गवर्नमेंट को कोई जानकारी उस में नहीं रहती है। अब मैंने इस में यह रखा है कि जब स्टेट्यूट में कोई गड़बड़ करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट को सूचना देनी होगी। जब यूनियन गवर्नमेंट उस के लिए राजी हो तब वह काम चालू हो। इस तरह मैं चाहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार रहे तब झगड़ा नहीं होगा।

DR. V. K. R. V. RAO: It is not possible for me to accept the hon. Member's contention. University autonomy requires that the statutes originate from the executive council. It is always open to the Visitor, or the Government acting through Visitor, to modify or reject if they don't approve of anything. Once these nominated bodies come into existence their autonomy and freedom will be exactly similar as if they had been elected. There will be no question of any further control on them.

MR. CHAIRMAN: I hope, Shri Bibhuti Mishra is withdrawing his amendment.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Yes.

MR. CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 81 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the other amendments to the vote.

Amendments Nos 90 and 91 were put and negatived

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 9 stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clauses 9 was added to the Bill

Clause 10— (*Amendment of section 18*)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 3,—*after* line 15, *insert*—

"(8) More than twenty-five per cent of the members of the Court, or more than one-third of the members of the Academic Council may request the Vice-Chancellor to suspend the operation of the Ordinance till the matter is fully considered by the Visitor with remarks made by these members asking for suspension of the said Ordinance". (92)

MR. CHAIRMAN: I shall now put this amendment to the vote of the House.

Amendment No. 92 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12— (*Amendment of statutes*)

MR. CHAIRMAN: There is a large number of amendments to this clause.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I beg to move:

Page 3, line 24,—

for "eligible" *substitute* "ineligible" (8)

Page 3,—

omit lines 25 to 27 (9)

Page 4, line 10,—

for 'three" *substitute* "five" (10)

Page 4, line 10,—

for "two" *substitute* "three" (11)

Page 4, line 12,—

for "one" *substitute* "two" (12)

Page 4, line 14,—

for "thirty" *substitute* "fifteen" (13)

Page 4, line 20,—

for "three years" *substitute* "two years" (14)

Page 4, line 26,—

for "eight" *substitute* "six" (15)

Page 4, line 27,—

for "Five" *substitute* "Four" (16)

Page 4, line 30,—

for "three years" *substitute* "two years" (17)

Page 4, line 41,—

after "scholarships" *insert*—

"free-studentship" (18)

Page 5, line 27,—

after "purposes" *insert*—

"like students' participation in politics (19)

Page 5,—

after line 39, *insert*—

"(v) five Members of Parliament as included in the Court in Statute 10(1) (f)." (20)

Page 5, line 40,—

for "Four members of the Finance Committee" *substitute*—

"Seven members of which two must be Members of Parliament". (21)

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: I beg to move:

Page 3,—

for lines 22 to 27, *substitute*—

(3) The Rector shall be elected by students and shall hold office for three years.

(3A) It shall be the function of the Rector to watch the interests of the students in the University.

(3B) The mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances." (46)

Page 4, line 26,—

for "Visitor" *substitute*—

"Education Minister" (48)

श्री यशवन्त सिंह कशवाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 5 पर विधेयक को धारा 10 के भाग (च) की वर्तमान इबारत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(च) संसद के तीन प्रतिनिधि, जिन में से दो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और एक राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा।" (50)

Page 3,—

for lines 22 to 27, *substitute*—

"(3) The Rector shall be elected by students and mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances.

(3A) The Rector shall hold office for three years." (58)

Page 4,—

Omit lines 10 to 13 (59)

Page 4, *after* line 17, *insert*—

"Provided that no person connected actively with any political party in the country be nominated." (60)

Page 4, line 26,—

add at the end—

"who shall not be members of any political party in the country". (61)

Page 5,—

after line 15, *insert*—

"(xixa) to ensure that no University fund is spent on any religious function in the University;" (62)

Page 5, line 35,—

add at the end—

"from amongst the renowned economists in the country". (63)

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4 धारा 12

उपधारा (3)—विधेयक में लिखित वाक्य के स्थान पर इस प्रकार लिखा जाय अर्थात् :—

कुलाधि सचिव विद्यार्थी समाज से निर्वाचित किये जायें जिन के निर्वाचन की विधि कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यादेश या अन्य नियमों से निर्धारित की जायगी। (71)

पृष्ठ 5 उपधारा (ग) "तीन" शब्द के स्थान पर "पांच" जोड़ा जाय।

पृष्ठ 5 उपधारा (ङ) — शब्द "दो" को लोप कर शब्द "तीन" जोड़ा जाय। (72)

पृष्ठ 5 उपधारा (6) में

"जो सार्वजनिक जीवन में स्थान रखने वाले व्यक्ति हों या" इतना लोप कर दिया जाय। (73)

[श्री क० मि० मधुकर]

धारा 14 उपधारा (ख)— "आठ" शब्द की जगह "पांच" शब्द जोड़ा जाय। (74)

पृष्ठ 6 परिनियम 18 में.

(xxiii) के बाद एक नया परिनियम यूं जोड़ा जाय

(xxiv) छात्रों एव अध्यापकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की परिस्थिति उत्पन्न करना तथा ऐसे सारे कार्य करना कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में सम्प्रदायवाद की शक्तियों एव विघटनकारी प्रवृत्तियों का मूलाच्छेद किया जा सके। (75)

पृष्ठ 7 परिनियम 21 खण्ड . . . अर्थात (iv) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" लिखा जाय। (76)

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 4, line 10,—
for "three" *substitute* "six" (82)

Page 4, line 10,—
for "two" *substitute* "four" (83)

Page 4,—

line 17, *add* at the end—

"Provided they are specialists in Indian philosophy and world culture". (85)

Page 4, lines 3 and 4,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"by rotation". (100)

Page 4, lines 6 and 7—
For "nominated by the Visitor" *substitute*—
"by rotation" (101)

Page 4,—
for lines 8 and 9, *substitute*—

"(e) ten persons from among the teachers of the University, other than Professors, elected by them." (102)

Page 4, line 14,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"elected by the registered graduates" (103)

Page 4, line 26,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"elected by the Court from among its members" (104)

Page 5, line 35,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"elected by the Court from among its members" (105)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 4, line 20,—

for "for a term of three years" *substitute*—

"till the new Act comes into operation or three years whichever is earlier" (93)

Page 4,—

after line 25, *insert*—

"(aa) the Rector, if any." (94)

Page 4, line 26,—

add at the end—

"of which at least two shall be from the academic staff of the University" (95)

Page 4,—

for line 30, *substitute*—

"till the new Act comes into operation." (96)

Page 5, line 35,—

add at the end—

"of whom at least one is not connected with the University" (97)

Page 5, line 39,—

add at the end—

"from among its members" (98)

श्री शिवचन्द्र झा : सभापति जी, मेरे 12वें क्लाज पर 14 संशोधन हैं। मैं सिर्फ उन को कहता हूं, मंत्री महोदय उसी से समझ जाएंगें।

पहला जो है वह रेक्टर को जहां रीअप्वाइंटमेंट के लिए एलिजिबिल कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि ऐसा न करें, उस से बड़ी धांधली होगी। इतना ही नहीं वह कहते हैं कि वह तब तक रहेगा जब तक दूसरा बहाल नहीं किया जायगा तो यह और बड़ा फाटक खुल जायगा धांधलियों के लिए। इसलिए यह डिलीट कर दिया जाय।

इसके बाद पेज 4 पर पंक्ति 10 में तीन की जगह में पांच रखना चाहता हूं। पांच संसद् सदस्य उस में बहाल किए जाएं जिस में तीन लोक सभा के हों और दो राज्य सभा के हों।

फिर जहां कहते हैं कि विजिटर 30 आदमियों को नामिनेट करेगा वहां 30 ठीक नहीं होगा उस की जगह पर पन्द्रह रखें। 40 परसेंट जहां नामिनेटेड की बात है वह 40 परसेंट बहुत ज्यादा है। उस से कोर्ट राजनीति का अड्डा बन जायगी।

इस के बाद जहां यह कहा है पंक्ति 20 में शैल होल्ड आफिस फार ए टर्म आफ 3 ईयर्स वहां 3 की जगह 2 साल में चाहता हूं।

पंक्ति 26 में, आप देखें जहां लिखा है 8 परसन्स नामिनेटेड बाई दि विजिटर, उस में मैं चाहूंगा कि 6 आदमी विजिटर द्वारा बहाल किए जाएं।

फिर जहां यह दिया है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के 5 मेंम्बरों का कोरम होगा उस में 8 की जगह 6 को विजिटर बहाल करेंगे तो कोरम 5 की जगह 4 का रखना पड़ेगा।

इसके बाद जहां दिया है मेम्बर्स आफ दि एग्जीक्यूटिव कौंसिल शैल होल्ड आफिस फार ए टर्म आफ थ्री ईयर्स, यहां पर मैं कहूंगा कि 3 साल के लिये न रखें, 5 साल के लिए रखें क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौंसिल मेन फंक्शनिंग बाडी है। उस को तीन साल के लिए नहीं पांच साल के लिए रखना ठीक होगा।

और एक संशोधन है पेज 4 के आखीर में पंक्ति 41 में स्कालरशिप के बाद फ्री स्टूडेंटशिप बढ़ा दिया जाय क्यों कि उस में अधिकतर गरीब विद्यार्थी भी पढ़ते हैं तो उन के लिए फ्री स्टूडेंटशिप रहने से उस का फायदा उन्हें मिलेगा।

एक दूसरा अमेंडमेंट मेरा है पांचवें पेज पर पंक्ति 27 में जहां स्पेसिफिक परपज़ेज दिया हुआ है, वहां पर स्पेसिफिक परपज़ेज के बाद मैं चाहूंगा कि" like students partipation in polition करदें। यहां पर कहा गया है कि ऐसा करने से राजनीतिक झगड़ पैदा हो जायेंगे, जैसे कि पहले तो बिलकुल दूध के धोए हुए थ, और अब इन राजनीतिक लोगों ने सब झगड़े और खराबियां वहां पर ला दी हैं। विद्यार्थियों ने राजनीति में हिस्सा आज से नहीं लिया है, आजादी की लड़ाई के दौरान भी विद्यार्थियों ने राजनीति में हिस्सा लिया था। बल्कि आजादी के बाद से यह प्रवृत्ति चली है कि विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा न लें। मैं इस की पुर जोर मुखालफत करता हूं। राजनीति हमारे पार्लियामेंन्ट्री सिस्टम, हमारे समाज की जिन्दगी है, किसी भी हालात में हमारे नौजवान राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति चलाई, वह जातीयता की राजनीति थी, गुटबन्दी की राजनीति थी, स्वार्थ की राजनीति थी, इस से उन को अलग रखना होगा, लेकिन देश और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यार्थी हिस्सा लेंगे और खूब हिस्सा लेंगे, चुनावों में हिस्सा लेंगें। ये विद्यार्थी इण्डोलोजी और राजनीतिक पार्टियों के आदर्शों को जनता को जाकर समझायेंगे और कहेंगे कि तुम इस के लिय वोट दो। इस लिये इन का इस में रहना लाजमी होगा।

[श्री शिवचन्द्र झा]

इस से अगला मेरा संशोधन है कि पृष्ठ 5 पर लाइन 39 के पश्चात् निम्न सब-क्लाज जोड़ी जाय—

"(v) five Members of Parliament as included in the Court in Statute 10(1)(f)."

मैं चाहता हूं कि फाइनेन्स कमेटी में पांच संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाय ताकि ये लोग उस के खर्चे आदि की देखभाल करें।

मेरा आखरी संशोधन है कि फाइनेन्स कमेटी का कोरम चार के बजाय सात सदस्यों का हो जिनमें से दो संसद सदस्य हों।

मैं चाहूंगा कि सदन मेरे संशोधनों पर गौर करे तथा इन को स्वीकार करे।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : सभापति जी, मेरे 6 संशोधन हैं। उन सब की मंशा यह है कि विश्वविद्यालय का वातावरण शुद्ध होना चाहियें तथा मेरे संशोधन इसी दिशा में संकेत करत हैं कि वहां जातीयता मिटानी है, फेक्शनल्-पौलिटिक्स को हटाना है। सभापति जी, मैं वहां का स्टूडेन्ट रहा हूं—1930 से 1938 तक। उस समय यूनीवर्सिटी का जो वातावरग —1932 के आन्दोलन में 1200 लड़के हिन्दुस्तान की विभिन्न जेलों में गये और आन्दोलन में भाग लिया। हर तरह का कन्ट्रीयूब्शन वहां के विद्यार्थियों ने नेशनल मूवमन्ट में दिया। उस समय एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से उस की जाति नहीं पूछता था, लेकिन आज वह सब बरबाद कर दिया गया है। किसी भी तरह का पोलिटीकल अरेन्जमेन्ट इसमें न हो, लोकल इन्फ्लूएन्स के लोगों को इस में नहीं लिया जाना चाहिय। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं जानता हूं कि वहां की कान्सि में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कान्सि के अच्छे ओहदों पर बैठकर गबन किया, यूनीवर्सिटी के पैसे रुपये को आन्दोलन चला कर बरबाद किया है।

इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन आप के सामने रखता हूं।

SHRI R. K. AMIN: I have tabled some amendments. One is about the composition of the Executive Council. I have said that of the eight persons nominated by the visitor, at least two shall be from the employees of the University's academic staff, professors or others. If there is this provision in the Act, the Visitor shall have to implement it while nominating the Executive Council.

This clause says:

"The Finance Committee shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) three persons nominated by the Visitor;

(iii) two persons, who are not employees of the University, appointed by the Executive Council."

Here I want to add "from among its members". It is necessary that the members of the Executive Council should take part in the deliberations of the Finance Committee, so that when a matter goes from the Finance Committee to the Executive Council, there should be somebody to explain the entire thing to them, how it has happened, etc. In most of the universities it is so. There is no reason why it should not be so here also. That is what my amendment seeks to do.

श्री विभूति मिश्र : सभापति जी, मेरे तीन तरह के अमेण्डमेन्टस हैं। एक तो यह है कि नौमिनेशन का सिस्टम हटा दना चाहिए, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि यह बिल टम्परेरी है, इस लिय मैं समझता हूं कि आगे चलकर नौमिनशन को हटा कर इलैक्शन कर दिया जायगा।

दूसरा संशोधन हम लोगों के इन्टरेस्ट में है कि राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों की तादाद इस में बढ़ा देनी चाहिये—तीन की जगह 6 कर देनी चाहिये, 4 यहां से लिये जायें और दो वहां से लिये जाएँ, तब ही न्याय होगा ।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि जहां विजिटर द्वारा 30 आदमियों के नौमिनेशन की व्यवस्था है, वहां निम्नलिखित प्रोवीजन कर दिया जाय—

"Provided they are specialists in Indian philosophy and world culture"

इस के मायने, चेयरमैन साहब, यह हैं कि किसी जमाने में जब मैं वहां विद्यापीठ में पढ़ता था तो वहां एक प्रोफेसर थे—शेशादरी साहब । वे अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, जब भी कोई हिन्दुस्तानी विद्यार्थी उन से मिलने जाय तो ऐसा मालूम पड़ता था कि काट खायेंगे । उन के मन में हिन्दुस्तानी लोगों के प्रति कुछ घृणा थी । लेकिन अब तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी जानने वाले बुक-शेल्फ में रह गये हैं, अंग्रेज भी चले गये हैं, जब अंग्रेजी के प्रचारक ही इस देश से भाग गये, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे आदमियों को रखा जाय जो इण्डियन फिलौस्फी को जानते हों, जो दुनिया के कल्चर को जानें । जब हम ऐसे आदमियों को वहां पर रखेंगे, तब ही मालवीय जी की आत्मा को शान्ति मिलेगी । ऐसे आदमियों को बहाल न करें जिनको हिन्दुस्तान की शिक्षा से, हिन्दुस्तानियों से नफरत हो । मैंने शेशादरी जी का उदाहरण आपको दिया, वह हिन्दुस्तानियों की कद्र नहीं करते थे, लेकिन जब गांधी जी हिन्दू यूनिवर्सिटी में आए, तब गांधी जी का स्वागत हुआ । मालवीय जी हर एक एकादशी को भागवत पुराण पढ़ कर सुनाते थे, सभी विद्यार्थी सनते थे और उसी में हिन्दुस्तान की आजादी पर लैक्चर देते थे । इस लिये मैं चाहूंगा कि ऐसे आदमियों को बहाल करें जो भारतीय फिलौसफी को जानते हों और दुनियां के कल्चर को जानते हों ।

श्री क० मि० नफूकर : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधनों से सरकार की मदद कर रहा हूं । पिछले साल वाइस-चांस्लरों का जो सम्मेलन हुआ था उस में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा के मामले में भाग लेने के सुझाव दिये गये थे, उसी विचारधारा के अन्तर्गत मैंने अपने संशोधन को रखा है । उसी दृष्टि से मैं चाहता हूं कि कुलाधि सचिव का चुनाव यदि विद्यार्थियों के द्वारा होगा तो इस से उन के अन्दर विश्वास पैदा होगा ।

मेरा दूसरा संशोधन—जैसा विभूति मिश्र जी ने कहा—जब हम संसद सदस्यों के नाम इस में दे रहे हैं तो तीन की जगह 5 कर दिया जाय, यहां से तीन लिये जांय और और राज्य सभा से दो लिये जायें ।

तीसरे संशोधन में मैंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में स्थान रखने वाले व्यक्तियों को इस में न लिया जाय । शिक्षा विशेषज्ञों को लिया जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों को इस में लेना शुरू किया तो फिर पोलिटीक पार्टीज इस में आने लगेंगी । कोई कहेगा कि उस पार्टी का हो और कोई कहेगा कि उस पार्टी का हो । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो शिक्षा विशेषज्ञ हों उन्हीं को रखा जाये । ऐसे लोगों को न रखा जाये जोकि राजनीतिक हों या कोई दूसरा कार्य करने वाले हों ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेन्डमेन्ट्स पेश करता हूं ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मेरा पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि पेज 1 पर लाइन 11-13 के स्थान पर निम्नलिखित सब्स्टीट्यूट कर दिया जाये :

"(1) The Minister of Education shall be the *ex-officio* Vice-Chan-

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

cellor with the right to delegate his powers to whomsoever he likes."

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्त में एजुकेशन मिनिस्ट्री ही है जोकि रेकमेंड करके भेजेगी चाहे वह रेक्टर हो, वाइस-चांस्लर हो, कोर्ट का मेम्बर हो या एग्जीक्यूटिव का मेम्बर हो। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यह भी एक्सपेरिमेन्ट करना चाहिये कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी एक्स-आफिसियो वाइस-चांस्लर होकर रहे, मैं समझता हूं इससे वहां पर सुधार होगा और ठीक तरह से काम चल सकेगा।

मेरा दूसरा अमेंडमेन्ट यह है कि लाइन 22-27 के स्थान पर निम्नलिखित सब्सटीट्यूट कर दिया जाय :

"(3) The Rector shall be elected by students and shall hold office for three years.

(3A) It shall be the function of the Rector to watch the interest of the students in the University.

(3B) The mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances."

मैंने एक किताब "इंडियन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन" देखी जोकि सन् 1958 में एजूकेशन मिनिस्ट्री से निकली थी। उसके पेज 12 या 13 पर लिखा है कि रेक्टर का एलेक्शन मैट्रीकुलेशन के स्टूडेन्टस तीन वर्ष के लिए करें। रेक्टर की पोस्ट आयरलैंड और स्काटलैंड में बड़ी हाई समझी जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि रेक्टर को अगर वही चुनेंगे तो ठीक प्रकार से संचालन हो सकेगा।

मेरा तीसरा अमेंडमेंन्ट यह है कि लाइन 26 में विजिटर की जगह पर एजूकेशन मिनिस्टर को सब्स्टीट्यूट किया जाये। अगर आप यह कर देते हैं तो इस बिल की मंशा पूरी हो जायेगी और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप देखें कि इन पगों को उठाने से कितनी कामियाबी मिलती है।

SHRI C. K. BHATTACHARYA (Raiganj): Mr. Chairman, this is the third Enquiry Report that has come to us within a short time about this University. I believe that the present difficulties of the unfortunate University flow from a decision taken at Delhi. I call that decision an injudicious decision, and that decision taken at Delhi was for the removal of Dr. Sen from the Vice-Chancellorship of the University. When Dr. Sen was put there as Vice-Chancellor, the University was in a state of turmoil. In that state of turmoil, Dr. Sen went there as Vice-Chancellor and by his handling of the situation he brought peace and order in the University. But before he could complete his work, before he could consolidate the atmosphere of peace and order that he has brought about in the University, he was suddenly shifted from the University and brought over to Delhi. That is the real cause of the present trouble. If Dr. Sen had remained there, I believe he could have brought the University to complete peace and allowed an atmosphere to grow in which the University would have found itself working in complete peace and order.

15 hrs.

Regarding the inquiry committee, I admire the educational experts, but I take my hat off to them when I see the quickness with which they change their opinion. The powers of the court are being changed again today. At the time when Shri M. C. Chagla. was the Education Minister, a Bill was brought and the character of the court was changed. At that time, the court had no power and the inquiry committee reported that the troubles of the university originated from the fact that the court had no actual power. So, Shri M. C. Chagla amend-

ed the provision and gave pwores to the court. **Today, another Education** Minister has come, and supported by the inquiry committee report of another distinguished vice-chancellor holding that the troubles of the university originated from the fact that the court had powers, is seeking to **take away the powers from the court.** Between these two different opinions of the educational experts, I find myself completely confounded as to whom **we should follow and how** we are to be guided.

Regarding elections, the Radhakrishna Commission on universities had made the specific recommendation that the element of elections should be removed from the universities as far as possible. Their recommendation was that in place of elections, the principle of rotation should be accepted. I believe that **that recommendation of the Radha-**krishnan Commission was not experimented upon in the different universities, so that we are finding ourselves **now in a contraversy as to whether** elections should be there or nominations should be there. The principle recommended by the University Education Commission might have been a substitute to work upon and helped the universities. In fact, another inquiry Committee headed by Shri G. C. Banerjee, the Rajasthan University Vice-chancellor also made that **recommendation. They went even to** the length of saying that the students' union election in the universities should also be removed. Their opinion was that the conflict and the controversy that came about in the students' union elections led to troubles in the university and disturbed the peace in the university. That was **the recommendation of the Banerjee** Committee. I do not know whether when the complete Bill comes, those recommendations will be given any consideration.

In conclusion, I would like to make a brief reference to the name of the university. If you go and see the foundation-stone of the university you will find the name "Kashi Vishwavidyalaya" discribed on it. That was the name given to the university At the time when Shri M. C. Chagla by Pandit Madan Mohan Malaviya. In fact, when Dr. Ram Manohar Lohia was there, he repeatedly suggested that the name given to the university by its founder and what was inscribed on the foundation-stone should be accepted. But somehow when the original Bill came to be passed by the then legislative Assembly and fell into the hands of the Education Members of those times, they brought in the name that might suit the British administration which was prevailing **at that time. We may accept the** name as given in the foundation-stone, **and I wish that the Education Minister accepts my suggestion and restores to the university the name inscribed in** the foundation stone by the founder himself.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): We all agree to it.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: Since I was referring to the founder, I shall say that he was one of the greatest men in India, a man from whose lips even one little harsh word would not escape, a man who from the nail of his toe to the tip of his hair was a picture of humility, was a picture of screne peacefulness. It is most unfortunate that an institution bearing his memory and which had been his handiwork all through, because the Government of India had given no money and it was he who **had collected Rs. 1 crore and founded** it'—a unique achievement for one individual in any country in the world, —should come to this pass. I only hope and pray that his blessings might come over the university and give it peace.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): मान्यवर, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में देश भक्ति के आधार पर अगर किसी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गयी तो वह था काशी का विश्वविद्यालय जो महामना मदन मोहन मालवीय

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

जी ने स्थापित किया । परन्तु आज उस की दशा जो खराब है उस के कारणों को ढूढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, पर मैं एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं कि आज की तमाम गड़वड़ी का कारण पोलिटिकल पार्टीज हैं । अगर आप उन्हें समझा सकें, नियंत्रण में कर सकें तो काशी विश्वविद्यालय में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी ।

अभी मेरे बंधुओं ने इधर उधर की बातें कहीं है, जैसे आर० एस० एस० की बात कही । मैं उन से कहना चाहता हूं कि आर० एस० एस० 1934 से वहां पर काम कर रहा है। उस दिन से आज तक साम्प्रदायिक गतिविधि की कोई बात सामने नहीं आयी, कोई झगड़े की बात सामने नहीं आयी। इस वक्त भी जो चार्ज लगाया गया है मैं कहना चाहता हूं कि इस दोषारूपण के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर कमीशन की सम्मति इस प्रकार है :—

"An attempt was made to malign the vice-chancellor alleging that he is associated with the RSS and Jan Sangh, in order to tarnish his image of intellectual integrity and his reputation as an impartial administrator; this allegation apparently has been made for the reason that the vice-chancellor has after all shown some courage in expelling the most notorious students, some of whom also happen to belong to certain political parties.

यह है मूल कारण कि वहां पोलिटिकल पार्टिज ने आदमी भेजे हैं जो वहां बारबार फेल हो रहे हैं और उन का लक्ष्य पोलिटिकल है । मैं किसी विशेष पार्टी के लिये नहीं कहता, लेकिन जो स्थिति है वह स्पष्ट है । आप कम्युनल ऐक्टिविटी की बात कहते हैं मैं आप को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को वहां आमंत्रित किया गया तो पोलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों ने कहा कि उन को रोकिये वरना 'otherwise they would not hesitate from making an attempt on her life.' मैं पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधान मंत्री चाहे किसी पार्टी का हो वह सब के लिये सम्मान का तद है और सब को उसका आदर करना चाहिये । एक शिक्षा संस्था में इस देश का प्रधान मंत्री जा रहा है और उस के लिये इस प्रकार के शब्द कहे जायें कि हम उन के जीवन पर हमला करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कितने किया आर० एस० एस० वालों ने किया ?

कुछ माननीय सदस्य : गांधी जी की हत्या किसने की ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : गांधी जी की हत्या हो या और किसी की हत्या हो वह अनुचित है और दोषी को सजा मिलनी चाहिये, और मिली भी ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस के काफी सीनियर सदस्य बैठे हुए हैं, उन्हें पता होना चाहिये कि गांधी जी की हत्या से संबंधित ट्राब्यूनल ने फैसला किया और जो हत्यारा थे उन को सजा दी गयी । उस के बाद इस प्रकार की कोई बात करता है तो मैं समझता हूं कि मोस्ट इरेस्पांसिबिल व्यक्ति है । कोई समझदार व्यक्ति इस प्रकार की बेकूफी की बात करेगा इस की मैं अपेक्षा नहीं करता ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : बात साफ है कि चाहे गांधी जी का हत्यारा हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुकर्जी का हत्यारा हो और चाहे दीन दयाल उपाध्याय का हत्यारा हो, मैं समझता हूं कि ईमानदारी इस बात में है कि हत्यारा हत्यारा है चाहे किसी पार्टी का हो, और उस को कंडेम करना होगा । और अगर आप यहां

पार्टीबाजी में आ कर केवल कुछ हत्यारों का समर्थन करें, कुछ विरोध करें यह देश के हित में नहीं है। देश का हित ध्यान में रख कर आप को यूनिवर्सिटी की समस्यायों का समाधान करने पर विचार करना चाहिये।

वहां यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ की गयी, हिंसात्मक कार्यवाही की गयी। कारण क्या है? कुछ लोग जिन में आर० एस० एस० के लोग थे, युनिवर्सिटी में हड़ताल होने देने के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोगों ने मोनोपली बना ली है कि यूनिवर्सिटी में जब चाहें हड़ताल करा दें गुंडा गर्दी करा दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज कई यूनिवार्सिटीज में ऐसा ग्रुप देशभक्तों का पैदा हो गया है जो गुंडा गर्दी और हड़ताल नहीं करने देता। यही मूल कारण है तमाम आक्षेप का। अन्यथा कोई आक्षेप नहीं है। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I request that we confine ourselves to the affairs of the Banaras Hindu University as far as possible. I may like to remind the speaker as well as the House that we are encroaching upon the time allotted for the Bihar discussion.

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr): It is an important Bill.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Communalism is the most poisonous thing in India.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : कम्युनलिजम, साम्प्रदायिकता, चाहे जाति के नाम पर चाहे धर्म भाषा के नाम पर हो किसी भी अर्थ में हो चाहे चाइना के नाम पर हो रशिया के नाम पर हो, इस को कुचला जाना चाहिये। लेकिन साम्प्रदायिकता की आड़ में चाइना के एजेन्ट और रशिया के एजेन्ट इस देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं। हम उन्हें टोलरेट नहीं करेंगे।

SHRI JYOTIRMOY BASU: Their hands are stained with the blood of the minorities.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : साम्प्रदायिकता की आड़ में इस देश की देश भक्ति तो नहीं खोया जा सकता। अभी एक सदस्य ने कहा कि बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी में सेक्यूलर स्ट्रक्चर बनाये रखना चाहिये। सभापति जी, आज स्थिति यह है कि सेक्युलर स्टेट की बात जो लोग बोल रहे हैं उन की दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। आज स्थिति यह है कि राजनारायण का स्टेटमेंट मैं ने अखबारों में पढ़ा, कहां तक सत्य है, मैं नहीं जानता अभी इस देश के माननीय राष्ट्रपति कहीं पर मंदिर में पूजा करने चले गये, उन्होंने आक्षेप किया है कि सेक्यूलर स्टेट का हैड मंदिर में चला गया। लेकिन सेक्यूलर स्टेट का हैड जामा मस्जिद में जा सकता है, पर मंदिर में नहीं जा सकता। जो गिर्जा में जा सकता है क्या वह मंदिर में नहीं जा सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि सैक्यूलर स्टेट के यह माने नहीं हैं। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I will request the hon. Member to conclude his speech now. I am sorry to say that. At this stage I wanted to accommodate some Members who expressed a desire to speak on the third reading. If you are going to enter into a fundamental debate on communalism, casteism and all that, that is really not within the scope of this Bill. If he wants to say something about the affairs of the Banaras Hindu University, let him confine to that.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति जी, मेरा दोष नहीं है, जब बोलने वाले आक्षेप करते हैं. . . .

श्री बलराज मधोक : कुछ लोगों का यह भेवा बन गया है कि उन्होंने इस हाउस को एक बाजार की चीज समझ रखा है,। जिस ढंग से सदस्य बोलते हैं मुझे शर्म आती है। ये इनसल्ट करते हैं इस हाउस की। कुछ तो इस हाउस के मेम्बर होने योग्य नहीं हैं। निकल जाओ बाजारु आदमी आ कर के बैठ जाते हो। (*Interruption*).

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): We should not go down so low here.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Who cares for you?

MR. CHAIRMAN: Shri Bal Raj Madhok has drawn the attention of the Chair and said that this should not be converted into.... (*Interruption*)

SHRI BAL RAJ MADHOK: This should not be converted into a *Bazari* thing.

MR. CHAIRMAN: This should not be converted into a marketplace.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I would say, "Doctor: heal thyself."

MR. CHAIRMAN: Of course, every hon. Member is expected to accept that kind of advice.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Pious advice!

MR. CHAIRMAN: It is not necessary for the Chair to give special advice on this question. Every Member is expected to do that. But no Member need accuse another side of the House on that question.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के देशभक्तपूर्ण वातावरण असाम्प्रदायिक वातावरण की रक्षा कना सरकार और जनता, दोनों का कर्तव्य है। और वह हर कीमत पर होना चाहिये और जो सुझाव गजेन्द्रगडकर कमीशन का है कि इस को पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सीटी बना दिया जाय मैं समझता हूं कि उस कमीशन ने इनडायरेक्ट वे में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की हत्या करने का सुझाव दिया है। वहां तमाम क्षेत्रों के विद्यार्थी आ कर स्वच्छ वातावरण में देशभक्ति का पान करते हैं। देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते हैं। इस लिये उस का जो वर्तमान स्टेटस है उस को बनाये रखना आवश्यक है। मेरा यह सुझाव है और ज्वायेंट कमेटी में भी मैं ने कहा था कि अगर सरकार में साहस है तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन का आप सेकूलर स्टेटस् रक्खे, चाहे हिन्दू यूनिवर्सिटी हो चाहे मुसलिम यूनिवर्सिटी हो। अगर आप ऐसा कर सकें तो तमाम देश आप को बधाई देगा।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, सब से पहले में मंत्री महोदय का ध्यान गजेन्द्रडकर आयोग के इस निष्कर्ष की ओर दिलाना चाहता हूं जिस म मजूमदार, सिन्हा और रविशंकर सिह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उस के बारे में उन्होंने कहा है कि अपने व्यवहार और अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का मौका भी इन छात्रों को नहीं दिया गया और उन के खिलाफ वाइस चांसलर ने जो आरोप लगाये थे उन का कोई आधार नहीं था। इस निष्कर्ष के बावजूद और शिक्षा मंत्री से कई दफे बात करने के बाद भी उन्होंने उन छात्रों को वापस लेने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की।

गजेन्द्रगडकर कमीशन की कई सिफारिशें इतनी प्रतिक्रियावादी और दकियानूसी हैं कि मैं उलझन में पड़ जाता हूं कि गवर्नमेंट का दिमाग ज्यादा पुराना और प्रतिक्रियावादी है अर्थात् शिक्षा मंत्री का या गजेन्द्रगडकर साहब का।

एक माननीय सदस्य : आप का ।

श्री मधु लिमये : मेरा आधुनिक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा है कि एग्जिक्यूटिव कांसिल नियुक्त की जाये, पार्लीयामेंट सदस्यों को चुना न जाय नियुक्त किया जाय विजिटर के द्वारा । इस तरह की जो सिफारिशें हैं उन को बिल्कुल फेंक देना चाहिये ।

छात्रों के बारे में मानता था कि काशी विश्वविद्यालय की यह गरिमा है कि वहां का छात्रसंघ बहुत ही सचेत है, लेकिन इस छात्र संघ कों समाप्त करने के लिये गजेन्द्र-गडकर कमिशन ने सिफारिश की है कि उन का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से न किया जाय। प्रजातन्त्र से, लोकतन्त्र से, मतदान से यह लोग बहुत घबराते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इस तरह की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों में चालू हुई, जाहे कोर्ट का निर्माण हो, चाहे एग्जिक्यूटिव कौंसिल का निर्माण हो या छात्र-संघों का निर्माण हो, अगर नामजदगी का सिद्धान्त आयेगा तो लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा । गजेन्द्रगडकर आयोग ने छात्रों को हिस्सेदारी के बारे में, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, वह भी प्रगतिशील नहीं हैं । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर छात्र संघों के बारे में और छात्रों की हिस्सेदारी के बारे में मैंने दो विधेयक पेश किये हैं, इसी तरह से शिक्षक संघों की हिस्सेदारी के बारे में भी है । मंत्री महोदय जब काशी विश्वविद्यालय के बारे में अपना विधेयक लायेंगे तब क्या अन्तिम तौर पर छात्र संघों के बारे, शिक्षक संघों के बारे में और उन की हिस्सेदारी के बारे में कोई योजना वह पहले से बनायेंगे । अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस सिद्धान्त को लागू किया जाता है तो राज्यों के लिये रास्ता खुल जायेगा ।

अन्त में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । डा० राव० के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हिम्मत दिखलाई थी और काशी विश्वविद्यालय का जो असली नाम था काशी विश्वविद्यालय उस को कायम करने के लिये अपने विधेयक में सुझाव देने वाले थे । लेकिन बाद में वह बदल गये । कुछ लोगों के दंगा फसाद करने के कारण अपने को धर्म निरपेक्ष कहलाने वाली सरकार झुक गई. मैं जानना चाहता हूं कि जो नया विधेयक आयेगा उसमें क्या मंत्री महोदय यह वायदा पूरा करेंगे ।

श्री भट्टाचार्य ने जो कुछ कहा है, मैं उस की ताईद करता हूं । मैं चाहूंगा कि उस पर विचार किया जाये और मालवीय जी के विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्व-विद्यालय होना चाहिये ।

DR. V. K. R. V. RAO: A number of suggestions were made by my hon. friend, Shri Shiva Chandra Jha. One of them was that the term of the Executive Council should be five years instead of three years. The difficulty would be this. When the new Bill comes, the whole constitution of the Executive Council will be changed; they will not be nominated members; they will be more than eight, and so on. Therefore, the term has been kept at three years because we do not want the present composition and the present Bill to last for one day more than three years; we want that to end earlier.

Regarding the question of the number of Members of Parliament, we have followed the same procedure which has been followed in regard to the Aligarh University. People are very keen that there should not be any differentiation between the Aligarh University and the Banaras Hindu University in regard to governance and so on. This is exactly what has been provided in Aligarh University. When we come to the bigger

[DR V. K. R. V. RAO]

Bill which I propose to bring for both the Universities simultaneously—whether such a thing is possible, I would like the Joint Committee to consider—then we shall see what will be the representation of Members of Parliament.

Regarding the question that only 15 should be nominated because of 30 are, nominated, they will all be politicians, it is true that in the Visitor being advised by a Cabinet Minister who is a member of a political party, there may be a danger that a political considerations will weigh with him in suggesting nominations....

SHRI MADHU LIMAYE: No nomination.

DR. V. R. K. V. RAO: I would like to assure this House that to the best of my ability I shall see that educational and functional considerations prevail rather than political or party consideration.

Then a suggestion was made by Shri Jha about free studentship. Unfortunately I cannot put in that amendment here. But I shall see that, when I write to them, this point is also mentioned.

Regarding student participation in politics, I do not think that it is necessary to have a specific committee for that purpose. If I may express my own personal view which may or may not be acceptable to all sections of the House, I do not think that it is desirable or possible to insulate students from political thinking or from political ideas. What we want to see from the point of view of working of the University is that students should not take part in politics in such a manner that inflammatory feelings are aroused in the Campus, then processions are formed and violence takes place. Subject to that, there should be every opportunity for students to listen to to political thinkers, not only listen to them but also cross-examine them, to develop political thinking, political rationality, political sanity, political credibility, so that the various political parties can go and talk to them and be cross-examined by them and the students' political thinking will become completely mature. The only thing that I would like to say to all my hon. friends is that, while students should, in my opinion, have political clubs, discuss political problems, invite political people for the purpose of discussion and so on, one thing on which we should all agree upon, whatever be the ideology whether it is Jan Sangh or Communist Marxist or any other ideology, is that non-violence should be the rule of accepted political behaviour within the Campus. Once we do that, almost all the problems that we have been faced with either from one side or from the other, will be properly dealt with. This is one thing where, I hope, we will get the co-operation of all the political parties as far as the Campus is concerned. I am not talking about streets; that is not my job; I am only concerned with University Campus.

Regarding the question of nomination, I have already answered my hon. friend, Shri Raj Deo Singh, that nomination will take into account educational and functional considerations.

As regards the amendment moved by Mr. Amin, who is not here now, that at least two of the members of the Executive Council should be nominated from University employess, I propose to do so on any case; that was the the recommendation of the Gajendragadkar Committee and I have already accepted that. The only thing is that it is not put in the form of a regulation here.

Mr. Bibhuti Mishra talked about election. I have already said that nominations are only temporary.

There should be no question of nomination being the principle of University governance . . .

AN. HON. MEMBER: The number should be doubled.

DR. V. K. R. V. RAO: I have already given the answer. When we come to the permanent Bill, we shall see what should be the number.

It was said that there should be, on the Court, Philosophers and Indians of world culture. I am rather sorry that Mishraji referred to....

SHRI BIBHUTI MISHRA: I am here.

DR. V. K. R. V. RAO: I am rather sorry that Shri Misraji referred to Prof. Seshadri. Prof. Seshadri is not alive he is dead. Not only he is dead, but his son who was a friend of mine is also dead. Prof. Seshadri was a very distinguished educationist. He commanded very high respect. Sir, each person functions in his own time according to his own like. Prof. Seshadri had a very large number of students, may be he did not get on well with Mr Misra. I understood his saying that we must have more philosophers in the Court. That I can understand. Philosophers are a useful set of people. But I do not think, Sir, we should say anything about Prof. Seshadri. But certainly I will keep the suggestion in mind that when constituting the Board some philosophical element is introduced in the court at the proper time.

A suggestion was made about the students' participation by my friend Mr. Madhukar. He said that the Vice-Chancellor should be appointed in consultation with the students. Well, I think it is an ideal. I don't think it is an ideal that can be brought into practice to-day. In any way, I am sure, sooner or later that suggestion also will become a part of the ideology about students' participation. For the time being, I am sorry, he will agree that I may not be so rash as to accept his suggestion. The Vice-Chancellor should be a very eminent scholar and should not be a politician. Well, I don't think we would like to have politicans as Vice-Chancellors. But we want the Vice-Chancellors should be in a position to command the respect of the students, they should have some administrative experience and they should also be generally acceptable to the people.

SHRI S. KANDAPPAN: Who will be just like you.

DR. V. K. R. V. RAO: No, No. I will be ruled out. If we adopt the criterion put forward by Mr. Misra, I will be ruled out from becoming Vice-Chancellor of the Banaras University.

Regarding the suggestions made by my friend, Shri Mahant Digvijai Nath, to whom I have great respect and whom I met many years ago in Gorakhpur, I appreciate his suggestion that the Education Minister should be an *ex-Officio* Vice-Chancellor. First of all I do not know whether it is legally permissible. There are so many Central Universities. If he were to be the Vice-Chancellor of every central University, he will be like Draupadi, wife of the five Pandavas. You will have the Education Minister who will be the servant of—I do not know—how many Universities. So, I am sure, the Mahantji does not want me to be put in that awkard position.

Regarding the election of the Rector, the Rector functions as pro-Vice-Chancellor it would not be possible to introduce that system. I would like to consider it if the Rector does not have any official duties. What is done in the Edinburgh University? There as well as in a number of other foreign Universities, I think the students elect the Rector. He functions as *honoris causa*. He has no particular function. The student community expresses their admiration for him in whom they have confidence. I would like to think about

[Dr. V. K. R. V. Rao]

the possibility of having something like an honorific office of Rector who will be elected by the student community as in the case of foreign Universities.

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: 'Indian University Administration' a booklet issued by the Ministry of Education in 1958 says that the Rector is elected.

DR. V. K. R. V. RAO: I do not know. Whatever they might have said in 1958, I am afraid, to the best of my knowledge and the University readings, there is no suggestion so far that he should be elected. The Rector usually means Pro-Vice-Chancellor. The Rector is not an honorific office. There should be no suggestion that he should be elected by the students.

About the question of rotation to which my friend, Shri Bhattacharyya referred it is true that it has not been tried in many Universities. It has been tried in Delhi University. When we come to the structure of the Banaras University, we will see to what extent this principle can be introduced.

Well, about political parties, I have already mentioned it.

Regarding the point raised by Mr. Madhu Limaye about introduction of expelled students, I have spoken on that a number of times. I am sure it is not due to any lack of courage on my part. I have read out extracts in this House on this subject from the Gajendragadkar Committee's Report and I have read out extracts in the other House also. But all the same, I will not have 100 per cent closed my mind on the subject. If you quote the Gajendragadkar Committee, then I would say the Gajendragadkar Committee has made it quite clear that while procedural irregularities were there, nevertheless in their opinion, the kind of behaviour of students in which these students indulged was most undesirable.

Regarding the other points that are made in the Gajendragadkar Committee report about students elections being indirect and so on, we are not accepting that. All that is going to be discussed. I think it is a good suggestion that Shri Madhu Limaye made whether it would be possible for the Banaras Hindu University to include some provision that we can have some kind of statutory provision both for student unions as well as for teachers organisations. What happens is this? In many universities students' unions function very badly. There are professional students of 15 years standing who are there and they become students' union president. It is very important to reconstruct the students unions. I am sure I will have the support of Shri Madhu Limaye when I bring before this House that part of the Bill.

MR. CHAIRMAN: Is Shri Bibhuti Mishra withdrawing his amendments?

SHRI BIBHUTI MISHRA: Yes.

Amendments Nos. 82, 83, 85, and 100 to 105 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: : I shall put the other amendments to vote.

Amendments Nos. 8 to 21, 46, 48, 50, 58 to 63, 71 to 76, and 93 to 98 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That clause 12 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13— (*Transitional provisions.*)

MR. CHAIRMAN: We now go to Clause 13.

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

धारा 13 उपधारा (2) के अन्त में यह जोड़ा जाए "लेकिन ऐसी कोई संक्रमण

कालीन व्यवस्था 6 माह से अधिक अवधि तक न चले और इस बीच विधि विहित ढंग से सभा, कार्य परिषद एवं समितियों का गठन अवश्य कर लिया जाए।" (77)

MR. CHAIRMAN: I will put the amendment moved by Shri Madhukar to the vote of the House.

Amendment No. 77 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put Clause 13 to the vote of the House.

The question is:

"That Clause 13 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill

Clause 1. (*Short title and Commencement.*)

MR. CHAIRMAN: Now we go to Clause 1.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I have amendment No. 6.

Page 1, line 3,—

for "Banaras Hindu University" *substitute*—

"Banaras Madan Mohan Malaviya University" (6)

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दू शब्द न रहे और इसका नाम बनारस मदन मोहन मालवीय यूनिवर्स्टी रख दिया जाए।

MR. CHAIRMAN: You are an hon. Member coming from Bihar State; already we have exceeded the time allotted for Bihar discussion by more than half an hour. Please cooperate with the Chair as we have to finish this quickly.

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

धारा 1 "हिन्दू" शब्द का लोप किया जाए (68)

DR. V. K. R. V. RAO: They want me to say something about the names; I will say it in the final stage.

MR. CHAIRMAN: They want about names only. On that particular point, if you wish to say something, you can say it at this stage.

DR. V. K. R. RAO: As far as name is concerned, I am aware, the inscription in the foundation stone in Kashi Viswa Vidyalaya. I am aware that in Rajya Sabha when the Original Banaras Hindu University Act was passed some years ago they had deleted both the word Muslim from Aligarh and Hindu from Banaras universities. This House—I was not a Member of this House then—refused to accept that and retained the name Muslim and Hindu. We can discuss about this. We can have on informal understanding about this and that is what I would try to do before introducing the kind of amendment that is suggested because I dont want the thing again and again to come up and be debated, thereby showing that we are all communal. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: I will now put amendments to Clause 1 to the vote of the House.

Amendments Nos. 6 to 68 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That clause 1 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. V. K. R. V. RAO: Sir, I move:

"That the Bill be passed"

I want to just take 2 or 3 minutes. I want to say something. The university is reopening day after tomorrow. I beg the pardon of the House to say something and I wish to take a few minutes.

We are now passing this Bill. I am sure the House will forgive me if I make an appeal through you.

SHRI BALRAJ MADHOK: Could he give us an indication as to by what time the comprehensive Bill about which he talked would be introduced?

DR. V. K. R. V. RAO: This is like the Rama and Sita story. I have mentioned it not once but a dozen times. I said that I shall try my best to bring forward a comprehensive Bill in the winter of 1970-71.

First of all, I think one of the reasons for student difficulties in Banaras University today is the problem of the lack of physical facilities. Therefore, I had a talk with the Chairman of the University Grants Commission about it. At my request, he is sending a team to the University to look into the requirements of student amenities, hostels, canteens, sports facilities and so on. He has given me the assurance that after the team comes back and makes a report, he will make some special funds available for the purpose of student amenities in Banaras Hindu University.

I also want to say that I had a long conversation with ten Deans of the University this morning. I hope also to meet some other professors who have sent telegrams I shall met them sometme later. I appealed to them to see that they exercise all their influence and see that irrespective of ideologies or political party affiliations, the name of Pandit Madan Mohan Malaviya is given the esteem it deserves and that a proper atmosphere is created in the University. All of them were very happy to associate themselves with my sentiments.

In particular, I told them about the importance of having student-teacher dialogues, student-teacher councils, some kind of a machinery which will see that disciplinary action, when necessary, is taken in a manner that will give the students a feeling that justice is being done. I also asked them in general to take note of the winds of change that are blowing in this country not only in terms of banks nationalisation but also in terms of the entire radicalising of the thinking of people in this country.

I wonld conclude by making this appeal to the hon. House. Let members of all political parties please forget the hard words that might have been used during the course of this debate either on the Jan Sangh or on the SSP or on the CPI or on the question of Hindi *vs* non-Hindi and so on. I should like members of all political parties in their own way—I do not say they should issue a joint appeal; I do not believe in that kind of thing—to realise one thing and do what is needed. I am sure they will agree that the future of Banaras Hindu University is at stake. It is a disgrace that there have been so many inquiry committees; it is a disgrace that there should have been two such Ordinances bringing into being a controlled and nominated university structuring in this University. I would appeal to all political parties to see that they do not bring in any kind of propaganda or agitation within the university, I am not asking for anything outside the University, but within the University, let there be non-violence, let there be no use of students for any political purpose. If they agree to this, I am sure it will enormously help us to ensure peace in the University.

Lastly, I want to appeal, through you, to the students of Banaras Hindu University. I want to tell them that they have got a great heritage. The students of Banaras Hindu University had and have a great heritage. Kashi—I do not like the word 'Banaras'— is a place of very hallowed tradition to us. It is the one place in India which has a continuous academic tradition for 2,600 years or more. At least from the days of the Buddha, every learned man in this country who wanted to make a contribution to learning or knowledge or vision or wisdom went to Varanasi, went to Kashi, and there he propounded his theories, was cross-examined and if he could establish

himself there then he established himself in the rest of the country as well. Combridge and Oxford are 600 and 700 years old. There is no place in the whole world where there is such a continuous academic tradition as Banaras has got. The students and teachers of that place have a great tradition to uphold and fulfil.

I would beg of them: let them forget small things. Let them remember tney are heirs to a great heritage. Let them see to it that peace prevails, discussion prevails, dialogue takes place and violence is completely eschewed. If they do this, I have no doubt in mind there will be peace in Banaras Hindu University and Kashi Viswas Vidayala will once again become one of the premier Universities of not only this country but of the entire wide world. With these words I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.49 hrs.

FOREIGN MARRIAGE BILL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एजेंडा पर बिहार संबंधी प्रस्ताव और विधेयक के अलावा बाढ़ के संबंध में एक प्रस्ताव भी है, जिस में सब माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है। लेकिन एजेंडा पर एक फ़ारेन मैरिजि बिल भी है। इस में कई ह्यूमैन ट्रेजेडीज़ का सवाल है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। वह बिल जायंट कमेटी से आया है और राज्य सभा ने उस को पास कर दिया है। अगर इस बिल को बिना बहस के पास कर दिया जाये, तो अच्छा होगा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं उस जायंट कमेटी का सदस्य था और मैं ने उस की रिपोर्ट में अपना मिनट आफ़ डिसेंट भी दिया है। मैं माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, के सुझाव से सहमत हूं।

MR. CHAIRMAN: It is left to the House. If the House agrees, we can do so.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH: I had consulted the Law Minister because Mr. Limaye mentioned this to me earlier and he said that he had absolutely no objection to pass it without discussion if the House so desired. If the House permits it, I shall move the motion on his behalf. I move on behalf of Shri Govinda Menon:

"That the Bill to make provision relating to marriages of Citizens of India outside India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to make provision relating to marriages of citizens of India outside India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall take up clause 2. I think that amendments are not being moved.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, फ़ारेन मैरिज बिल में कई बातें एसी हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: We have passed the consideration motion and we are taking up clauses.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, आर्डर पेपर पर एक एडवोकेट्स (सैकंड एमेंडमेंट) बिल भी है, जिस को राज्य सभा ने पास कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह कोई विवादास्पद बिल नहीं है। इस लिए इस को भी बिना बहस के पास कर दिया जाये।

MR. CHAIRMAN: At this stage we are on a particular Bill. After this Bill is disposed of we can consider other Bills. I shall put all the clauses to the vote of the House. The question is:

"That Clauses 2 to 30 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 30 were added to the Bill.

The First Scheduled, the Second Schedule and the Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI RAGHU RAMAIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Regarding Mr. Prakash Vir Shastri's suggestion, since there are some members who are opposed to it, it cannot be done. Now we will take up the Bihar Bill.

15.46 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE.* PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF BIHAR

BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुछेच्द 356 के अधीन 4 जुलाई, 1969 को जारी गी गई उद्घोषणा का अनुमोदन करनी है ।

इस के बाद एक दूसरा प्रस्ताव है विधेयक के बारे में वह भी मैं रखे देता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य के विधांन मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय जिन परिस्थितियों में इस राष्ट्रपति की उद्घोषणा को करना पड़ा और मध्यावधि चुनव के बाद जो बिहार में स्थिति पैदा हुई उस के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को पूर्ण रूप से ज्ञान है । तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों को आशाएं थीं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव के बाद राजनैतिक स्थिरता आएगी और वहां लोकप्रिय सरकार स्थायी रूप से अगले आम चुनाव तक चल सकेगी वह हमारी आशाएं पूरी नहीं हो सकीं । वह कौन-कौन से कारण हैं जिन से वह आशाएं पूरी नहीं हो सकी उस में मैं नहीं जाना चाहता । एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम लोगों की जो आशा थी कि दलबदलुओं का युग मध्यावधि चुनाव के साथ साथ समाप्त हो जायगा वह आशा भी पूरी नहीं हुई और इस के कारण बहुत कुछ कठिनाइयां हमारे सामने बिहार राज्य में आईं । आप जानते हैं मध्यावधि चुनाव के बाद वहां पर एक मिलीजुली सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बनी । वह कुछ महीने वहां चली उस के बाद कुछ लोगों ने अपना समर्थन उस सरकार से हटा लिया और उस के पश्चात् वहां पर एक दूसरी सरकार बनी । वह केवल 8–9 दिन ही चल पाई । इस के कारण ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हुई कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा । यह बड़े दुख की बात है कि चतुर्थ आम चुनाव के बाद बिहार राज्य में 6 मंत्रि-मंडल बने और 6 ध्वंस हुए । इस से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि फिर से पिछले चुनाव के बाद दोबारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अब दोबारा जब बिहार में कोई लोकप्रिय सरकार बने तो वह

ऐसी सरकार बननी चाहिए जो स्थायी रूप से बिहार का काम कर सके और पिछले कई सालों से जो बिहार के योजनाबद्ध विकास की गति धीमी पड़ गई है, जनोपयोगी कामों में जो कठिनाइयां आई हैं जो करीब करीब बन्द से हो रहे हैं, उन सब कठिनाइयों को दूर कर के जो भी सरकार बने वह स्थायी रूप से काम कर सके और फिर से इस तरह राष्ट्रपति का शासन लागू करने का अवसर न आ सके। जब हम लोगों के मन में और राष्ट्रपति के मन में ऐसा विश्वास हो जाय कि ऐसी सरकार बनने की संभावना उत्पन्न हो गई है तभी वहां ऐसी सरकार बने इस के संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की भी सहमति होगी और मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की गई है उस का अनुमोदन सदन के सभी माननीय सदस्य करेंगे ।

जहां तक बिल का संबंध है इस बिल में इस बात का प्राविधान किया गया है कि जब वहां का विधान मंडल निरस्त रूप में है उस वक्त म जो भी कानून वहां पर बनते हैं उस का अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया जाय। वैसे नो संविधान में इस की आवश्यकता नहीं है कि कोई सलाहकार समिति रहे पर सुविधा के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का नियम बना लिया है कि जब भी कोई ऐसा अधिकार उन को दिया जाता है नो एक सलाहकार मंडल की नियुक्त कर दी जानी है जिस में दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं और वह राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं समय समय पर कि किस प्रकार का कानून बनना चाहिए। इस के अलावा हम लोगों ने एक और नियम चालू कर दिया है जिस से कि माननीय सदस्यों को इस बात का भी मौका मिलता है कि बिहार राज्य के संबंध में और भी जो बातें हैं उस के बारे में भी वे गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होनी हैं जिस के बारे में हम लोग यहां पर संसद में सोच विचार नहीं कर सकते यद्यपि संसद का यह कार्य होता है कि वह बिहार राज्य की विधान सभा के रूप में कार्य करे और जितना समय बिहार राज्य के लिए बिहार विधान सभा देनी है। अपेक्षा यह की जानी है कि उतना ही समय संसद भी उस के लिए दे। पर आप देखते हैं कि कितनी समय की कमी रहनी है और उस के कारण हमारे पास कोई ऐसा जरिया है जिस के द्वारा हम इस बात को कर सकें कि माननीय सदस्य अपनी सब बातें खुले रूप से विस्तारपूर्वक केन्द्र के सामने रख सकें और गृह मंत्री जी उस के ऊपर विचार कर के अपने खुद के विचार व्यक्त कर सकें। इसलिए हम ने एक नियम शुरू कर दिया है सलाहकार समिति में कि वहां पर माननीय सदस्य अपने विचार रखें और उस का जितने विस्तृत रूप से जवाब हम दे सकते हैं वह जवाब देने की कोशिश हम करते हैं और इसीलिये यह सलाहकार समिति हम बना रहे हैं जिस में 60 संसद सदस्य रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह सलाहकार समिति भी उतनी ही अच्छी तरह से कार्य करेगी जैसे कि पिछली मर्तबा किया था। इतना कह कर मैं अपने ये दोनों प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करेगा।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"That this House approves the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar."

Motion moved:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make

laws, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration".

रेजोल्यूशन और विधेयक दोनों पर बहस एक साथ चलेगी, समय बहुत थोड़ा है इसलिए जो लोग बोलें वह बहुत थोड़ा समय लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): तीन घंटे का समय है।

सभापति महोदय: नहीं तीन घंटे नहीं हैं। ..... (व्यवधान) .... बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक पर ज्यादा वक्त लग गया है उस की वजह से तीन की जगह अब दो ही घंटे समय रह गया है।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Bihar): Sir, I want a clarification. What happens to item No. 24 about floods? Will it be taken up or not?

MR. CHAIRMAN: As there is a blackout, the House cannot sit beyond 6 O'clock.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: That is at 7.30 p.m

MR. CHAIRMAN: But people have to reach their destination before that. It is up to the House. The House will not sit beyond 6 O'clock.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We can sit up to 7.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): फ्लड का मोशन ज्यादा ज़रूरी है, बिहार के किसान मर गये हैं, फसलें तबाह हो गई हैं।

MR. CHAIRMAN: No; we are not going to sit beyond 6.

श्री रणधीर सिंह: क्या किसान ज़रूरी नहीं हैं। सारा बिहार, उड़ीसा, राजस्थान पंजाब, हरियाणा, बरबाद हो गये हैं। . .

MR CHAIRMAN: If you want to discuss the flood situation, you have to cut down the discussion on Bihar.. (*Interruption*).

श्री रणधीर सिंह: आप इस को एक घन्टा कर दीजिये, लेकिन उस को ज़रूर लेना है।

श्री बि० प्र० मण्डल (माधोपुर): नहीं, इस पर दो घन्टा बहस होनी चाहिये।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: The Speaker announced that the discussion on floods will be on the 30th.. (*Interruption*).

सभापति महोदय: 15 मिनट तो इसी तरह निकल गये। मेहरबानी कर के बैठ जाइये।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Let me make a submission. Let us all agree that floods are as important as the Proclamation.... (*interruption*).

श्री रणधीर सिंह: इस तरह से कैसे होगा। कम से कम एक घन्टा तो फ्लड के लिये देना ही चाहिये। बिहार में लोग मर रहे हैं, मवेशियों के लिये चारा नहीं मिल रहा है, जमीनें बरबाद हो गई हैं, फसल बरबाद हो गई है। ये लोग बिहार की बात कर रहे हैं, जब कि यह इतना लाजमी नहीं है, आप इन को सिर्फ एक घन्टा दीजिये।

MR. CHAIRMAN: We are giving one hour to Bihar and the rest for the discussion on floods.

SHRI RANDHIR SINGH: Thank you very much.... (*Interruption*).

SHRI S. KANDAPPAN: Let those, who are not participating in the debate on the Proclamation, be given an opportunity to speak on the flood situation.

MR. CHAIRMAN: All right (*Interruption*).

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर): सभापति जी, मेरी आप से एक अर्ज़ है—जो आदमी अभी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पर बोले हैं, उन को मौका न दीजिये, दूसरों को मौका दीजिये। जो बिहार पर बोलें उन को

फ्लड पर मौका न दीजिये

(व्यवधान) . . .

सभापति महोदय : आप इस तरह से समय बरबाद कर रहे हैं, इतने समय में तो मैं पांच-सात आदमियों को बुलवा लेता । अब आप बैठ जाइये ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : सभापति जी यह बड़े दुख की बात है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन है, इस के लिये चाहे सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, किसी के लिये भी यह खुशी की बात नहीं हो सकती । सभापति जी, हम चाहते हैं, कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो कर पॉपुलर रूल आये । लेकिन जिस तरीके से पहला मंत्री मंडल बनाया गया, हम नहीं चाहते कि उसी तरीके से फिर वहां पर सरकार बने । आपको मालूम है, आप स्वयं बिहार के रहने वाले हैं कि किस तरीके से वहां पर सरकार बनाई गई, हालांकि कुछ पार्टियों ने मिल कर एक प्रोग्राम निश्चित किया और यह भी तय हुआ कि उस प्रोग्राम पर कार्यवाही होगी, यह भी तय हुआ कि जो पार्टी उस में शामिल होंगी, उन की संख्या चाहे जो हो, लेकिन उन के आधे से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे, जो भी मिनिस्टर बनेंगे वे सब मिल कर सब बातों को तय करेंगे, लेकिन दुख की बात है कि जिस पार्टी के चार मेम्बर थे, वे चारों के चारों मिनिस्टर हो गये, जिसके 6 थ, वे 6 के 6 मिनिस्टर हो गये । कांग्रेस ने जिसके खिलाफ़ ब्लैक मार्किटिंग का मामला चल रहा था, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, उस को भी मिनिस्टर बना लिया और अब भी उन्हीं लोगों को आफर दी जा रही है, सौदेबाज़ी कर के वहां पर पौपुलर रूल को लाना चाहते हैं । सभापति जी, हम चाहते हैं कि जो पौपुलर रूल वहां पर हो, एक प्रोग्राम के आधार पर हो, एक नीति के आधार पर हो तथा स्थायी हो । मेरी पार्टी चाहती है कि वहां पर पौपुलर रूल हो, लेकिन जब इस में हार्स-ट्रेडिंग होने लगे, जब खुले आम एम०एल०एज़० की बिक्री होने लगे कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिये, तब हमारी पार्टी ने सोचा कि इस बिक्री को खत्म करना चाहिये और इस को समाप्त करने के लिये हम ने अपनी पार्टी की सपोर्ट विदड्रो कर ली ।

16 hrs.

सभापति जी, जो भी पौपुलर रूल वहां पर हो, उस के लिये सब से ज्यादा जिम्मेदारी या तो कांग्रेस पार्टी की है या जो विरोधी दलों में सब से बड़ी पार्टी है—संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी—उस की है । इन दोनों को चाहिये कि वे इस के लिये प्रयत्न करें । लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि जिनके चार सदस्य हैं, उन्हीं को फिर जोड़-तोड़ कर मिनिस्टर बना दें, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी, न बिहार के लिये होगी और न सारे देश के लिये होगी । जिन में दो-दो, चार-चार या छः-छः लोग हैं, जब इस तरह से हालत फंस जाती है तो उन्हीं के आधार पर मिनिस्ट्री बनती है, लेकिन इस तरह की मिनिस्ट्री ज्यादा देर तक नहीं रह सकती । इस लिये सरकार को कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिसमें जो आल इण्डिया पार्टीज़ हैं, वे बैठ कर किसी प्रोग्राम के आधार पर मंत्री मंडल बनायें, अगर उन के आधार पर मंत्री मंडल नहीं बनेगा, तो उस का कोई लाभ नहीं होगा ।

इस समय इन्होंने जिस आदमी को गवर्नर बना रखा है, वह बिलकुल बेकार आदमी है । उस से चला नहीं जाता, दवाइयों के बगैर रह नहीं सकता । आज बिहार में जो फ्लड आया है, वह शायद अन-प्रेसिडेन्टेड है, एक-तिहाई बिहार पानी में डूबा हुआ है । यहां तक कि जिस सड़क को हम नेशनल हाइवे कहते हैं, जो असम के साथ मिलती है, उस हाइवे पर तीन-चार चार फुट पानी है । लाखों आदमी बेघर हो गये हैं, 6–7 हज़ार

[श्री कंवर लाल गुप्त]

गांव पानी में डूबे पड़े हैं, पानी से घिरे पड़े हैं लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, लाखों मवेशी बह गये हैं, करोड़ों रुपये की फसल खराब हो गई है . . .

सभापत महोदय : यह विषय बाढ़ में आयेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नर या उन के एडवाइजर उस स्थिति को देखने गये, हवाई जहाज़ से भी देखने के लिये नहीं गये यहां तक कि उन्होंने कोई रिलीफ़ कमेटी भी नहीं बनाई है । हमेशा जब बाढ़ें आती थीं नो सब पार्टियों की मिल कर एक रिलीफ़ कमेटी सरकार बनाती थी, लेकिन वहां पर अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है । सरकार इस राष्ट्रपति राज में सोई पड़ी है । मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वे स्वयं जा कर स्थिति का अध्ययन करें । बिहार का इतना बुरा हाल है जब भूचाल आया था, तब भी इतना बुरा हाल नहीं था । मैं चाहूंगा कि उस गवर्नर को बदलना चाहिये, उन्होंने स्वयं लिखा भी है कि वे जाना चाहते हैं, जब उन का शरीर काम नहीं देता नो उन्हें वहां पर बैठाये रखने से क्या लाभ है । वहां पर एक्टिव आदमी होना चाहिये, इस तरह का आदमी नहीं होना चाहिये, जो चल-फिर न सकता हो ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है, लेकिन असेम्बली तोड़ी नहीं है । आप वहां पर गवर्नर के साथ कन्सलटेटिव कमेटी बनाइये, जो वहां की तमाम पार्टियों के एम०एल०एज़० को लेकर बनाई जाय तथा हर डिपार्टमेंट के साथ जो अपने एडवाइजर्स बनाये हैं, उन के साथ एम०एल०एज़० को भी एटेच कीजिये ताकि जितना भी पौपुलर-टच उस में आ सके लाने की कोशिश करनी चाहिये, अभी भी वहां पर एम०एल०एज़० जिन्दा हैं, मरे नहीं हैं, उन का सहयोग लेना चाहिये और खास तौर पर इस तरह की कैलेमिटीज़ में तो ज्यादा लेना चाहिये । अगर इस में जल्द कार्यवाही नहीं की जायगी, तो बिहार का ऐसा हाल हो जायगा, जिसको बाद में सम्भाला नहीं जा सकेगा । वहां पर अभी तक कोई रिलीफ़ मेज़र्स नहीं लिये गये हैं, तकावी लोन्ज़ और दूसरे टैकसेज़ का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि इन की माफ़ी का ऐलान फौरन कर दें । जिनके गांव उजड़ गये हैं, उन की ज्यादा मदद करें, जिनके मकान गिर गये हैं, उन को लोन दें--एक व्यापक स्कीम उन के रिहैबिलिटेशन एण्ड रिलीफ की सरकार को बनानी चाहिये ।

सभापति महोदय, एक चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्रपति राज के अन्दर वहां पर जो भी पौपुलर टच था, उस को खत्म कर दिया गया है । वहां पर कुछ स्टेचूटरी बोर्डस् थे, जिन के चेयरमैन जनता के प्रतिनिधि थे, उन को हटा कर, सब जगहों पर अफसरों को लगा दिया गया है । नतीजा यह है कि खेतिहर किसानों को तकावी का लोन और ट्रैक्टर का लोन जो मिलता था, वह बन्द हो गया है । ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पूरा बिहार जा रहा है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको कहिये कि जो स्टेट्यूटरी बोर्ड के चेयरमैन थे या जैसे कि इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन के नान-आफिशियल चेयरमैन थे, उनको न हटाया जाये बल्कि उनको रखा जाये और उनके साथ साथ और भी एम० एल० एज़० हैं, सभी पार्टीज़ के उनका सहयोग लिया जाये ।

आखिरी सजेशन देकर समाप्त कर रहा हूं कि उत्तरी बिहार में नक्सलाइट्स की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रही हैं लेकिन पुलिस डिमारलाइज़ हो रही है, वह उनसे डरती है इसलिये मैं चाहता हूं कि वे पुलिस को

ताकीद करें कि इस तरह की जो एन्टी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको सख्ती के साथ समाप्त किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि बिहार में जल्दी से जल्दी पौपुलर और स्थायी शासन स्थापित किया जाये ।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन जारी किया गया है उसका मैं विरोधी हूं । विरोधी इसलिये हूं कि राष्ट्रपति शासन में जनतांत्रिक पद्धति का खात्मा हो जाता है । कहीं पर जब जनप्रिय सरकार रहती है तो उसमें जनता की अधिक सुनवाई होती है । अभी मैं ने श्री कंवरलाल गुप्त का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना है । उन्होंने बताया है कि वहां पर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की ज्यादा जवाबदेही है क्योंकि उसका वहां पर बहुमत है । कांग्रेस पार्टी के नेता ने राज्यपाल को 165 नाम दिये । लेकिन राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पढ़ कर मुझे बहुत खेद हुआ । इससे भी ज्यादा खेद की बात यह है कि बिहार राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति उनकी भावना क्या है । उन्होंने उसमें बताया है कि 50 ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है । वे अनप्रिडिक्टबिल हैं । वैसे तो आजकल हर कोई अनप्रिडिक्टबिल है । लेकिन इस प्रकार से बिहार राज्य में काम करने वाले लोगों के प्रति एक सन्देह की भावना उत्पन्न कर देना, मैं समझता हूं किसी तरह उचित नहीं है । मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता कि बिहार राज्य में शीघ्र से शीघ्र जनतांत्रिक शासन की स्थापना की जाये । अगर वहां पर आप जनतांत्रिक शासन की स्थापना नहीं करते हैं तो फिर वहां पर कोई भी तरक्की का काम नहीं हो सकेगा, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकेगा और ला एन्ड आर्डर को भी कन्ट्रोल नहीं किया जा सकेगा । आज वहां पर बाढ़ की विभीषिका से एक करोड़ से अधिक लोग तबाह हो रहे हैं । उनके र बर्बाद हो गये हैं । और जैसा कि गुप्त जी ने कहा, उनके लिए किसी प्रकार की रिलीफ़ का प्रबन्ध नहीं हुआ है । राज्यपाल के सलाहकारों ने भ्रमण नहीं किया है । हर इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता जोकि उसमें काम करके अपना सहयोग और सहायता देना चाहते थे, उनका भी कोई सहयोग नहीं लिया गया है । एक प्रकार से वहां पर डेडलाक सा कायम हो गया है, ब्रेक लगा हुआ है । . . . (**व्यवधान**) दो मिनट और दीजिए ।

सभापति महोदय : तीन चार मिनट से अधिक मैं किसी को नहीं दूंगा ।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर कोई भी तरक्की नहीं हुई है । यदि आप चाहते हैं कि बिहार की भी तरक्की हो तो सबसे पहले इस समय पर जो बाढ़ की विभीषिका है उससे लोगों को राहत पहुंचाइये और शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन को भंग करके पौपुलर गवर्नमेन्ट की स्थापना कीजिए । पापुलर गर्वनमेन्ट बनाने के लिए कांग्रेस सक्षम है वह वहां स्टेबिल गर्वनमेन्ट बना सकती है । राज्यपाल की रिपोर्ट का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा कि कहा गया उनका स्वास्थ्य शिथिल है लेकिन उनका मन भी शिथिल है उनको कोई जानकारी वहां की नहीं है उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं है इसलिए वह रिपोर्ट भी वैसी ही है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ।

आप जानते हैं कि स्पीकर्स कान्फेन्स में यह निश्चित हो चुका है कि यह जानने के लिए कि किस पार्टी का बहुमत है, एक ही जरिया है और वह जरिया है लेजिस्लेचर । किसी भी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मन से किसी भी पौपुलर गवर्नमेंट को समाप्त कर दे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको भी इसकी जानकारी है कि पिछले समय में जब बिहार में राष्ट्रपति

[श्री राम शेखर प्रसाद सिंह]

शासन कायम हुआ था तो वह बिल्कुल पुलिस राज्य था। उसमें आम जनता की बातों को कोई भी ख्याल नहीं किया जाता। उसमें आपको पता है कि रांची में किस तरह से पुलिस ने आदिवासियों पर गोली चलाई और छपरे में किस तरह से संगीनें भोंक कर लोगों के प्राण लिये गए। इस प्रकार की अनेकों घटनायें घटीं थीं। और आज भी उसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन चल रहा है। मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। आपने सुना होगा सोनपुर का एक बहुत बड़ा हरिहर नाथ मंदिर है। वहां के महन्त को अनजान व्यक्तियों ने रात में मार दिया। इस सम्बन्ध में आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है। इसी के सम्बन्ध में मैं ने एक क्वेश्चन भी किया था लेकिन उसको आपने स्वीकार नहीं किया। आज की स्थिति में बिहार राज्य के सारे वैधानिक अधिकार इस संसद में निहित हैं। वहां की जनता की कोई बात भी अगर रखनी हो तो वह इस संसद में ही रखी जा सकती है। अगर जहां पर भी आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो फिर और क्या चारा रह जाता है? मैं समझता हूं जो ला बनाने के अधिकार दिये जा रहे हैं उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। वहां की आम जनता के लाभ की जो बातें हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है पुराने जमाने में भी वहां पर राष्ट्रपति का शासन बिल्कुल फेल्यार रहा है। वह ट्रान्सफर और पोस्टिंग का राज्य रहा है जिसमें आम जनता की कोई सुनवाई नहीं थी और न ही उनके फायदे और हित की कोई बात हुई। उसी ढंग से यह शासन भी चल रहा है। 8 तारीख को गवर्नर महोदय ने एलान किया था और फिर उनकी ओर से चीफ सेक्रेटरी ने एलान किया पोस्टिंग और ट्रान्सफर उस प्रकार नहीं किये जायेंगे लेकिन जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार से बड़े बड़े अफसरों ने छोटे छोटे अफसरों के दबादले मनमाने ढंग से किये, चाहे तो किसी को हटाने के लिए या फिर किसी को हटा कर अपने मन के आदमियों को रखने के लिए। इस प्रकार के ट्रान्सफर और पोस्टिंग शुरू हो गई हैं। जो सलाहकार हैं उन पर कोई हमें आपत्ति नहीं है, उन्होंने अच्छे अफसरों की तरह से बिहार में काम किया है लेकिन वहां पर तो जो भी अफसर जहां पर है, चाहे बीडी०ओ० या कोई दूसरा वह अपना शासन कर रहा है और वहां पर नहीं के बराबर ही राष्ट्रपति शासन चल रहा है। गवर्नर के बारे में कहा गया है कि वे काम नहीं करते हैं लेकिन हमने जो दूसरे गवर्नर के बारे में सुना है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वहां पर जैसा काम करेंगे वैसा ही कहा जा सकेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही और ब्यूरोक्रैसी के बचे हुए अफसरों में से वे एक हैं। उनके जमाने में मेरा ख्याल है प्रजातन्त्र चल नहीं पायेगा। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन रहे तो वहां पर ऐसे गवर्नर को भेजिए जिसको जनतन्त्र से प्रेम हो ताकि वह जनतन्त्र को चला सके।

SHRI GANESH GHOSH (Calcutta South): Mr. Chairman, Sir, we are opposed to the imposition of President's rule in any State in our country and thus depriving the people of their democratic rights. We are also very much strongly opposed to a prolonged imposition of this irresponsible rule in the sense that it is not responsible to the people of the State.

And this is what is demanded now in Bihar, where a group of irresponsible and corrupt legislators are changing sides and their allegiance. It is unfortunate for our country that after the Fourth General Elections this corrupt practice became very much frequent and pronounced in making it very difficult for a stable Government in any State and threatening the very basis of Parliamentary Democracy.

Mr. Chairman, Sir, it has got to be said now, that it is the Congress leaders who introduced this dirty game in our national politics and practised it all through these years. It may not be known to you that in some States the topmost Congress leaders and even the Chief Ministers accorded open receptions to the renegrades with a view to lure others to their Party when it was not at all necessary for them. It is only after the Fourth General Elections that they got a rebuff it boomeranged against them. And when they found that this dirty game does not pay lasting dividends, they began to whimper and cried a halt to it.

It is good that the Home Minister at the Centre descried these defections in this House and made a joke of the defectors as 'Ayarams' and 'Gayarams'. We are given to understand then that this was the latest policy of the Congress with regard to defections.

Mr. Chairman, Sir, but we had our own doubts. Is it not a fact that Congress President in one of the congress meetings some time back, I think it was an AICC meeting held in Hyderabad, bragged that it was their mission to overthrow all non-congress Governments wherever they existed? What about the setting up of minority Governments with congress support, after overthrowing non-congress governments?

Sir, the delay in bringing a legislation for effectively checking defections is also not without purpose and significance.

We do not know if all the avenues have been explored in Bihar to see if one party or a group of parties could form a Government there. If they have been and found wanting then their can be no honest reasons or justifications for not dissolving the State legislature and placing the issues before the people. For not doing this there can be only one reason—to give the congress leaders much more chances to trade in dishonest and corrupt legislators. We demand that the Bihar legislature may be immediatey dissolved and the issue be placed before the people as soon as possible. We know what the congress president did and how he tried to utilise the unfortunate Bihar situation in favour of the Congress Syndicate during the last presidential elections.

सभापति महोदय : सब को समय मिल जायेगा जितने मेरे पास नाम हैं । लेकिन जरा माननीय सदस्य समय कम लें ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : सभापति जी जितना समय मिलेगा उतने में ही बोलूंगा । यों नो बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर संक्षेप में ही काम चलाना है ।

पहली बात तो यह है कि बिहार में जितनी जल्दी पोपुलर गवर्नमेन्ट बन सके बननी चाहिये, यह सब की मांग है । किन्तु सब से बड़ी शर्त यह है कि अगर बन सके नो । यहां पर मैं दुख के साथ इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि 1967 से ही ऐसा होता रहा है कि डिफेक्शन की वजह से कोई सरकार ढंग से टिक न सकी । पिछली दो सरकारों के बारे में दो ही बातें कहना चाहता हूं । बाबू हरिहर सिंह ने सरकार बनायी और उन के सामने बड़ी कठिनाई यह भी कि आल इंडिया पार्टीज से वह बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उन से प्रादेशिक स्तर पर कोई बात हो नही सकती थी, और अखिल भारतीय स्तर पर कोई बात होने से रही । और जब वह केवल प्रादेशिक स्तर की पार्टियों से बातें करते थे तब उन्हीं पार्टियों को लेने की कोशिश की और उन के साथ काम किया । मगर जिस दिन उनकी सरकार गिरी उस दिन से बड़ी शर्म की बात है कि दो मिनिस्टर ऐसे निकले जिन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और अपनी फाइल ले कर सरकार के विरुद्ध जा कर के प्रस्ताव में शामिल हो गये सरकार को गिराने

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

में अगर यही करना था तो पांच मिनट पहले दो लाइन का इस्तीफा लिख देते, अपनी फाइल चीफ मिनिस्टर के हाथ में छोड़ जाते ।

दूसरी जब भोला शास्त्री की सरकार बनी तो उन्होंने दलों से ज्यादा व्यक्तियों को खींचना जरूरी समझा और जिन नेताओं को उन्होंने खींचा और मंत्री बनाया उन के साथ यह बात रही कि उन्हीं मंत्रियों के दलों ने उनको डिनाउन्स किया । मगर धीरे-धीरे और लोग भी जब आने लगे, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है तो फिर से उन को भी मंजूर कर लिया गया । तो यह एक बहुत बड़ा अन्तर रहा । शास्त्री जी के साथ कठिनाई यह थी कि 1967 में जो सरकार बनी थी उस समय जनसंघ और कम्युनिस्ट दोनों नये-नये थे, एक दूसरे के सिद्धान्त से परिचित थे, मगर तौर-तरीके से परिचित नहीं थे । इसलिये नौ महीने तक काम किया और 6, 7 महीने में दोनों एक दूसरे को निकालने की फेर में रहे । फिर एक दूसरे के खिलाफ चार्जेज लगाये गये । फिर जब संविद सरकार बनी भोला शास्त्री के मुख्य मंत्रित्व में तो फिर गले मिल गये क्योंकि कुर्सी का मोह था । मगर उस के बाद टिक न सके । अब यह हुआ कि तुम रहोगे तो मैं नहीं रहूंगा और मैं रहूंगा तो तुम नहीं । नतीजा यह हुआ कि न वह बात कर सकते थे कम्युनिस्ट की, न जनसंघ की । थोड़े से लोगों को ले कर उन को चलाना था । और ऐसी हालत में उन्होंने जो किया उस का फल पाया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता । ऐसी परिस्थिति में अगर आप समझते हैं, और मैं चाहता हूं कि किसी तरह से कोई पोपुलर सरकार बन सके, कांग्रेस की बने या गैर-कांग्रेसी बने, वह बनायी जाय । इस की परवाह नहीं है कि किस की बने, लेकिन अगर बन सके तो जरूर बननी चाहिये । मगर साथ-साथ दूसरा पक्ष भी देखना है कि अगर न बन सके तो जो आप प्रेसीडेंट रूल चलाते हैं उस में जो बुराइयां हैं उन की और आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि आप ने दो एडवाइजर्स भेजे हैं । जहां कि अभी तक 30, 35 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और किसी भी जमाने में 10, 12 थे कम नहीं थे, जब कि 1947 में चार मंत्री थे तथा उपमंत्री आदि ले कर 12, 14 उस समय भी थे, उतने लोगों का काम आप दो आदमियों के ऊपर रखे हुए हैं । यह सम्भव नहीं है कि वह इतना काम कर सकें । अगर दफतर में बैठ कर फ़ाइल देखते हैं तो न जनता से मिल सकते हैं और न अपने अफसरों का काम देख सकते हैं कि कहां क्या खराबी है और न अपनी आंखों से जहां काम बनता है या बिगड़ता है, उस को देख सकते हैं । अगर बाहर जाते हैं तो सब फ़ाइलें रुकी रहती हैं । इसलिये एडवाइजर्स की संख्या आप बढ़ाये नहीं तो काम नहीं चलेगा ।

दूसरी चीज यह है कि आप ने दो आदमी भेजें हैं, जो बहुत ही काबिल हैं, मेरी कोई शिकायत नहीं है उन से ।.लेकिन मेरी शिकायत आप के खिलाफ़ है कि एक आदमी की एक टांग दिल्ली में रखी और दूसरी टांग बिहार में । नतीजा यह है कि बिहार के एडवाइजर्स बनने के बाद भी उन को विदेश यात्रा को भेजा गया । तो ऐसी हालत में वह अपने काम पर क्या ध्यान दे सकेंगे । यह गलत बात है ।

एक दूरी चीज यह आती है कि संयोग की बात है कि इस समय बिहार में तीन आई० सी० एस० आफ़िसर्स पोस्टेड हैं और तीनों इन दोनों से सीनियर हैं । नतीजा यह है कि ये दो आदमी उन तीनों पर चढ़ बैठे । अब किस का मन लगता है काम में और किस का नहीं लगता है, और कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, इस का फैसला कौन करे यह जो जलन हो रही है इससे आप का काम

बिगड़ता है । मैं सुझाव यह दूंगा कि या तो आप उन तीनों को बिहार से हटा कर और दूसरे प्रदेशों में भेज दीजिये ताकि वह उन के नीचे न रहें । या फिर परामर्शियों की संख्या बढ़ा दीजिये । इस में आप का कुछ नहीं बिगड़ता है, काम भी बट जायगा और उस से ज्यादा अच्छा काम होगा । मगर यह सलाह है उसी हालत में जब कि किसी तरह से पौपुलर सरकार न बन सके, तब तक के लिये है ।

और एक चीज अभी आप के पास आयेगी संशोधन के रूप में, वह बाबू चन्द्रिका प्रसाद का संशोधन आयेगा । जो समिति आप बनायेंगे बिहार स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेशन आफ़ पावर बिल के अधीन, उस में अधिक से अधिक लोगों को रखा जाय । बिहार से 78 के करीब दोनों सदनों के संसद सदस्य हैं जिन में से आठ तो मंत्री हैं, वह तो पदेन सदस्य रहेंगे उस कमेटी के, रह गये केवल 70 संसद सदस्य । तो मैं चाहता हूं कि 25, 30 सदस्य आप दूसरे प्रदेशों से ले लीजिए । यह पद्धति और प्रदेशों के लिए भी चल सकेगी तो अच्छा होगा ।

समय की कमी के कारण बस मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस के पहले कि मैं विधेयक पर कुछ कहूं, मंत्री महोदय ने जो बात उठाई कि डिफेक्शन्स की वजह से इन्सेटेबिलिटी आई, उस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यदि उन को तवारीख से कोई मोहब्बत है तो एक बार वह तवारीख पर गौर करें कि डिफेक्शन्स का सिलसिला किस ने शुरू किया । आप जानते हैं कि पट्टम थान पिल्ले को पोलिटिकल पाइरेसी का शिकार किस ने बनाया ? कांग्रेस ने बनाया । हमारे रहनुमा अशोक मेहता थे । उन को कौन ले गया हम लोगों की तरफ से ? इस की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है । देश में डिफेक्शन्स का सिलसिला शुरू करने की जिम्मेदारी यदि किसी पर है और यदि किसी प्रदेश में इन्सटेबिलिटी आती है तो उस की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है ।

दूसरी बात मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि आजादी के बाद बिहार की उपेक्षा की गई है । मैं इस बात को मानता हूं कि प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे और थोड़ी देर के लिये आप जो चेअर पर हैं उसी इलाके से आते हैं । लेकिन आप को मानना होगा कि बिहार की उपेक्षा हुई है आजादी के बाद, खास तौर से आर्थिक क्षेत्र में । बिहार पर-कैपिटा इनकम के हिसाब से सब से पीछे है । यह सरकारी आंकड़े बतलाते हैं । कई दफे इस सदन में मंत्री महोदय ने कहा है कि बिहार की पर-कैपिटा इनकम सब से नीचे हैं । साथ ही जो योजना सरकार बना रही है, और जो विकास का काम होना चाहिये, वह भी ओपन माइन्डेड रूप में नहीं किया जा रहा है । मैं इस के दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं ।

बिहार में दौलत है । कई दफे मैंने यह बात रक्खी है और फिर रखना चाहता हूं कि बिहार में दौलत है, बिहार आगे बढ़ सकता है आर्थिक रूप में । बिहार की जनता की आवाज है कि ऐटोमिक प्लान्ट बिहार में बनना चाहिये, लेकिन हालांकि प्रधान मंत्री के हाथ में यह पोर्टफोलियो है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता । इस को इग्नोर किया जाता है । बिहार अब इस को बर्दाशत नहीं करेगा ।

उत्तरी बिहार का जितना इलाका है, वह बाकी बिहार क मुकाबले में और भी अनडेवलेप्ड है, फिर भी जो विकास के काम होने चाहिये वह वहां पर नहीं हो रहे हैं । अशोक पेपर मिल्स है । मैंने कई दफे इस की बात उठाई है, और फिर उठा रहा हूं । उस को असम ले जाने की क्यों जरूरत होती है ? क्या वह बिहार में दरभंगा में नहीं रख सकती । अशोक पेपर मिल्स, जिस का विकास के काम में काफी योगदान हो सकता है, पर सरकार

[श्री शिव चन्द्र झा]

ध्यान नहीं देती और उस को असम ले जाना चाहती है । इसी तरह से और भी समस्यायें, हैं, मैं कहां तक गिनाऊं ? यातायात की समस्या है, रेल की समस्या है, इन तमाम समस्याओं में बिहार को पिछड़ा बनाया गया है पिछले बीस सालों से ।

सोशल और कल्चरल बातों में एक बात की ओर आप का ध्यान खींच कर आप के सामने रखना चाहता हूं । बिहार की आधी आबादी के लगभग, अर्थात् 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की बोली मथिली है। उस को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिये । इस के लिये हम लोगों ने विधेयक पेश किया है । मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि वह कान खोल कर सुन लें । वह मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दें वर्ना बिहार में एक तूफान आयेगा ।

इस विधेयक के मुताल्लिक मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि सरकार जो कंसल्टेटिव कमेटी बनाये उस को वह सिर्फ खिलौना कमेटी न बनाये । उस को सलाहकार कमेटी बनाने के अलावा आप कुछ पावर भी दें । जो भी मुहकमें आप के हैं उनको बांट दें । चार पांच एम० पीज को आप एक महकमा दे दें और टाइम निर्धारित कर दें कि इतने समय में यह काम होना चाहिये । जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन है तब तक वह लोग आप को काम करने में सहयोग देंगे । यदि आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो जब तक राष्ट्रपति शासन रहता है तब तक बहुत काम हो सकता है ।

आखीर में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सब लोगों को मौका मिलना चाहिये सरकार बनाने का । एस०एस०पी० भी कहती है कि उस को मौका मिलना चाहिये । हो सकता है कि वह चले नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन से जनतन्त्र को बहुत खतरा है । जनता के रिप्रेजेन्टेटिव की जो सरकार होती है वह अच्छी होती है । इस लिये एक मौका और देना चाहिये सरकार बनाने का । यदि उन की सरकार नहीं चलती है तो बात दूसरी है । यदि इन दृष्टिकोणों से केन्द्रीय सरकार कदम बढ़ायेगी तो बिहार की उपेक्षा नहीं होगी और जो थोड़े बहुत काम होने चाहियें वह हो सकेंगे, वर्ना सब को यह पता चल जायेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक हथकण्डा हो गया है अपनी तानाशाही को बिहार में कायम करने के लिये । इसी लिये मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि वहां पर उचित परिस्थिति बना कर राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाय और जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज के हाथ में सरकार दी जाय ।

श्री कमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, अभी आरम्भ में ही मंत्री महोदय ने कहा कि जब परिस्थिति अच्छी हो जायेगी तो वह पुनः वहां पर पापुलर गवर्नमेन्ट स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे । उन्होंने जो वक्तव्य अपने प्रस्ताव को पेश करते समय दिया वह एक बड़े आशाजनक भविष्य की ओर इंगित करता है । अतः पूरी आशा है कि वह जितनी जल्दी हो सकेगा उस अच्छे भविष्य को लाने का प्रयत्न करेंगे । नहीं तो जो आई०सी०एस० अफसर वहां रक्खे गये हैं, भले ही वे बड़े मेधावी हों, लेकिन वही पांच करोड़ जनता वाले बिहार राज्य में शासन को चलायेंगे । इस गंगा बाढ़ की अभूतपूर्व विपत्ति के समय में जब हजारों मवेशी और राज्य का एक तिहाई हिस्सा प्रकृत्ति के प्रकोप में है तब फिर वे दो आदमी क्या कर सकते हैं ?

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । जब मैंने प्राइम मिनिस्टिर को लिखा कि बिहार का यह गरीब भाग विपत्ति के मुंह में है तब उन्होंने क्या इशारा किया, यह

मैं आप को थोड़े से शब्दों में पढ़ कर उद्धरण सुनाना चाहता हूं :

"I have sent a token grant of Rs. 30,000 from the National Relief Fund, to the Government of Bihar. If further financial assistance is required, we shall arrange to send a central team to Bihar if the State Government requests us to do so."

वहां की राज्य सरकार क्या कर्त्तव्य-निष्ठ सरकार है, पता नहीं । दरभंगा जिला के अंचल मोहिउद्दीन नगर एवं पटोरी में सात गरीब लोग बाढ़ में डूब कर मर गये, लेकिन वहां नावों की व्यवस्था नहीं की गई है । हजारों मकान गिर गये हैं मुंगेर और पूर्णिया दरभंगा जिला में और सारे गंगा के किनारे के लोग आज हताश हैं । 1948 की भयंकर बाढ़ के बाद इस बाढ़ ने इतनी भारी विपत्ति की सूचना दी है । यदि आप प्रकृति के प्रकोप से असम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बिहार-असम इस नेशनल हाई वे पर जो आघात हुआ है, उसके लिये आप बड़े लैटरल रोड़ भी बनायें । अगर आप ने लैटरल रोड नहीं बनाया तो बड़ी मुश्किल होगी । वहां की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है । आज प्रातः काल उत्तर बिहार के सभी पार्टियों के संसद सदस्य और एम०एल०ए० तथा कुछ और प्रमुख लोगों ने एक मेमोरेन्डम दिया है, जिस की प्रति मैं सदन पटल पर रखना चाहता हूं । साथ ही उस के एक अंश को भी पढ़ना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है :

"Soon after the 1961 census, the Census Commissioner of India initiated studies on the levels of regional development in the country. His finding is that Saran, Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga are among the districts of the country which are at the lowest level of development."

क्या इससे बढ़ कर और कोई दु:ख की बात सारे देश के लिये हो सकती है ?

मैं आप से और आप के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी हालत में बिना प्रजातान्त्रिक सरकार के, बिना पौपुलर गवर्नमेण्ट के बिहार राज्य की यह बीमारी मिटने वाली नहीं है । आप चालीस और बीस संसद् सदस्यों की जो कन्सल्टेटिव कमेटी बना रहे हैं, क्या हर्ज है कि बिहार के विधान मंडल के सदस्य हैं, जो वहां के कौंसिल और निलम्बित असेम्बली के सदस्य हैं, उन को भी उसमें स्थान दिया जाये? मैं समझता हूं कि ऐसा आप करें तो अच्छा होगा । मैं यह भी चाहता हूं कि आज जो गंगा बाढ़ की विपत्ति की घड़ी बिहार के लिये आई है उस में आप और भी दक्ष लोगों को वहां भेजें । आज वहां पर दो आई०सी०एस० आफिसर्स दूसरे आफिसर्स के ऊपर बिठला दिये गये हैं और जिन को 15-20 वर्ष का अनुभव है, उन को भी वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हटा कर दूसरी जगहों पर भेज रहे हैं । यह उन के लिये शोभा की बात नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से यह पत्र और मेमोरेंडम सभा पटल पर रख रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप ने आज्ञा दे दी है ?

सभापति महोदय : हां, मैंने अलाऊ कर दिया है ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, आप बिहार की स्थिति को देखे । वहां विधान सभा भंग नहीं हुई है । विधान सभा को स्थगित ही किया गया है । विधायक मौजूद हैं । ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो सुझाव आया है, सदन की स्वीकृति के लिए सुझाव आया है, मैं समझता हूं, अनुचित है । खास कर तब यह अनुचित है जब कि वहां विधान सभा के सदस्य मौजूद हैं । केन्द्रीय सरकार को भी आशा है और बाकी लोगों को भी आशा है कि वहां की विधान सभा काम करने की हालत में हो जाएगी । ऐसी स्थिति में इस मध्यावधि के लिए जब कि वहां विधान सभा स्थगित है, तब तक के लिए जो भी सलाहकार समिति

[श्री भोगेन्द्र झा]

या जो कुछ भी आप बनाते हैं, उस में विधान सभा का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये, उस के सदस्यों को उस में रखा जाना चाहिये। उन का ज्यादा जीवित सम्पर्क जनता के साथ होता है ।

एक यह भी सुझाव आया है कि लोक सभा के जो सदस्य हैं वे बिहार से और राज्य सभा में भी जो बिहार के सदस्य हैं, उन सब को उस में लिया जाना चाहिए । इस में भी कोई एतराज की बात नहीं है । मैं जानता हूं कि इससे शासक दल को ज्यादा फायदा होगा । लेकिन फिर भी इस पर संजीदगी के साथ विचार होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इन दोनों सुझावों पर गृह मंत्री विचार करें। अभी भी सम्भव हो तो सुधार लाने की वह कोशिश करें। इस का कारण यह है कि विधान सभा भंग नहीं हुई है, स्थगित ही हुई है । उस के सदस्यों का सहयोग लेना बेहतर होगा ।

बिहार की एक खास बीमारी की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है कि वहां कुछ व्यक्तियों ने दल बदल किया हो । यह सवाल नहीं है । पिछली बार जब श्री भोला शास्त्री के मुख्य मंत्रित्व में वहां सरकार चल रही थी उस में किसी व्यक्ति के द्वारा दलबदल का सवाल नहीं उठा था। पूरे दल ने दल बदल किया था। बिना सूचना दिये हुए, बिना कुछ बताये हुए जन संघ पूरी तरह से दल बदल कर गया था । पूरे दल का दल बदल कर जाना, पूरे दल का बहक जाना यह एक अनोखी बात है । वहां कांग्रेस और जन संघ के नेताओं में, नेतृवर्ग में समझौता हुआ था कि दोनों की मिलीजुली सरकार बने । यह उन का राजनीतिक समझौता हुआ था । देश की आम हालत को देखते हुए केन्द्रीय नेतृत्व ने शायद उस की इजाजत नहीं दी । पता नहीं जनसंघी कांग्रेसी हो गए थे या कांग्रेसी जन संघी हो गए थे, लेकिन उनके नतृ वर्ग में ऐसा समझौता हुआ था। जब पूरा दल ही बदल जाए, बहक जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी ।

जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, हम यही समझते हैं और इसी को मान कर चल रहे हैं कि वहां जनतंत्रीय शासन की सम्भावना है । जो सब से बड़ा दल है, कांग्रेस दल, वह सरकार बनाने में असफल साबित हो रहा है। उसने राज्यपाल के सामने यह दावा किया था कि उस को 153 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है । फिर अखबारों में आया था कि कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने बताया कि कांग्रेस दल को 165 की हिमायत हासिल है और इस का आश्वासन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को दिया भी था । लेकिन बाद में उन के ही अनुसार उन की संख्या कम होती गई । अब शायद 115 हो गई है । कांग्रेस दल वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है ।

हमारा आग्रह है कि संयुक्त समाजवादी दल को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए । वह कामयाब होगा या नहीं होगा, यह मैं नहीं कह सकता हूं । लेकिन उस को क्यों न मौका मिले, इस को बिहार के लोग और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं । मेरा आग्रह होगा कि केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करे और राज्यपाल को आदेश दे कि इस दल को सरकार बनाने का मौका वह दें । पिछली बार जब वहां महामाया मंत्रिमंडल था और इस बार भी जब भोला शास्त्री की सरकार बनी तो पांच दिन के लिए दलबदल एक ही दल के नेता ने किया जो कि संयुक्त समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं । श्री भोला प्रसाद सिंह पांच दिन के लिए कांग्रेस बैंचिज पर जा कर बैठ गए । मैं समझता हूं कि श्री भोला प्रसाद सिंह अभी भी संयुक्त समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और शायद किसी को उन से जवाब तलब करने की भी हिम्मत नहीं हो सकी है ।

यह हमारी मजबूरी है और दुर्भाग्य है। लेकिन इस के बावजूद मेरा आग्रह है कि संयुक्त समाजवादी दल को बिहार में सरकार बनाने का मौका दिया जाये। हमें आशा है कि वह सरकार चलाने में समर्थ होगा और इस में हमारा पूरा समर्थन होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने पिछले बाइस साल में जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया है, संयुक्त समाजवादी दल उस से तो बेहतर हालत वहां पर पैदा कर सकेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने इस बहस के लिए एक घंटा निर्धारित किया है। अभी चार पांच सदस्य और बोलना चाहते हैं और मंत्री महोदय को भी जवाब देना है। माननीय सदस्य मेहरबानी कर के अपने भाषण को खत्म करें।

श्री भोगेन्द्र झा : पहले इस बहस के लिये दो घंटे रखे गये थे। अब आप कहते हैं कि सिर्फ एक घंटा रखा गया है। मैं अभी खत्म कर दूंगा।

बिहार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त समाजवादी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह सरकार चलेगी और हम बिना शर्त उसका समर्थन भी करेंगे। सिर्फ एक हालत में उस को हमारा समर्थन नहीं मिलेगा—अगर उन्होंने जनसंघ के साथ सांठ-गांठ की और उस को सरकार में शामिल किया तो हम उस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में हमारा कोई अन्ध-विश्वास नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि रांची, हटिया और सुरसंड में जो संगठित कत्ले-आम हुआ—मैं दंगे नहीं कह रहा हूं, मैं संगठित कत्ले-आम की बात कर रहा हूं—जिस में उस समय की सरकार के मंत्रियों का भी हाथ था उस की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा दल सरकार में न आए जिस से बिहार में फिर कत्ले-आम हो और हमारा विचार है कि उस दल के बगैर भी बिहार की सरकार चल सकती है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं एक दो फौरी बातें कहना चाहता हूं। आपको ज्ञात होगा कि नेपाल का प्रतिनिधि-मंडल आज कल भारत आया हुआ है। पश्चिमी कोसी नहर की योजना को नेपाल के नाम पर नेपाल के बहाने टाला जा रहा है। मेरी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष भारत सरकार का है। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि चूंकि इस समय नेपाल के साथ बातचीत चल रही है, इस लिए पश्चिमी कोसी नहर के बारे में नेपाल सरकार की किसी भी जायज मांग की पूर्ति की जाये और उस नहर को तुरन्त खुदवाने की व्यवस्था की जाये।

बिहार की राज्यपाल की सरकार ने एक खतरनाक काम यह किया है कि उस ने यह तय किया है कि अशोक पेपर मिल को, जिस में 7 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और जिस में $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की विदेशी मशीनें हैं, आसाम भेज दिया जाये। मुझे पता नहीं कि इस निर्णय में किस का हाथ है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : इस कामचलाऊ सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी हालत में उस मिल को बिहार से हटने नहीं दिया जाये। बिहार में कानूनगो रहें या गैर-कानूनगो रहें, धर्मवीर जायें या अधर्मवीर जायें, उस मिल को बिहार से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। श्री शुक्ल यह बात जान लें कि वह शान्ति से उस मिल को बिहार से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए वह इस निर्णय को बदल दें।

बाढ़ से बिहार की बर्बादी हो रही है। माननीय सदस्य, श्री मंडल ने बिहार को दस हजार रुपये दिये जाने का सवाल उठाया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त कर दें ; इस प्रकार किसी और सदस्य को समय नहीं मिल पायेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपने दो मिनट और लूंगा ।

यह बात सुन कर शर्म आती है कि प्रधान मंत्री दयालु हो कर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए दस हजार रुपए दे रही हैं । अगर बिहार में कोई चुनी हुई सरकार होती, तो वह प्रधान मंत्री को ये रुपये वापस कर देती । बिहार में सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं और बहुत बर्बादी हुई है । इस स्थिति में बिहार को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता की जरूरत है और कर्ज देने की जरूरत है, वर्ना वहां की अगली खेती भी मारी जायेगी ।

इसके अलावा बाढ़ को रोकने का भी सवाल है । मैं पटना गया था ।

सभापति महोदय : अभी बाढ़ के विषय में बहस होगी । माननीय सदस्य उस समय बाढ़ के बारे में कह लें ।

श्री भोगेन्द्र झा : एक खास बात और कहनी है जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है । अय्यर आयोग की जांच का काम और सबूत वगैरह का काम सब पूरा हो चुका है । रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और उस में निर्णय होने वाला है । हमें आशा है कि निर्णय में जो कसूरवार है वह बात सामने आयेगी । लेकिन ऐसी स्थिति में हमें आशंका है कि बिहार में जो गवर्नर इस वक्त हैं या जो गवर्नर भेजने की साजिश हो रही है, उस के होते हुए कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि जो मुजरिम पाए जाएंगे उन को छोड़ दिया जायगा, उन को अदालत में नहीं भेजा जायगा, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा ? मेरा इतना ही निवेदन है कि उस वक्त तक अगर वहां यह गवर्नर का राज रहे तो उस पर मुनासिब कार्यवाही करने के लिये आप तैयार रहें ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर): सभापति जी, सदन के सामने बिहार स्टेट लेजिस्लेचर. डेलीगेशन आफ पावर्स बिल 1969 इस समय विचार के लिए प्रस्तुत है । मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । लेकिन इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक मीटिंग में यह आश्वासन दिया था कि बिहार में जल्दी से जल्दी पापुलर सरकार बनाई जायेगी, सभी लोगों ने जो प्रजातन्त्र पर भरोसा रखते हैं, उन के उस कथन का स्वागत किया है । मैं भी उन की उस बात का स्वागत करता हूं । लेकिन एक बड़े दुःख की बात है कि बिहार ने और हरयाना ने, हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक खास नाम पैदा किया है दलबदलुओं का और मैं समझता हूं कि यह बीमारी हरयाना और बिहार में जो शुरु हुई है, मैं आप को नहीं कहना चाहता हूं आप वहां के सदस्य हैं जो इस समय सभापति आसन पर बैठे हुए हैं लेकिन यह बात कहने की है कि बिहार में जो कुछ हालत हुई है और जो वहां दल बदलू हैं उन को सजा जरूर मिलनी चाहिए और उन को सजा एक ही तरीके से मिल सकती है कि उन को बार-बार चुनाव में भेजा जाय । वह जितनी बार चुनाव में जाते जाएंगे उतनी ही बार वह छंटते चले जाएंगे क्योंकि इस में उन का नुकसान उतना नहीं है जितना जनता का नुकसान है । दल बदलुओं का नुकसान नहीं है । . . . . . (व्यवधान). . . .तो गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह कांग्रेस पार्टी को वहां सरकार बनाने की इजाजत दें क्योंकि यदि वह वहां सरकार बनाने की स्थिति में है तो उसे सरकार बनाना ही चाहिए । इसलिए मेरी यह तजवीज है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को वहां पर इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि सरकार बनाए और अगर सरकार नहीं बना सकते हैं तो दोबारा वह चुनाव में जायें ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं; मैं नहीं समझता हूं कि जनता को इस का नुकसान हो, इसलिए इस विधेयक को पास करते वक्त गृह मंत्री से हम यह आश्वासन और विश्वास चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वहां डेवलपमेंट के जो काम हैं और उन क्षेत्रों के विकास के जो काम हैं उन कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हर प्रकार से जो भी सरकार वहां पर हो चाहे उसे ब्यूरोक्रेसी कह लें या राष्ट्रपति सरकार कह लें, वह इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उन को तकलीफ न रहे और जनता को इस बात का दुख न हो कि वहां पर उन के साथ बेइंसाफी हो रही है। इंसाफ लोगों को मिले, होम मिनिस्ट्री का यह फर्ज है कि सस्ता इन्साफ जनता को मिले और डेवलपमेंट के काम जो हो उन को सहायता दी जाये।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : सभापति जी, जहां तक बिहार में राष्ट्रपति शासन का प्रश्न है मैं उस का विरोध कर रहा हूं। साथ-साथ मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके बिहार में एक जनप्रिय सरकार की स्थापना होनी चाहिए। मैं सरकार पर यह इल्जाम लगाना चाहता हूं कि जब कि विरोधी दल में सब से बड़े दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को वहां सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था और उस ने दावा किया था कि हमें अगर मौका दिया जाय तो हम वहां एक स्थायी सरकार बना सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया।

जहां तक दल-बदल का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर केन्द्र में दल-बदल को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में इस विषय पर विचार किये जाने के बाद फैसला हुआ कि दल-बदल को रोका जाय और इस के लिये कोई स्थायी रास्ता निकाला जाय। लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के बाद जब कांग्रेस के 118 व्यक्ति चुन कर आये तो इन्होंने उस समिति को स्थगित कर दिया और दल-बदल को रोकने के लिये जो फैसला हुआ था और उस के सम्बन्ध में जो बिल वहां पर आना चाहिये था उसे जान बूझकर रोका गया जिससे कि बिहार में कांग्रेस की सरकार बन सके। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि डिफैक्शन की जन्मदात्री कांग्रेस है, इस ने स्वयं दल बदल का रास्ता अपनाया और अभी भी उस पर चल रही है। अगर आपने इसके सम्बन्ध में कोई कानून बनाया होता तो बिहार में स्थायी सरकार बन सकती थी।

जनतन्त्र में आज जनता की जो आस्था होनी चाहिए थी वह टूट रही है। जो सरकार बनती है वह 10 दिन के अन्दर टूट जाती है, दूसरी बनती है, फिर टूट जाती है, इस की जिम्मेदारी किस पर है? कांग्रेस पर है, कांग्रेस के लोग चाहते हैं या तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन रहेगा।

सभापति महोदय, बिहार के अन्दर पिछले 22 वर्षों में जिस तरह से शासन चला है, उस में वहां के विकास को रोक कर रखा गया है जब कि बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, विकास के सारे साधन वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उस के विकास को रोक कर रखा और आज जब कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है तो अफसरों का राज पूरी तरह से कायम है, जो मनमाने ढंग से उस को चला रहे हैं। मैं इस की कुछ मिसालें आप के सामने रखना चाहता हूं मुंघेर के अन्दर बन्दूकें बनाने का एक बहुत पुराना धन्धा है, हजारों कारीगर वहां इस काम में लगे हुए हैं. वहां पर 36 फैक्टरियों की एक सहयोग-समिति है, उस सहयोग समिति को जो कोटा मिलता था, उस के कोटे में कटौती कर के उस के उत्पादन पर रोक लगाई गई है, जिस की वजह से एक हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। इस तरह से बिहार में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को सरकार समाप्त करना चाहती है।

[श्री लखन लाल कपूर]

वहां के हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो धांधली अफसरान ने मचा रखी है, उस की एक मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं। पटना में जो सरकारी कालोनीज बनी हैं, उन में कम आमदनी वालो को मकान भाड़े पर देने या बिक्री करने की व्यवस्था थी। जैसे कंकरबाग कालोनी है, पाटलीपुत्र कालोनी है लेकिन वहां पर क्या धांधली चल रही है, एक एक आदमी के नाम पर तीन तीन, चार चार फ्लैट अलाट किये गये हैं, जिस में वे खुद नहीं रहते हैं, भाड़े पर उठा देते हैं उन लोगों ने रांची में भी मकान लिए हुए हैं, दूसरी कालोनीज में भी लिये हुए हैं ? अफसरान इन मामलों में शामिल हैं, इस धांधली को रोकने के लिये सरकार आज कोई कदम उठाना नहीं चाहती है।

मैं चाहता हूं कि बिहार के अन्दर आज जो हालत है उस को देखते हुए तथा जनता में जनतन्त्र की आस्था लाने के लिये एक सरकार बननी चाहिये तथा वहां पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को दावत दी जानी चाहिये कि वह अपनी सरकार बनाये।

श्री वि० प्र० मंडल (मधेपुर) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कितना समय मिलेगा ?

सभापति महोदय : मैं एक बात यहां पर साफ कर देना चाहता हूं--इस समय बिहार और दूसरी बहुत सी जगहों पर बाढ़ आई हुई है, उस पर डिस्कशन के लिये आप सब लोग समय मांग रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप सब लोग इस को पास हो जाने दें तो उस के लिये काफी समय बच सकता है।

श्री वि० प्र० मंडल लेकिन मुझे तो इस पर भी बोलना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में आज अजीब परिस्थिति है एक तरफ प्रेसीडेंट रूल है और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव असेम्बली डिजाल्व नहीं हुई है, सस्पेंडेड है। पता नहीं उस को फिर डिजाल्व करने जा रहे हैं या फिर से कोई नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी बीच इन्होंने इस बिल को यहाँ हाउस में रखा है, एक तरफ से यह सरकार सब को सस्पेंस में रखना चाहती है-- यह कोई अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, 1967 के आम चुनाव, के बाद जो विभिन्न सरकारें वहां पर बनीं उस में किस का क्या दोष था, एस० एस० पी० वालों का क्या दोष था और कांग्रेस वालों का क्या दोष था, मैं उन गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहता हूं। मगर देखा जायेगा तो कोई भी इसमें से पाक नहीं निकलेगा इसलिए

Trust no future however present
Let the dead past, bury its dead
Act, act in the living present
Heart within and God overhead.

बिहार के लिए प्रेसीडेन्ट रूल एक अभिशाप की तरह है। गत मार्च में बिहार में जो प्रेसीडेन्ट रूल हुआ उसमें बिहार के जन जीवन का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं और सरकारी लेविल पर जनता की कोई भी सुनने वाला नही है। अभी बिहार में जैसा फ्लड आया वैसा कभी भी नहीं आया था लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। बिहार लेजिस्लेटिव असेम्बली की पावर्स पार्लमेंट में डेलिगेटेड हैं लेकिन यहां पर बिहार का जब कोई मसला आयेगा तो मुश्किल से एक घंटा दिया जाएगा। बिहार जिसमें 6 करोड़ आदमी रहते है, इस देश की सेकिन्ड लार्जेस्ट स्टेट है, उसकी यदि आप रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेन्ट से वंचित रखेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं इसमें हार्ट-सर्चिग होनी चाहिये। मिड टर्म एलेक्शन में कांग्रेस वाले 115 जीत कर आये। ऐसा क्यों हुआ, इस पर मैं नहीं जानना चाहता। हो सकता है कि कांग्रेस के जो रिकग्नाइज्ड लीडर्स थे यदि उनको टिकट दिये जाते तो

शायद कुछ वेशी जीतकर आते । लेकिन एक चीज जरूर फेल हो गई । हमारी प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि 95 फीसदी पापुलेशन हमारे साथ लेकिन 95 फीसदी कांस्टीटुएन्सीज में, जहां जहां वे गई थीं, कांग्रेस वाले हार गये ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : बेतिया मोतीहारी में वे गई थीं, वहां कांग्रेस जीती ।

श्री वि० प्र० मण्डल : ठीक है, लेकिन 95 फीसदी कांस्टीटुएन्सीज में कांग्रेस हारी । जनता ने यह साबित कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहती है । श्री नित्यानन्द कानूनगो के फेवर में हम नहीं हैं । उन के विषय में कहा गया कि वे शरीर से कमजोर हैं लेकिन गवर्नर के लिए शरीर से मजबूत होना जरूरी नहीं होता । लेकिन कांग्रेस को मौका दिया जाये । वह 21 वोट से हारी । भोला शास्त्री को मौका दिया गया तो वे बेचारे नोकांफीडेंस के डर से भाग गए । तो बिहार में किसी भी गवर्नर को दोष देना ठीक नहीं होगा । कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं था इसलिये आप ने सस्पेंड किया । पब्लिक लाईफ के इन्ट्रेस्ट में कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं कि हमारे दाहिने जो बैठे हैं, एस० एस० पी० या पी० एस० पी० वाले उनके साथ मिलकर गवर्नमेन्ट बनायें

श्री शिव चन्द्र झा : कांग्रेस के साथ एस० एस० पी० के मिलने का कोई सवाल ही नहीं है । ये गलत प्रपोजिशन रख रहे हैं ।

श्री वि० प्र० मण्डल : जब वी०वी०गिरि के चुनाव में एक साथ वोट दे सकते हैं तब बिहार की जनता को जनप्रिय और जनतांत्रिक शासन देने में और डेमोक्रेसी को बचाने में एक साथ नहीं रह सकते है, यह बात कुछ समझ में नहीं आती है । गवर्नर को या होम मिनिस्टर को दोष देने से काम नहीं चलेगा । कोई भी गवर्नमेन्ट बनायेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं वह टिकने नहीं जा रही है । एक ही आल्टर-नेटिव है कि एस०एस०पी० और पी० एस० पी० वालों के साथ मिलकर नेशनल टाईप गवर्नमेन्ट बनायें । जिस तरह प्रेसीडेन्ट के चुनाव में आप दूध और पानी की तरह मिल गये थे उसी तरह से यदि आप लोग मिल जायें और कुछ समय के लिये सरकार बनाइयें, तो सरकार बन सकती है वरना नहीं बन सकती है । मैं सस्पेंशन के फेवर में नहीं हूं । चाहे तो आप गवर्नमेंट बनाये और अगर न हो सके तो डिजाल्व कर दीजिये लेकिन इस प्रकार के सस्पेन्स में रखना जनता के भाग्य का निपटारा न करना, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है । और इसका नतीजा यह हो रहा है कि डिफेक्शन्स बिहार में हो रहे हैं, यों तो डिफेक्शन एक दूसरा मसला भी बन गया है, पहले डिफेक्शन राज्य में हुआ और अब डिफेक्शन बहुत बड़ी-बड़ी जगह पर राष्ट्रपति भवन में भी होता है । इसलिए सब तरफ डिफेक्शन हो रहा है । मैं चाहता हूं कि बिहार में सरकार बनायी जाये, बेकार किसी को दोष न दें सब एक साथ मिलकर सरकार बनायें । पब्लिक का शासन कम से कम 1972 के लिये स्थापित किया जाये और वहां के लोग मिल कर जनप्रिय सरकार बनायें । बस मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : सभापति जी, हमारे प्रदेश बिहार में राष्ट्रपति शासन जो इंटरड्यूस हुआ उसके पीछे औचित्य यह है कि विरोधी दलों में जो एकता होनी चाहिये वह नहीं है । जो पहले संविद सरकार बनी और उसने जो इतिहास क्रिएट किया प्रदेश में अव्यवस्था का उस की वजह से कानून की व्यवस्था एक तरह से समाप्त हो गई । इस तरह शासन संविद सरकार लायी और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस की वजह से संविद सरकार न चल सकी । फिर दूसरी सोशलिस्ट सरकार आयी, उसका भी

[श्री सीताराम केसरी]

आचरण होना चाहिए था वह नहीं रहा। जिसकी वजह से वह सोशलिस्ट सरकार भी जाती रही, और नतीजा यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार को फैसला करना पड़ा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। जनता ने 1967 में जो फैसला दिय था, विरोधी दल को मौका दिया था, कि वह शासन करके जनता के हित में, जनता की सेवा और सुख समृद्धि में योगदान देते उस मौके का उन्होंने दुरुपयोग किया और पद लिप्सा में बुरी तरह से लिप्त हो गये, उनके सामने भी स्वार्थ आ गया और अपने प्रदेश को उन्होंने कोई सेवा नहीं की जिस की वजह से महामाया बाबू की सरकार गिरी। महामाया बाबू ने जो कमीशन बैठाया उन्हीं महामाया बाबू को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामगढ़ के केस में कंडम कर दिया। तो ऐसे आदमी का निर्णय जनता को कैसे मान्य होता।

समय की कमी के कारण मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

17 hrs.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : सभापति जी, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन हो रहा है उसकी वजह आपको अच्छी तरह से मालूम है। कोई ऐसा दल नहीं है जो मिलकर के राज्य चला सके। जितनी पार्टियां हैं, 15 से ज्यादा पार्टियां हैं, वे मिल नहीं सकतीं और मिले तो पांच, चार, सात आदमी आते हैं, और हर एक आदमी को गद्दी चाहिए। अगर मिनिस्टरी न मिले तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन ही उचित था। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

बिहार में इस समय बहुत बड़ी धांधली चल रही है, करप्शन बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आये कि ऊपर के अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार बहुत जोरों से बढ़ गया है। इस का भी यह ख्याल करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अच्छे अधिकारी को भेजा जाये जो काम को सम्हाल सके। ऐसे आदमी को वहां भेजने की जरूरत है। अभी जो दो सज्जन हैं उनके बस का नहीं है कि इतने बड़े काम को सम्हाल सकें इसलिए कुछ और साथी उनको देने चाहिए।

जो सलाहकार कमेटी बने उसमें भी ज्यादे आदमी रखे जायें और बिहार के जो एम० एल० एस० और ए० एम० सीज० है उनका भी उस कमेटी में शामिल होना मैं आवश्यक समझता हूं।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी (नवादा) : सभापति जी, पिछली बार जो सलाहकार समिति बनी थी और उसने कुछ सुझाव दिये थे। उस पर जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ उसमें माननीय गृह मंत्री ने बताया था कि इस साल मार्च के महीने में, वहां की ग्राम पंचायतों और म्युनिसिपैलीटीज के चुनाव करा दिये जायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फिर से जो चुनाव हुए और उसमें जो दो सरकारें बनी वह भी नहीं रह सकीं, और अभी भी ऐसी स्थिति वहां नहीं है कि जो सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की हो या एस० एस० पी० की हो वह सरकार स्थिर रह सके। मेरा यह ख्याल है कि कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह सकेगी, जैसा कि मैं वहां की स्थिति को जानता हूं। यह एस० एस० पी० वाले कोई कारण रखकर कि अगर जनसंघ वाले इस सरकार में रहेंगे तो सी० पी० आई० वाले साथ नहीं देंगे और अगर सी० पी० आई० वाले रहेंगे तो जनसंघ वाले साथ नहीं देंगे, जान बूझकर इस प्रकार की स्थिति वहां उत्पन्न कर रहे हैं, हालांकि गलती दोनों में से किसी की नहीं है। अभी इन तमाम पार्टियों में से किसी में इतनी ताकत

नहीं है कि वहां सरकार बना सके। आप जो सलाहकार समिति बना रहे हैं, उसके लिये मेरा सुझाव यह होगा कि आप उनकी सलाह को माने। पिछली बार का हमारा अनुभव यह रहा है कि जो भी सलाह सलाहकार समिति ने दी है, उनमें से 8 प्रतिशत को भी आपने नहीं माना है। अगर आप वैसी ही अवस्था फिर उत्पन्न करना चाहते हैं तो इससे अच्छा यह होगा कि आपके गृह मंत्रालय के जो दो सलाहकार वहां गये है उन्हीं को ही वहां रखिये क्योंकि उनके बजाय जो समिति आप रखना चाहते हैं उससे तो समिति बदनाम ही होगी। इसलिये इस सलाहकार समिति को बनाने का कोई लाभ नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से दो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव के बारे में पिछली बार सरकार ने जो वायदे किये थे मार्च महीने में, उनके फलस्वरूप आपकी सरकार द्वारा या राष्ट्रपति शासन के द्वारा कोई कदम उठाये जायेंगे? दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान राज्यपाल है क्या सरकार उनको पन्द्रह दिनों के अन्दर हटायेगी? अगर नहीं हटायेगी तो वहां की स्थिति विस्फोटक हो जायेगी। इस व्यक्ति ने राज्य की अवस्था इतनी विस्फोटक बना दी है कि उसको पन्द्रह दिन के अन्दर वहां से हटा देना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी): सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे सूबे में राष्ट्रपति का शासन हो गया। वहां की जनता पूरी तरह से प्रजातान्त्रिक है, लेकिन इसका कारण यह है कि अभी जो नाम लिये गये है उनमें पन्द्रह पार्टियों के नाम याद आये। एक वोट से लेकर 118 वोट तक पन्द्रह पार्टियों के हाथों में हैं।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : 111।

श्री विभूति मिश्र : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के लिये कंडिसन्स क्रिएट करें। वह यहां इतनी पार्टीज न रखे। इतनी पार्टीज रखने से कोई भी स्थायी सरकार नहीं बन सकती है। यह भी हो सकता है कि अगले आम चुनाव के बाद कहीं पर कोई गवर्नमेन्ट बनाना मुश्किल हो जाये। इसलिये बहुत सी पार्टियां न रखकर सिर्फ तीन पार्टियां रखें। एक राइट, एक लेफ्ट और एक बीच की। इन तीन पार्टियों मे काम चल सकता है।

आज बिहार में बाढ़ आई जिसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ है। सरकार को यहां से उन लोगों की मदद करनी चाहिये और जितनी भी सहायता हो सके बाढ़ पीड़ितों के लिये भेजनी चाहिये। छात्रों को पुस्तकें देनी चाहियें, जिनके घर गिर गये है उनको खाना पीना देना चाहिये, और घर बनाने का सामान देना चाहिये, क्योंकि वहां की जनता बड़े कष्ट में है। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर और प्रधान मंत्री खुद जाकर वहां की हालत देखें।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : वह 11 तारीख को जा रही हैं।

श्री विभूति मिश्र : बड़ी खुशी की बात है अगर प्रधान मंत्री वहां जा रही हैं। वह वहां के आदमियों को देखेंगी और उनसे बात करेंगी।

इसके अलावा जो सलाहकार समिति बन रही है उसके सदस्यों की तादाद बढ़नी चाहिये। एक और बात बहुत जरूरी है कि एडवाइजर्स की तादाद 2 से बढ़ाकर 4 कर दी जाय क्योंकि उनका वहां भी काम है और यहां भी काम है। आज दोनों काम नहीं हो पाते हैं। चूंकि दो एडवाइजर्स को सेंटर और दोनों जगह काम करना पड़ता है इसलिये उनकी संख्या बढ़ाई जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): श्री मिश्र को इतना जरूर देखना चाहिये कि जो वह तीन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

तीन पार्टियों की बात कह रहे थे वह तीन पार्टियां तो उनके यहां ही हैं : सिंडिकेट, इंडिकेट और विंडिकेट ।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): I rise to support the Motion. Unfortunately for Bihar, our country has not been able to appreciate democratic values. We are not in a position to form stable democratic governments which would be able to deliver the goods. Many hon. Members spoke last year. When there was the question of the President's rule last year, I said that our country had utterly failed in experiments in coalition Governments and If I had the authority I should extend President's rule for six years. It is not a simple thing. The country has suffered enough by coalition Governments and by the undemocratic functioning of democratic Governments. What is the function of Government? To govern. Ask the people. They are the best judges whether the democratic Governments had delivered the goods. The primary function of the Government is to raise the standard of poverty, not to eliminate poverty. It is all non-sense to talk of eliminating poverty. No progressive country has been able to eliminate it, while some countries have raised the standard of poverty. As I said, people are the best judges to say whether democratic coalition Governments had been able to deliver the goods.

We had democratic Government from 1947. All the lands belonging to the tribals had been transferred to others illegally, in flagrant violation of the Chotanagpur Tenancy Act. This is how Government functions. Whatever Government we have, it must restore the lands to the original owners. If I had time, I could have elaborated that point.

Dr. Chandrasekhar our Minister of Family Planning had given the slogan: '*Do Ya Teen Bus.*' I should like to say that our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi thinking in terms of party planning says: *Do Ya Teen Bus.* She has already taken a step. We must try to reach that goal. I entirely agree with Mr. Bibhuti Mishra's views on having three parties. I would say these parties should be: Congress, Conservative and Communist. That is the only solution if we want to have democracy and deliver the goods to the people. No matter to what political party one belongs, all have forgotten their duty and only indulge in sabre-rattling and mud-slinging and slogan shouting. It is time the public twisted the arms of the legislators so that at least in future they may be careful. They must be made to remember that they had failed the people. It is the duty of the public to twist the arms of the legislators so that they could be brought back to their senses. I should like to ask those legislators who want to have a coalition Government to search their hearts to find out whether they are in a position to form a stable coalition Government in Bihar. I tell you that they cannot under the present circumstances and therefore they should not try unless there is ideological agreement with all the constituents of the coalition Government.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं उनसे साफ पता लगता है कि कितनी कठिन समस्या हमारे सामने बिहार के सम्बन्ध में है । यदि जिन सदस्यों ने भाषण किये हैं उन सबके विचारों को एकत्रित करने की कोशिश की जाए तो पता लग जायेगा कि वहां पर क्यों राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और यह भी माननीय सदस्यों की समझ में ठीक से आ जाएगा कि किन कारणों से हमें यहां पर यह विधेयक लाना पड़ा ताकि जो घोषणा राष्ट्रपति जी द्वारा की गई थी उसे हम दो महीने से भी अधिक समय तक जारी रख सकें। पहले आशा थी कि कुछ ही समय में वहां की राजनीतिक स्थिति सुलझ जायेगी और हम लोग वहां पर एक जनप्रिय सरकार की स्थापना

शीघ्र ही कर पायेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे वहां का मामला और भी जटिल होता गया और मैं समझता हूं कि उस जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कुछ समय तक हमको वहां पर राष्ट्रपति का शासन और जारी रखना पड़ेगा। वहां जितनी पार्टियां हैं उनको एक साथ बैठ कर, मिल कर कुछ इस तरह का व्यवहार करना होगा, कुछ इन्तजाम करना होगा ताकि वहां कोई स्थायी सरकार स्थापित हो सके। मैं नहीं समझता हूं कि यह सम्भावना किसी भी माननीय सदस्य ने व्यक्त की है कि वहां स्थायी सरकार अभी बन सकती है। स्थायी सरकार बनने का जब भी हमें वहां पर मौका दिखाई देगा और माननीय राज्यपाल की इस तरह की सिफारिश हमारे पास आयेगी हम तुरन्त राष्ट्रपति का शासन वहां से अलग करके लोकप्रिय शासन स्थापित करने से जरा भी हिचकेंगे नहीं।

मैं सदन के सामने बिल्कुल साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हम यह नहीं समझते कि राष्ट्रपति शासन से किसी प्रदेश की स्थानीय समस्याओं का हल ठीक तरह से हो सकता है या वह लोकप्रिय शासन का कोई विकल्प हो सकता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन में जनता को उस तरह की राहत नहीं मिलती है, जोकि लोकप्रिय शासन में मिलती है। इसलिए हम बहुत ही पशोपेश में, बहुत ही मुश्किल से और मन में हिचककर कहीं भी इस तरह का शासन लागू करने का यत्न करते हैं। इससे इस सदन के माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिलता है कि वे एक राज्य की सब स्थानीय समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दे सकें और उस पर उतना समय लगा सकें, जितना कि राज्य विधान सभा के सदस्य लगाते हैं। सरकार में बैठे हुए हम लोगों के लिए भी, जिन पर उस राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी आती है, यह सम्भव नहीं है कि हम उस राज्य की विभिन्न समस्याओं पर ठीक तरह से विचार कर सकें। सब दृष्टियों से यह उचित है कि जिन-जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां उसको समाप्त करके लोकप्रिय शासन की स्थापना की जाये। मैं समझता हूं कि यही बात बिहार के लिए भी लागू होती है।

माननीय सदस्यों ने बाढ़ आदि बहुत सी स्थानीय समस्याओं का उल्लेख किया है। समय के अभाव के कारण मैं इस अवसर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने स्थानीय समस्याओं के बारे में जो विचार प्रकट किये हैं, जो सुझाव दिये हैं और जो चिन्तायें व्यक्त की हैं, हम उनके बारे में पूर्ण रूप से ध्यान देकर उन्हें हल करने का यत्न करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोग यह नहीं चाहते कि पिछले मध्यावधि चुनाव के बाद राज्य में जो विधान सभा बनी है, उसको हम भंग करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद हमें वहां पर फिर मध्यावधि चुनाव करने पड़ेंगे, जो कि, मैं नहीं समझता, कोई चाहता होगा। हम चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा न हो कि बार-बार वहां के मंत्रिमंडल गिरें, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर फिर विधान सभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता पड़े। इसलिए मैं सब माननीय सदस्यों और सब राजनैतिक दलों से अपील करूंगा कि हम सब इस प्रकार का वातावरण तैयार करें, जिसमें बिहार में जल्दी से जल्दी एक लोक प्रिय सरकार स्थापित हो सके और माननीय सदस्य जिस उद्घोषणा और जिस बिल को स्वीकार करने जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता आगे चल कर न पड़े।

मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों को सोच-विचार कर माननीय सदस्य इस उद्घोषणा और इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस बहस में एक बात कही गई थी कि एक-तिहाई बिहार पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वहां पर न कोई रिलीफ कमेटी बनाई गई है और न ही गवर्नर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को देखने के लिए गया है,—वह हवाई जहाज से भी देखने के लिए नहीं गया है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा है कि मैं समयाभाव के कारण इन बातों में नहीं जा रहा हूं । वहां पर फ्लड रिलीफ के लिए काफी काम किये गये हैं । यदि वहां के एडवाइजर्ज फ्लड-एफेक्टिड एरियाज का टूर करने के लिए नहीं गये हैं, तो हम यह निर्देश देंगे कि वे जाकर स्थिति को देखें और समुचित इन्तजाम करें ।

श्री भोगेन्द्र झा : बिहार में विधान सभा भंग नहीं हुई है, वह स्थगित है । विधायक मौजूद हैं । हां, वे तनख्वाह नहीं पाते हैं । ऐसी हालत में परामर्शदात्री समिति में विधायकों का सहयोग क्यों नहीं लिया जाता है ?

राज्यपाल की सरकार ने अशोक पेपर मिल को बिहार से हटाने का निर्णय कर लिया है । क्या मंत्री महोदय इस निर्णय को स्थगित करेंगे, क्योंकि एक काम-चलाऊ सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है ? क्या मंत्री महोदय यह निदेश देंगे कि चुनी हुई सरकार ही इस बारे में निर्णय करेगी ? इस स्थिति में इस कदम से अशान्ति पैदा होगी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारा जो संविधान है उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन में केवल हमें संसद सदस्यों की ही राय लेने का अधिकार है । हम इस वक्त वहां के विधान मंडल के सदस्यों की राय नहीं ले सकते । पर वहां जो सलाहकार लोग हैं और जो राज्यपाल महोदय हैं उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार है कि उनकी राय लें और उन से बातचीत करें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कहिए उनसे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बड़ी खुशी होगी यदि वह उनकी राय वहां लें और उनकी बातें सुनें । पर कानूनी दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं होगा कि जो सलाहकार समिति संसद की बने उसमें राज्य विधान मंडल के लोग लिये जायें ।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up the Bill. The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up clause by clause consideration.

There are no amendments to clause 2. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: A number of amendments have been given notice of to clause 3. But, since hon. Members are anxious that the discussion on floods should be taken up soon, I would request them not to move their amendments. I will straightway put

it to the vote of the House. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up the discussion on floods.

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : मेरा एक निवेदन है कि वक्फ्स बिल नान-कंट्रोवर्शियल है, उसको ले लिया जाय ।

SHRI M. N. REDDY: (Nizamabad): No more legislation now.

सभापति महोदय : मेम्बर्स अगर नहीं चाहते हैं तो हम किस तरह से ले सकते हैं ?

DR. SURYA PRAKASH PURI (Nawada): It has been decided earlier by the House that after the Bill on Bihar floods will be taken up.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura): Sir, the Wakfs Bill is a non-controversial one.

DR. SURYA PRAKASH PURI: Only floods should be taken up.

MR. CHAIRMAN: Since some hon. Members are objecting to the taking up of any legislative work, I cannot help it.

17.25 hrs.

MOTIONS RE. SITUATION CAUSED BY FLOODS AND DROUGHTS

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): May I suggest that we have the discussion up to 6.15?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Are we sitting up to 6.30?

MR. CHAIRMAN: No, we will adjourn at 6.

SHRI S. M. BANERJEE: This House is supreme and sovereign. The blackout can be shifted to 8 o'clock. Let us pass a Resolution here. The hon. Home Minister is here.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ब्लैक-आउट 6 बजे से 11 बजे तक कभी भी हो सकता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति जी ब्लैक-आउट 8 बजे से 11 बजे के बीच में है, आप 7 बजे तक बैठ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम साढ़े छः बजे तक बैठें ।

सभापति महोदय : ब्लैक-आउट किसी भी समय हो सकता है, बहुत से मेम्बर्ज दूर रहते हैं, यहां के कमचारी दूर रहते हैं, उनको समय तक घर पहुंचना है, इसलिये समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

SHRI HEM BARUA: (Mangaldai): Sir, I beg to move the following:—

"That this House takes note of the destruction of life and property caused by the annual floods in the various river systems in the country and recommends to the Government that expert committees be constituted to consider the economic and technical feasibility

[Shri Hem Barua]

of forming two National Grids for river systems—one for the Indo-Gangetic Plain and the other for the Southern Peninsula."

Floods in the country today are assuming a menacing dimension. There are floods all over the country today in different parts of this country. Whether it is in the north or it is in the south, there are floods. And floods cause destruction. The pattern of the floods is the same all over the country and the suffering caused to the people is also the same all over the country. Therefore, I do not want to go into the account of untold sufferings faced by the people due to floos. I want to say something about the Government.

I will agree with the Government in one thing particularly, namely, that floods cannot be eliminated completely. But then the intensity of the floods can by minimised by strategic measures to plug the vulnerable areas. This can be done, but whether this has been done or not is the major question.

Government have from time to time appointed so many committees and commissions and the committees and commissions have submitted so many reports. The reports are in the Parliament Library. I have gone through the reports. The suggestions or the measures to be taken are the same and even the language in which these suggestions are made is the same. What is the use of constituting these committees and commissions that make recommendations which we do not propose to translate into action or to implement? The commissions and committees have made sufficient and adequate number of suggestions and recommendations. All these recommendations and suggestions are cold-storaged. That is the trouble.

I remember, in 1954 there was a National Flood Control Policy that was adumbrated by the Government. This National Flood Control Policy that was adumbrated in 1954 had three categories of measures—immediate, short-term and long-term. Were all these measure—immediate, short-term and long-term—taken.

Now in North Bengal there is a catastophic flood and I remember the Government of West Bengal saying that there was a proposal for a master plan to control floods. This Master Plan has never come into existence because of the paucity of funds.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may try to conclude now. We have got only half an hour. The Minister has also to reply.

SHRI HEM BARUA: If you are going to continue the discussion to the next session, I can speak during the next session.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: (Nandayal): May I make a submission? Only half an hour is left. It is not possible for Members to usefully participate in this discussion. After all, as the hon. Member was saying, floods is a continuous problem in our country. I suggest to you that this discussion may be postponed to the next session.

MR. CHAIRMAN: If you agree, I have no objection.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : इस पर आज ही डिस्कशन होना चाहिए । हम लोग मर गये हैं, बह गये हैं । आध घंटे से कुछ भी नहीं होगा । सरकार सो रही है ।

MR. CHAIRMAN: Shri Hem Barua.

SHRI HEM BARUA: There have been floods in Bihar, U.P. Assam and in different parts of the country. As I have already submitted, various commissions and committees have made recommendations and suggestions. They are all in the cold storage. They are never implemented.

Sir, whenever floods occure we read in newspapers of one thing only that either the Prime Minister will fly in a helicopter over a particular flood-affected area or some Ministers do it. Last time, I remember, when there was flood in Assam, the Prime Minister flew over the flood-affected area. At Gauhati airport, there was such a rush of Congress politicians to get into the aircraft of the Prime Minister that even an Enginee in-charge of Flood Control in the State was left out. He did not find a seat. Who is important? Is it an Engineer or politicians who want to bask in the sun-shine of the Prime Minister? This is what happens.

Then, there is a report of the high-level Commission on Floods and, according to that report, the annual *per capita* floods damage is the heaviest in Assam. Every year, due to floods all over the country, the national exchequer losses to the tune of errores of rupees. The report of the high-level Commission on Floods has pinpointed one thing ......

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude now. The House will adjourn at 6 o'clock. If you take so much time, other Members will not get time pinpointed one thing to reply. (*Interruptions*).

श्री कामेश्वर सिंह : वहां पर सब लोग मर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, हम लोग यहीं पर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे।

SHRI HEM BARUA: If the discussion on floods is reduced to half an hour, we are not responsible for that. It is you who are responsible for reducing it to half an hour. It is such an important matter. The floods have caused an untold misery to the people of our country.

MR. CHAIRMAN: It is because too much time was taken on other business.

SHRI HEM BARUA: I have not taken too much of time. I have only started.

When there was a serious situation on account of floods in Assam, I submitted a Short Notice Question, but that was by-passed; I also gave notice of a call-attention and that was also by-passed. We know how you people conspire to neglect Assam. You have always been by-passing any Short Notice Question or any call-attention in regard to Assam, and when a discussion comes here, we are told that we should not go long. I am not going to make a long speech.

Due to floods the national exchequer suffers to the tune of crores of rupees. There are two problems: one of erosion and the other of inundation. May I tell you, Sir, that during a certain period, when floods are normal, the damage in Assam is 5 per cent. but when the floods are abnormal, the damage is 10 per cent to the agricultural land. As I have already said, the problem that is caused by the floods is two-fold: one is erosion and the other, inundation. Erosion has taken about 50,000 acres of land involving a cost of Rs. 15 crores uptill now. The total loss to the Assam exchequer during 1954—1967 is Rs. 103 crores; if comes to Rs. 7.7 crores annually.

Last time when the floods ravaged, what happened? The Assam P.W.D. required Rs. 25 lakhs to repair bridges and roads which had been damaged because of floods. I have told you about erosion. About 50,000 acres of land are eroded by the floods. There is erosion facting the Dhubri town. I brought it to the notice of the Minister, but the Minister wrote a letter to me saying that the engineer

[Shri Hem Barua]

of the Assam Government had not informed him about erosion at Dhubri town. The Dhubri town is about to be destroyed and three mills have to be shifted. Now what has happened? It is not a fact that floods occurred after 1950. Before 1950 also there were floods, but after 1950 they have become acute in dimension and very alarming and menacing. Because of the earthquake of 1950 the beds of the river Brahmaputra has gone up by ten feet and in other places the bed of the river has gone up by 18 feet. The beds of the river have silted. You might say that silting could be removed by dredging. By dredging the rivers might be silted again. I would say that dredging is a continous process.

It was only last time that the Minister said that there would be retention dams. The rains might fall in catchment area and roll down. You were telling us about retention dam. Have you done anything for a retention dam in Assam? There are multi-purpose projects for other States, but there is not even a single multi-purpose project for Assam.

The programme for irrigation and power has to be correlated with the programme for the control of floods. Have you correlated the programmes like that? You have done nothing of that sort. Assam cannot be your colony, the colony of New Delhi. You must give what is legitimately due to the people of Assam. You have not given what is legitimately due to the peolpe of Assam. This is a very serious matter. Here is the statement made by the Minister. He has given the account of the entire thing. There were floods in July, 1969, and a picture of the floods that occurred in July, 1969 has been given. But don't forget that the floods are recurring in the State of Assam. Even now you have floods in Gaohar District. Now, people's cultivation is destroyed. people's life is destroyed and you have yourself admitted in this statement that during this wave of floods some five human lives were lost. What happens? Whenever the question of floods crops up on the floor of this House, the Minister has a tendency to say that it is a normal feature. I remember another Minister told us to learn to live on stilts. Is there no solution to the problem? Then another top leader here who was also a Minister told us 'Learn to live with floods'. This may be original suggestion but all the suggestions, you know, should be commensurate with the problem. They are not at all commensurate with the problem. Yet these suggestions were made. This is how a particular State is neglected.

Now you have floods in UP, Bihar, Orissa and in North Bengal and everywhere. What measures have you taken? Have you taken any measures to see that the flood do not occur and erosion of land does not take place? I hope and trust that the Government would wake up and not go on throwing dust into the eyes of the people by appointing Committee and Commissions to make recommendations but their recommendations are put in the cold storage. I would request the Government to implement the recommendations made by the different Commissions and Committees so that the intensity of the floods in the country can be reduced to the minimum. Dr. Rao who is an able and efficient engineer, who has got a certificate when he accompanied the Prime Minister to Assam— I hope and trust —will try to justify his selection as a Minister in Shrimati Indira Gandhi's Cabinet.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House takes note of the destruction of life and property caused by the annual floods in the various river systems in the country and recommends to the Government that expert Committees be constituted to consider the

economic and technical feasibility for river systems—one for the Indo-Gangetic Plain and the other for the Southern Peninsula."

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Sir, I beg to move:

"That this House takes note of the harrowing misery caused by the droughts in some parts of the country and recommends to the Government that an expert committee be constituted to devise effective measures to meet such situations of natural calamities and to draw a scheme for better and fuller utilisation of water resources in the country."

Sir, the previous speaker, Mr. Hem Barua, spoke on the havoc done by floods in Assam. I will present a different picture—lack of water in various parts of the country. In Tamilnadu and other places want of water does the mischief. There because of failure of monsoon level of water in rivers falls and villagers suffer because of the failure of the monsoon and the streams dry up and lands are parched and people have to go even without drinking water. Sir, Tamilnadu is going through one of the severest droughts experienced by anybody in living memory. 9 lakh acres of paddy were affected in 1968-69 and the production of paddy may fall by about 12 lakhs tonnes. According to official estimates about Rs. 100 crores will be lost by the farming section in Tamilnadu alone. The Tamilnadu Government has allotted about Rs. 20 crores and has received grants to the tune of Rs. 7.5 crores from the Centre. The Tamilnadu Government has instituted schemes to fight drought conditions which, when completed, may cost Rs. 41 crores. Sir, the drought is not confined to Tamilnadu alone. If you take the entire picture of India, there are floods in one State while there is drought in another State. Normalcy does not obtain anywhere. In the current year as many as 15 million people have been affected by drought conditions in nine States. They are: Rajasthan, Gujarat, Tamilnadu, Haryana, U.P., Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh and Pondicherry. We hear harrowing tales of the people from these States. Sir, about a million people have been affected in the Ghazipur district alone. I am not going into detail. But what should be the solution? There should be no tinkering with the problem. Without always depending on grants and doles, we should devise permanent measures to meet these natural calamities. We may not be able to prevent a heavy rain or the failure of the monsoon. These are the vagaries of the weather. But we can certainly mitigate, if not prevent the damages done by floods and by drought. Controlling the floods and trying to meet the drought conditions should be our aim.

Sir, if you go through the three five-year plans you will find that in the first five-year plan they allotted Rs. 14 crores for flood control; in the second five-year plan they allotted Rs. 48 crores; and in the third five-year plan they allotted Rs. 82 crores. That means, in the whole of the three five-year plans only Rs. 144 crores were allotted for flood control. Whereas, if you take the amount lost in flood, you will find this. In the year 1967 alone about 127 crores have been lost by floods. In 1968 it was Rs. 166 crores and in 1969 Rs. 138 crores out of which Rs. 100 crores account for the cyclone in Andhra Pradesh.

Therefore, Sir, my main theme is this. We lose so much. We should take a comprehensive scheme and flood-control measures and try to meet the drought situation. This can be done in some ways. Linking the rivers as suggested already is one measure. There is a swollen river and there is a space river; this can be connected up by a grand canal linking them. Whether you could have two zones or three zones, I have it to the practicality of the situation.

[Shri Sezhiyan]

But, that is a very good suggestion, and as Dr. Rao has said in reply to a question in this very House on July 31st, 1967, we can certainly control the floods if we are given about Rs. 2,000 crores." It won't be available in a single stroke, but we should have a phased programme to implement that one and linking the rivers.

The second thing is about the tapping of the subsoil water. We could not tap the sub-soil water. The present wells cannot be deepened, because, in Tamilnadu we saw in many areas that we have been dependent upon the wells and ponds and irrigation tanks and there the water level is going down. Unless we go deeper into the carth and try to take water resources that are buried deep down this problem cannot be solved. This has been analysed very much by a scientist who came here about two or three months ago. There was a conference held, a seminar and a symposium held by the National Institute of Sciences in India, on Planning for drought-areas. I think Mr. A. P. Shinde also attended that one. There it was resolved that a phased programme for launching an integrated agricultural development programme in drought-prone areas in the country should be taken up. It has been recommended at the two days symposium. I do not know what follow-up action has been taken by the Government in this regard.

Also, Sir, in this country two experience experts from East Germany came and visited the places in March this year. They are Mr. R. Grenke and Dr. S. Ott. specialists in exploration and exploitation of underground water resources from East Germany. After a six week study tour of seven States, most prone to drought, they are of the opinion—a press report has been given—that drought can be entirtly eradicated from the country in about five years with systematic and concerted exploitation of underground water resources. They have stated:

"Not enough has been done".

—they told Reporters in New Delhi—

"by way of utilizing the latest methods in hydro-geological surveying. And what has been done is not properly coordinated by the official and non-official bodies in the field."

Therefore, the enormity of the problem is there. What we are doing is only thinkering. We are only treating the symptom instead of going into the root cause of the disease and curing it. Therefore, droughts and floods will continue to be there if we are not able to control them. China had that trouble. Russia had that one. In America, the T.V.A. system had that trouble. Even Japan had that one. Those countries took steps with for the exploration and exploitation of sub-soil water and linking the rivers. This is the only solution. Without for ever depending upon the doles for the drought-affected areas. we should, now boldly come out to have a master plan to tap the sub-soil water and to link the river systems. With these words, I conclude. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House takes note of the harrowing misery caused by the droughts in some parts of the country and recommends to the Government that an expert committee be constituted to devise effective measures to meet such situations of natural calamities and to draw a scheme for better and fuller utilisation of water resources in th country."

Both the Motions are now before the House.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति महोदय, बाढ़ हर साल आती है। वह कोई अनहोनी घटना नहीं है। ऐसी

बात नहीं है कि बाढ़ यकायक आ गई और सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। बाढ़ हर बरसात में आती है और उसके लिए सरकार को पहले पूरा प्रबन्ध करना चाहिये। जिसे काट नैपिंग कहा जाता है, बाढ़ के सम्बन्ध में वह स्थिति नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हर साल बाढ़ आती है, कुछ इलाके धंसते हैं और कुछ इलाकों का कटाव होता है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को रिलीफ़ देना है, उन्हें दूसरी जगह बसाना है। लेकिन हम देखते हैं कि बाढ़ के समय लोगों को राहत देने के लिये कोई काम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाया गया है।

हमारे प्रान्त में कोई जन-सरकार नहीं है, वहां राष्ट्रपति सरकार है। बिहार में इस सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है कि बाढ़-ग्रस्त लोगों को रिलीफ़ दिया जाये, उन्हें बाढ़ से निकालने के लिए नावों की व्यवस्था की जाये, जिनके घर गिर गये हैं, उनको फिर से बसाने के लिये ज़मीन दी जाये। सरकार को इस वक्त नहीं, बल्कि शुरू से ही, यह तय करना चाहिए कि जिन जिन इलाकों में बाढ़ बराबर आती है, वहां के लोगों को आल्टरनेट ज़मीन मिले। यदि सरकार उन्हें दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था करे, तो वे लोग जाने के लिए तैयार हैं। उनके खेत और कामथ उसी जगह रहें, लेकिन उन्हें किसी दूसरी जगह ऊंची ज़मीन पर बसाया जाये। उन लोगों के पास इस काम के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार ने ज़मीन का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि अब सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

ऐसे ज़िले भी हैं, जिनमें बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी भीषणता को कम ज़रूर किया जा सकता है। जैसे, हमारा सारन ज़िला है। अगर गंडक चैनल बन जाता, तो एक आल्टरनेटिव चैनल होता, जिससे अतिरिक्त पानी को निकाला जा सकता था। आज क्या स्थिति है? दस वर्षों से गंडक चैनल बनाया जा रहा है और उसके लिए हमारे ज़िले में दस हज़ार एकड़ से ज्यादा ज़मीन लेकर छोड़ दी गई है। उस ज़मीन पर कहीं पुल बना दिया गया है और कहीं कोई नहर बना दी गई है। उस ज़मीन पर न तो पैदावार होती है और न कोई काम होता है। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि दो वर्षों में वहां कर्मचारियों पर बारह-बारह लाख रुपया खर्च किया गया है। उत्तर में कहा गया कि वहां कुछ बिजिनेस होता रहा और कुछ प्लान बनता रहा, जिस के कारण स्टाफ़ पर हर साल बारह लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर यह बारह लाख रुपया चैनल बनाने के काम में लगाया जाता तो कुछ लोगों को राहत मिल जाती और इस समय बाढ़ की जो भीषणता दिखाई देती है, वह न दिखाई पड़ती, कुछ कम होती।

मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहां-जहां ज़मीन ले ली गई है—वहां गृहस्थों को कुछ कम्पेन्सेशन दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है—उन जगहों का काम तो ठीक कर लिया जाये, नहीं तो इतना बड़ा स्टाफ़ रखने से क्या फ़ायदा है। उस पर बारह लाख रुपया हर साल खर्च होता है और काम कोई नहीं हो पाता है।

बिहार में जन-सरकार न होने से बाढ़-ग्रस्त लोगों को उचित रिलीफ़ नहीं पहुंच रहा है। बिहार सरकार कहती है कि हमको बाढ़ के सम्बन्ध में दस लाख रुपया खर्च करने का अख़्त्यार है। जब वहां जन-सरकार थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक करोड़ रुपया सैंक्शन किया था। मैं जानना चाहता हूं कि आज जब कि वहां पर केन्द्रीय सरकार का शासन है, कितना पैसा वहां भेजा गया है, कितने इलाकों में पूरी तरह से रिलीफ़ दिया गया है, केन्द्रीय मंत्रि-मंडल में से कोई उन लोगों की स्थिति देखने के लिये गया है या नहीं रिलीफ़ के काम में प्रगति लाने के

लिये इन लोगों ने क्या किया । यह बात समझ में नहीं आती है कि वहां के लोगों के प्रतिनिधियों को बुला कर इस बारे में विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया है । केवल लिप सिम्पैथी से तो काम नहीं चलता है । वे लोग तो साहबी हिसाब से, कोट-पैंट पहन कर जायेंगे और गरीबों को क्या तकलीफ़ होगी यह देखना गवारा नहीं करेंगे । हुकम निकला, उसके अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ यह देखने वाला नहीं है । तो मैं कहूंगा कि आप जायें और वहां रिलीफ़ की क्या स्थिति है उस को जाकर देखें । मुझे जो मालूम हुआ है वहां के लोगों के पत्रों से और वहां के लोग जो आये हैं उन से वह यह है कि रिलीफ़ बिलकुल इनएडीकेट है, अपर्याप्त है और हर इलाके में पहुंचा भी नहीं है । तो तत्काल के लिए जो प्रश्न है उसको हल करें और लांग टर्म के लिए जहां-जहां चैनल बना कर पानी के जोर को कम किया जा सकता है वहां चैनल जल्द से जल्द बना दें ।

SHRI K. N. PANDEY (Padrauna): Mr. Chairman, you have already said that discussion on this subject will close at 6 p.m. so that this debate will be inconclusive and will continue during the next session. The next item on sugar is also very important and I want that it should be introduced and discussed. Therefore, my suggestion is that it should be introduced now so that it can be discussed during the next session.

सभापति महोदय : जब एक चल रहा है तो दूसरे का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है । लेकिन एक है कि अगर यह फिनिश नहीं होगा तो उसके बारे में और शुगर के बारे में मैं अन्तिम वक्त में जिस वक्त हाउस बन्द होगा, अपना निर्णय दूंगा ।

श्री कामेश्वर सिंह : जब तक हम लोगों को बाढ़ के ऊपर बोलने नहीं दिया जाएगा, हम लोग यहां से बाहर नहीं निकलेंगे ।

सभापति महोदय : देखिए, ग्रेट करिएगा तो आप लोग निकलिए या नहीं, मैं 6 बजे हाउस बन्द कर दूंगा ।

श्री कामेश्वर सिंह : आप की जो तबियत में आए वह करिए । दो महीने के बाद हमारी मरी हुई लाश यहां से निकाल दीजिएगा । लेकिन ऐसे हम नहीं जाएंगे । . . . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ आती हैं, कमेटियां बिठाई जाती हैं, यहां पर भाषण होते हैं और मंत्री महोदय बड़े ध्यान से सुन लेते हैं लेकिन मुझे एक बात वह बता दें कि हम ने गत दिनों में यह काम किया जिस से फलां क्षेत्र की बाढ़ रुक गई और वहां बाढ़ नहीं आई । सारे देश में बाढ़ आती हैं लेकिन कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं है कि फलां जगह बाढ़ रुक गई महज इनके कामों की वजह से । गत साल से और काफी दिनों से यह मांग की जाती रही है कि इसके लिए एक अलग स्थायी फंड बनाया जाय जो इन दिनों में जब भी बाढ़ आए तो उस स्थायी फंड में से फौरन उसके लिए अनुदान दिया जा सके । इसके अतिरिक्त बाढ़ सहायता के लिए एक रिलीफ सोसाइटी बनाई जाय । लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यह स्थिति है कि राजस्थान में एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है । सूखे के लिए जब बिहार में सूखा पड़ा तो दस हजार ट्यूबवैल एक साल में खोदे गए । राजस्थान में एक साल में 500 ट्यूबवैल भी नहीं बने और जो बने भी उन में पता नहीं कितने चल रहे हैं कितने बन्द पड़े हैं । उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इस साल भी बारिश नहीं हुई है और उस इलाके में आगे निश्चित रूप

से सूखा पड़ेगा। इसके लिए माननीय खाद्य मंत्री जी अभी से थोड़ी सी व्यवस्था कर लें। सूखे का सामना करने के लिए काफी दिनों से मांग हो रही है कि राजस्थान नहर का कार्य फौरन सम्पूर्ण किया जाय लेकिन सरकार ध्यान नही देती। लोगों को वहां पीने के पानी की भी बहुत भारी समस्या है। यहां केन्द्र से 23 लाख रुपये पास हुए थे सवाई माधोपुर क्षेत्र के अन्दर कुछ कुएं खोदने के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक वह रुपये वहां नहीं लगाए। पता नहीं उस रुपये का क्या हुआ? इसी तरह से आन्ध्र प्रदेश के कर्नोल डिस्ट्रिक्ट में रायसीना क्षेत्र में भी पीने के लिए पानी नहीं है। 31 गांवों में पीने के लिए बिलकुल पानी नहीं है। कई साल से मांग हो रही है लेकिन राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है।

सभापति महोदय: यह आप बाढ़ के बारे में बोल रहे हैं या पीने के पानी के बारे में बोल रहे हैं? बाढ़ के ऊपर बोलिए।

श्री मीठालाल मीना: मैं बाढ़ पर ही बोलूंगा लेकिन पीने के पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत है। राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है—वहां पर पीने के पानी की बहुत सख्त जरूरत है।

18.00 hrs.

राजस्थान में गत साल भी बाढ़ आई और इस साल भी आई। मंत्री महोदय ने गत साल अपने स्टेटमेन्ट में कहा था कि केरल और राजस्थान के बहुत से हिस्सों में बाढ़ स्थानीय वर्षा के कारण आई है। ऐसी बाढ़ें साधारण रूप से हमेशा नहीं आती हैं, इनको इन्जीनियरिंग उपायों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इस लिये कोई योजना नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मंत्री महोदय का यह अनुमान गलत निकला, इस साल भी काफ़ी जोरों से बाढ़ आई। सभापति महोदय राजस्थान के सवाई-माधोपुर जिले में गत साल भी बाढ़ आई थी और इस साल भी आई है। काफी गांव बिल्कुल नष्ट हो गये हैं, लाखों मन अनाज बह गया, लेकिन सरकार की ओर से सहायता क्या दी गई— 10 रु० प्रति परिवार। पूरे परिवार के लिये 10 रुपये, इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक भी नाव का इन्तजाम वहां से लोगों को निकालने के लिये नहीं किया गया, न कपड़े की व्यवस्था की गई, न खाने की व्यवस्था की गई, न चारे की व्यवस्था की गई। समाज के लोगों ने वहां जा-जाकर लोगों को अनाज दिया, रोटियां बना कर पहुंचाई, लेकिन सरकार की तरफ़ से कोई इन्तजाम नहीं हुआ। सरकारी अफसर वहां जाते हैं—मैं यहां यह बात कह दूं कि जितना सरकारी अफसरों का टी० ए० और डी० ए० बनता है, अगर उतना पैसा भी उन लोगों पर खर्च कर दिया जाय तो उस से काफी सान्त्वना उन लोगों को मिल सकती है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले के लिये अलग से फण्ड दिया जाय जो वहां की क्षेत्रीय बाढ़ समस्याओं पर खर्च किया जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो रुपया केन्द्र सरकार दे, वह राजस्थान सरकार भरतपुर और बीकानेर पर खर्च कर दे, लेकिन सवाई माधोपुर पर खर्च न हो, जहां कि लगातार बाढ़ें आई हैं।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों के मकानों के लिये सरकार ने कई बार आश्वासन दिया था कि उनको मकान बनाने के लिए ऊंची जमीनें दी जायेंगी। उनके मकान प्राय: नदियों और नालों के किनारों पर होते हैं, जो ऐसी बाढ़ों में गिर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई जमीन उनको नहीं दी गई और न मकान बनाने के लिये पैसा दिया गया। उन गरीबों के घर इन बाढ़ों में बरबाद हो गये हैं—जब जिलाधीश

[श्री मीठालाल मीना]

सवाई माधोपुर से निवेदन किया गया, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है और न सहायता ने के लिए एक पैसा है। सभापति जी, गांव वाले कहते हैं कि हम को खाने को मत दीजिये, रहने के लिये मत दीजिये, लेकिन इन बाढ़ों से हमारे जो तालाब टूट गये हैं, उनको ठीक करने के लिये पैसा दे दीजिये, उनको तत्काल ठीक करा दीजिये ताकि हम आगे की फसल तैयार कर सकें। तालाब ठीक हो जायेंगे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि तालाबों की तत्काल मरम्मत के लिये कोई सहायता नहीं दी जा रही है। पानी बरस रहा है और तालावों से हो कर निकल रहा है, उनको बन्द नहीं किया जा सकता है। सारी फसल नष्ट हो गई है, बीमारी फैलने की आशंका है— किसी भी तरह का कोई इन्तजाम हां पर नहीं है। यह वह जिला है, जिसको केन्द्र सरकार ने पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर रखा है, लेकिन उसके लिये केन्द्र सरकार कुछ नही कर रही है। मेरा निवेदन है कि देश में बड़े बडे बांधों के साथ साथ छोटे छोटे बांधों के लिये भी योजना होनी चाहिये, एक दूसरी नदियों को नहरों द्वारा जोड़ा जाय ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों पर कन्ट्रोल किया जा सके।

अन्त में एक बात कह कर खत्म करता हूं—सवाई माधोपुर जिले को अलग से सहायता दीजिये, जिससे कि वहां लोगों को सान्त्वना मिल सके। उन के मकानों के लिए सहायता दीजिये, तालाबों को ठीक करने के लिये तत्काल बिना किसी रुकावट के पैसा पहुंचाइये जिससे कि वे तालाब ठीक हो सकें और वे अगली फसल के लिए व्यवस्था कर सकें।

18.05 hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 784 Re. DECONTROL OF SUGAR

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): Sir, during the course of supplementary questions by Shri V. **Krishnamoorthy on Starred Question** No. 784 answered on the 28th August, 1969 in this House I had stated that there could not be any permission to pay below the minimum price of sugarcane and that no body could permit that. The fact, however, is as follows:—

The Government of Tamil Nadu had made a specific representation to the Central Government in the 1st week of July, 1969 *i.e.* at the fag end of the crushing season that some unregistered sugarcane was lying in the areas of some sugar factories in the State, which was drying up and that the sugar factories were not prepared to crush it at the prevailing rate of cane price on account of very low recovery likely to be obtained therefrom. The State Government requested that they might be permitted to allow a rebate in the minimum price of sugarcane. The State Government also reported that the cane growers were finding it difficult to dispose of the cane. The Central Government agreed with the proposal of the State Government, on the specific condition that there should be an agreement between the cane growers and the sugar factories in this regard and that the rebate should be calculated with reference to the estimated fall in recovery of sugar from such sugarcane. The Government of India Notification No. GSR 1813|Ess. Com| Sugarcane, dated the 4th October, 1968 provides that the Central Government or with the approval of the Central Government, the State Government or any officer or authority of the Central or State Governments may allow a suitable rebate in the minimum price for any valid reason to be specified by the said Government, officer or authority.

18.07 hrs.

MOTION RE. SITUATION CAUSED FLOOD AND DRAUGHTS—*contd.*

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहिं व्यापा । बराबर सात साल से हम यहां पर कहते चले आ रहें हैं कि घाघरा नदी को कंट्रोल किया जाये । उसका हिसाब बताते रहे हैं कि 80 करोड़ का खर्चा है जबकि हर साल 16 जिलों में 80 करोड़ का नुकसान हो रहा है । आज बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, ये तमाम जिले लबालव पानी से भरे हुए हैं । हमारे जिले में रापती नदी में सात आदमी बह गये । इतना दुःखदर्द कभी देखा नहीं गया । मैं डाक्टर राव से गुजारिश करूंगा कि वे एक इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, चीन ने अपनी नदियों को कन्ट्रोल किया और अमरीका ने अमेजन नदी को कन्ट्रोल किया – आप भी कन्ट्रोल कर सकते हैं । दुख होता है कि पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव जब सही रिपोर्ट देते हैं लेकिन उन पर कोई गौर नहीं किया जाता । आप जब तक सरकारी अफसरों की रिपोर्ट के सहारे बैठे रहेंगे तब तक आप देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं – यह बात मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं । यह गवर्नमेंट तो झगड़ों में फंसी हुई है, इसको और कुछ देखने की फुर्सत ही नहीं है । आप हवाई जहाज से घूम कर देख आये, इससे जनता का दुख नहीं मिटेगा । आज हमारे यहां वह सड़क टूट गई है जोकि भगवान बुद्ध के जन्म स्थान तक जाने वाली है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यू० पी० से सी० वी० गुप्ता को निकाला जाये ।

श्री शिव नारायण : सी०वी० गुप्ता ने कुछ तो दिया लेकिन ये जो मुफ्त के सौ गुलाम इधर बैठे हुए है वह क्या कर रहे हैं ? आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इतनी मुसीबत है लेकिन यह लोग यहां पर बैठकर मखोल करते है । इनको जनता के दुखदर्द से कोई मतलब नहीं है । इनको तो अपने गेम खेलना है । दूसरों का शंख बजाने के लिए यह यहां बैठे हुए हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : ये सिन्डीकेट का बैंड बजा रहे हैं ।

श्री शिव नारायण : सिन्डीकेट के दरबार में से बनर्जी साहब भी ले आते हैं । रामरत्न गुप्ता के यहां से ये भी ले आते हैं । लेकिन क्या इनको पब्लिक से कोई इन्ट्रेस्ट हैं ? ये बड़े समाजवादी और कम्युनिस्ट बनते हैं, अपने को देश का बड़ा शुभचिन्तक समझते हैं । लेकिन घबराओ नहीं, जनता तुम को भी देखेगी ।

मैंने बार बार इस सरकार को बताया कि 80 करोड़ का खर्चा है और हर साल 16 जिलों में 80 करोड़ का नुकसान हो जाता है । सरकार हिम्मत करके इतना रुपया खर्च करे । हम आपके साथ चलने को तैयार हैं । एक साल बाढ़ रुक जाये तो घाघरा और सरजू के किनारे इतनी बड़ी बड़ी जड़हन की बाल पैदा हो सकती है । हमने फूड मिनिस्टर से कहा था कि अगर आप बाढ़ कन्ट्रोल कर दो तो सिर्फ चार जिले ही सारे देश को चावल खिला सकते हैं ।

लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती । मंत्रियों को जो अफसर लिख भेजते हैं उनकी बात को ही मान लेते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : जन्तर मन्तर रोड से गप्पा जी को कहो ।

श्री शिव नारायण : हम लोग बाढ़ की मुसीबत की बात कहने आये हैं । केवल दियासलाई देने से और एक बोतल मिट्टी का तेल देने से काम नहीं चलेगा । आप वहां का मुनासिब और परमानेंट इंतजाम कीजिये । यह सरकार गरीबों की है । भगवान ने कहा है कि गरीबों की जो मदद नहीं करता है उस का कल्याण होने वाला नहीं है ।

[श्री शिव नारायण]

मैं अपने सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने विषय के ऐक्सपर्ट हैं। और मंत्री तो मिडिल पास या फेल होते हैं, लेकिन आप तो एक्सपर्ट हैं इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप के जमाने में हमारा कल्याण नहीं हुआ तो किसी दूसरे मिनिस्टर के हाथों से कल्याण नहीं हो सकता। जो रुपया यहां से जाता है वह अगर ठीक ढंग से लगे तो काम चल सकता है। भगवान डा० सम्पूर्णानन्द की आत्मा को शान्ति दे, मैंने उनसे कहा कि बाबू जी 10 परसेंट पी० डब्लू० डी० वाले इंजीनियर खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 परसेंट लेकर भी काम करें तो भी अच्छा है और काम बन सकता है। लेकिन आज तो 90 परसेंट तक खा जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज सरकार अपने कानों पर जूं रेंगाये।"गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है।" यह नारा सरदार भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव ने लगाया था।

बस्ती से जब मैं चला था तो मुझसे जनता ने कहा था कि इस देश को बचाइये। हमारे खाद्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इन का इकबाल बहुत बुलन्द है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ठीक वक्त पर पानी किसानों को भिजवाइये, राजस्तान में पानी भिजवाइये। आप काफी सीनियर मिनिस्टर हैं इसलिए आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। बाढ़ से हमारी जान आप बचाइये। हमारी गरीब जनता दुखी है। मलेरिया वहां फैला हुआ है, आदमी मर रहे हैं, दवादारू का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप तत्काल रिलीफ मुनासिब तौर पर दीजिये। जहां तक आप कहेंगे हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि समय पर समुचित प्रबन्ध किया जाय।

अन्त में मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

श्री कामेश्वर सिंह : सभापति महोदय, सिलसिलेवार बुलाइये।

सभापति महोदय : जो लोग अन-अटेच्ड हैं उनको भी तो बुलाना चाहिये।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: My name is there on the **Order Paper** itself.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) सभापति जी, सन् 1947 से जब से यह देश स्वतंत्र हुआ है आज 1969 तक कोई वर्ष ऐसा व्यतीत नहीं हुआ है कि जिस वर्ष में इस देश के विभिन्न राज्यों के अन्दर बाढ़ न आयी हो, और बाढ़ से अरबों रुपयों की तबाही न हुई हो। जब भी वर्षा ऋतु आती है और संसद का अधिवेशन होता है तो यह निश्चित है कि उस में बाढ़ के ऊपर चर्चा आती है बाढ़ रोकने के आश्वासन भी दिये जाते हैं लेकिन अगले वर्ष जब वर्षा ऋतु आयेगी फिर भी उसी प्रकार की चर्चायें और फिर उसी प्रकार से बाढ़ों का आना, यह सिलसिला भी जारी रहेगा।

मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई मंत्रालय के पास इस प्रकार के आंकड़े हैं कि पिछले 22 वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में जो बाढ़ आई है उससे कितने अरब या कितने खरब रुपयों की हानि इस देश को हुई है? और जितने रुपयों की हानि हुई उसका आधा रुपया भी अगर इन नदियों और किनारों को रोकने पर खर्च कर दिया जाता तो हिन्दुस्तान में बाढ़ की समस्या का समाधान कई वर्ष पहले हो सकता था।

18.15 hrs.

अगर अबतक नहीं किया गया तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आगे के लिए इस सम्बन्ध

में कोई योजना अवश्य बनाई जाय । इस योजना के दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार यह है कि जो छोटी नदियों के किनारे हैं, जिन पर बहुत बड़ी राशि व्यय नहीं करनी पड़ेगी, अगर सरकार के पास अधिक राशि नहीं है तो पहले उन को वह प्राथमिकता दे। अगर सरकार के पास बड़ी राशि है तो सिद्धान्त रूप में यह तय कर लेना चाहिये कि जो बड़ी नदियां हैं, जिनसे बड़ी हानि होती है, उनको प्राथमिकता देंगे । लेकिन कोई योजना अवश्य बननी चाहिये जिस आधार पर बाढ़ को रोका जा सके । एक वर्ष बाद सिंचाई मंत्री यहां पर सदन को बतलायें कि पिछले वर्ष में हमने बाढ़ पर इतने प्रतिशत सफलता प्राप्त की, और इतने नदियों की बाढ़ के इलाकों को हम ने नदियों से प्रभावित होने से रोका ।

दूसरी बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि दुनियां में बाढ़ को रोकने का एक विशेष प्रकार है । लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्यवश बाढ़ नियन्त्रण योजना के बारे में सिंचाई मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों में किसी प्रकार का ताल मेल नहीं है । कई देश इस प्रकार के हैं जहां नदियों के किनारे बांध बनाये जाते हैं और उनके ऊपर रेलवे लाइनें निकाली जाती हैं । इससे यह होता है कि हर साल वर्षा के अवसर पर बांधों की रक्षा होती रहती है और दोहरा काम होता है एक तो रेलों की यात्रा और दूसरे बांधों की रक्षा । हमारे यहां कई स्थान इस प्रकार के है जहां बांध भी बन सकते हैं और रेलवे लाइन भी निकल सकती हैं लेकिन रेलवे मंत्रालय से इस विभाग का कोई ताल मेल नहीं है । जिससे नई रेल लाइनें निकाली जा सकतीं । न ही परिवहन विभाग से है जिससे उन क्षेत्रों में सड़कें निकाली जा सकतीं और न बांधों की बराबर हर प्रकार की देख रेख हो सकती । इस तरह से बाढ़ नियन्त्रण योजना बीच में ही खटाई में पड़ गई है ।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पिछले बीस-बाइस वर्षों से बहुत अधिक बाढ़ आती रही हैं । मेरे पास इस समय सिंचाई मंत्री का एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों के अन्दर बाढ़ों की स्थिति का परिचय दिया है । कुछ दिन पहले इसी प्रकार का एक अल्प सूचना प्रश्न भी था । अभी कुछ दिन पूर्व मुरादाबाद जिले में गंगा की बाढ़ से जो तबाही हुई है न केवल मुरादाबाद बल्कि बदायूं और बुलन्दशहर जिलों के भी जो भाग उससे प्रभावित हुए है उनको देखने के लिए सिंचाई मंत्री महोदय और सैंट्रल वाटर पावर कमिशन के चेअरमेन, श्री नरसिंहम दोनों पहुंचे थे । इस बार स्थिति यह है कि 300 गांवों के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, कच्चे घर जितने थे उनमें आधे से ज्यादा बैठ चुके हैं । एक फसल बराबर पिछले 23 सालों से तबाह हो रही है लेकिन कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं हो सका उसका । दिल्ली की नाक के नीचे मेरठ जिला है । वहां पर भी इसी प्रकार योजनाओं में ताल मेल न होने से पानी रुका हुआ है । जो नाले इस प्रकार के थे कि बाढ़ के पानी को लाकर गंगा में डालते थे, उनकी सफाई न होने से सारे का सारा पानी खेतों में फैला हुआ है। करोड़ों रुपयों की फसल तबाह और बरबाद हो गई है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि वह बाढ़ के नियन्त्रण के लिए कोई योजना बनायें, और हर वर्ष अपनी सफलता की सूचना मंत्री महोदय संसद को दें कि इस बार हमने इतनी सफलता प्राप्त की । आप एक ऐसी योजना बनायें तो पांच साल में, दस साल में या पन्द्रह साल में इस देश में बाढ़ पर पूरी तरह से नियन्त्रण हो जायेगा । इस तरह की कोई योजना सिंचाई मंत्री अवश्य संसद् को दें ।

श्री स० मो० बनर्जी : आज सुबह जब मैंने उत्तर प्रदेश के मामले को उठाया तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने मेरे

[श्री स० मो० बनर्जी]

पत्र को होम मिनिस्टर को भेज दिया । म कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी वहां से आया हो उसको सदन के सामने रखा जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० की स्थिति को यहां आज ही रखा जाय ।

सभापति महोदय : होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि यू० पी० से कोई रिपोर्ट उन के पास नहीं आई है । इस वजह से वह आज स्टेटमेंट नहीं दे सकते ।

SHRI S. M. BANERJEE: May I take it there is no news from Lucknow? (Interruptions).

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): This is a deplorable situation. Lucknow is within a direct dialling distance of Delhi. How on earth can the Home Minister say such a thing and you accept it? They are giving cock and bull stories.

श्री मु0 अ0 खां (कासगंज): सभापति महोदय, हिन्दूस्थान के फ्लड्स हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गये हैं । इस मुल्क में हर साल गारतगिरी और तूफान बरपा होता है । बराबर इसकी तरफ सरकार की तवज्जह दिलाई जाती रही है कि इन तूफानों और तुगयानियों से लाखों इन्सानों और जानवरों की जाने जाया होती हैं । लाखों इन्सान और जानवर बेघर हो जाते हैं । उनके खाने और रहने का कोई सहारा नहीं रह जाता है । यह देश के लिए और देश की सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात हैं । अब तक इन बाढ़ों से जितना नुकसान हुआ है, तूफानों से जितना नुकसान हुआ है, तुगियानी से जितना नुकसान हुआ है, सैलाब से जितना नुकसान हुआ है, उस सारे नुकसान का अगर एक चौथाई रुपया भी इसको रोकने पर खर्च किया जाता तो इस नुकसान से बचा जा सकता था । हर साल हजारों इन्सानों की जानें जाती हैं, लाखों मवेशी मारे जाते हैं, बह जाते हैं । करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो जाती है लेकिन फिर भी हमको बताया जाता सवालों के जवाब में कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इन बाढों की रोकथाम कर सकें । कितनी यह खराब बात है, कितनी यह बुरी बात है । इन्सानों की जानें जाती हैं, जानवरों की जाने जाती हैं, लाखों आदमी बेघर बार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, करोड़ों की उनकी फसल नष्ट हो जाती है लेकिन हमारे मंत्री महोदय कहते है कि हमारे पास रुपया नही है । मुख्तलिफ कामों में जहां जरूरत नहीं होती है वहां तो रुपया खर्च कर दिया जाता है लेकिन इस जरुरी काम के लिए कहा जाता है कि हमारे पास रुपया नहीं है ।

एक और चीज है जिस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप देखे कि गंगा बहती है और उसके दो किनारे होते हैं, एक दक्षिणी किनारा और एक उत्तरी किनारा । इसके बारे में मैंने सवाल भी किया था लेकिन मिनिस्टर साहब कोई जवाब नहीं दे सके । अब अगर दक्षिण की तरफ से गंगा बाढ़ के वक्त अपने साहिल को काटना शुरु कर दे तो ऐसा होता है कि गांवों के गांवों को वह काट देती है और जमीन कट कर उत्तर के किनारे की तरफ हुंचया जाती है । वह जमीन जो दरिया छोड़कर आता है वह काबिले काश्त होती है । मुझे हैरानी है कि इस बात पर बीस साल में न तो सैंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना सकी है और न ही कोई प्रदेश की सरकार कानून बना सकी है कि वह जमीन जो कटने के बाद दरिया छोड़-कर आता है वह किसकी प्रापर्टी है । ऐसा मालूम होता है कि वह नो मैंज लैंड है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून वहां चलता है । जिनकी वह जमीन होती है वे बेचारे भूखों मरते हैं, भीख मांगते फिरते हैं, हजारों की तादाद में झोपड़ियां

बना कर उनमें बस जाते हैं । सरकार को चाहिए कि वह गौर करे कि कटने के बाद जो जमीन दरिया छोड़कर आता है, उसका प्रबन्ध कौन करे, वह जमीन किस की हो।

सभापति महोदय : यह विषय अगले सत्र में चलेगा और चीनी के मामले पर भी तब बहस होगी । अब अनिश्चित काल के लिए यह सभा स्थगित की जाती है ।

18.23 hrs.

The Lok Sabha then adjourned sine die.

GMGIPND—LS II—2051 (ai) LS—2-1-70—1010.